एक कदम स्वच्छता की ओर

अगस्त, 2021
I.S.S.N. : 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

प्रधान संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय

संपादक

श्री कमला कान्त
श्री अविनाश शुक्ला
श्री असलम खान

सहायक संपादक

श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक

श्री महीपाल सिंह
श्री जसवन्त सिंह

ISSN-2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2021 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अगस्त, 2021 अंक - 8

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय
सहायक संपादक
पुंडरीक शर्मा

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2021) 2 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on
Website ⟹ https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001.
दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

यदि पत्नी अपनी स्वयं की आय से अपना भरणपोषण करने हेतु समर्थ है तो क्या वह अपने पति से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरणपोषण भत्ते का दावे करने की हकदार है । इसी प्रश्न पर विचार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने **कृपा रानी देबबर्मा और अन्य** बनाम **श्यामल त्रिपुरा** (2021) 2 दा. नि. प. 211 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि पत्नी अपने पति से पृथक् होने से पूर्व कारबार कर रही थी और स्वयं पत्नी के पिता द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि कारबार से उसकी पुत्री की मासिक आय लगभग 7,000/- रुपए है और इसके अतिरिक्त, पति ने अपनी पत्नी को वापस घर लाने हेतु अनेक प्रयास भी किए थे, अत: उक्त परिस्थितियों में पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरणपोषण भत्ते के लिए हकदार नहीं है ।

यदि परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन चैक के अनादर होने के किसी मामले में चैक पर विद्यमान हस्तलेख और हस्ताक्षर परस्पर मेल नहीं खाते हैं तो क्या ऐसी स्थिति में चैक जारी करने वाला व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 138 के अधीन दांडिक रूप से दायी नहीं है । इसी प्रश्न पर विचार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने **एस. सेल्वी** बनाम **आर. सुब्रामणि** (2021) 2 दा. नि. प. 289 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 20 चैक के धारक को यह अनुमति प्रदान करती है कि वह स्वयं या किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से खाली चैकों को भर सकता है, अत: उपरोक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए याची के अनुरोध पर चैक पर विद्यमान हस्तलेखों के मिलान को मंजूर किए जाने से मामले पर किसी प्रकार का कोई सारवान् प्रभाव नहीं पड़ेगा । अत: वर्तमान मामले में विशेषज्ञ राय अपेक्षित नहीं है और उक्त तथ्य चैक जारी करने वाले व्यक्ति को उसके दांडिक दायित्व से मुक्त नहीं करता है ।

क्या प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई इस प्रतिरक्षा को स्वीकार किया जा सकता है कि हत्या के किसी मामले में

हमला झगड़े के दौरान आवेश की तीव्रता में किया गया, अत: दंड संहिता की धारा 302 के अधीन की गई दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है । इसी प्रश्न पर विचार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने **राधारमण भौमिक** बनाम **असम राज्य** (2021) 2 दा. नि. प. 184 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त द्वारा यह अभिवाक् किया गया है कि जब उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो रहा था तो किसी अन्य व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया और उसने क्रोधित होकर उस व्यक्ति पर रॉड से हमला किया जो दुर्घटनावश उसकी पत्नी को लगी और न्यायालय के अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य और सामग्री से यह तथ्य प्रकट होता है कि अभियुक्त द्वारा जिस रॉड से अपनी पत्नी पर हमला किया गया वह घर में उपलब्ध थी और उसके द्वारा किया गया उक्त हमला झगड़े के दौरान आवेश की तीव्रता में किया गया । अत: विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 302 के अधीन की गई दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है और इसकी बजाय अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद सं. 4 के अधीन सिद्धदोष ठहराया जाना चाहिए ।

इस अंक में, निर्णयों के हिन्दी पाठ और शीर्ष टिप्पण पाठकों के ज्ञान के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं । यह अंक विद्यार्थियों, विधि-वेत्ताओं, न्यायाधीशों और आम-जनता के लिए बहुत उपयोगी है । इस अंक में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को भी ज्ञानार्थ प्रकाशित किया जा रहा है । इस संपूर्ण अंक का परिशीलन करने के पश्चात् आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं ईप्सित हैं ।

पुंडरीक शर्मा
सहायक संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अगस्त, 2021

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
एस. सेल्वी **बनाम** आर. सुब्रामणि	289
कृपा रानी देबबर्मा और अन्य **बनाम** श्यामल त्रिपुरा	211
देवेन्द्र सिंह खिंचियाल **बनाम** उत्तराखंड राज्य	151
बिमल डे **बनाम** त्रिपुरा राज्य	193
बिस्वजीत देबनाथ **बनाम** त्रिपुरा राज्य	246
बुलटान दास **बनाम** त्रिपुरा राज्य	231
महबूब हजारे साहब दफेदार **बनाम** कर्नाटक राज्य	165
राधारमण भौमिक **बनाम** असम राज्य	184
रेखा **बनाम** दिल्ली राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र)	260

संसद् के अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 42

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 125 – पत्नी को भरणपोषण भत्ता – विचारण न्यायालय द्वारा इस आधार पर पत्नी को भरणपोषण भत्ता मंजूर करने से इनकार किया जाना कि वह स्वयं अपना भरणपोषण करने में समर्थ है – विचारण के दौरान पत्नी द्वारा यह स्वीकार किया जाना कि वह पति के क्रूर व्यवहार के कारण काफी लंबी समयावधि से पति से पृथक् निवास कर रही है – पत्नी द्वारा यह दावा किया जाना कि पति की मासिक आय 30,000/- रुपए से कम नहीं है – इसके विपरीत पति द्वारा यह दावा किया जाना कि उसकी मासिक आय मात्र 6,000/- रुपए है और साथ ही उसके द्वारा यह दावा भी किया जाना कि पत्नी अपने कारबार से प्रतिमास 5,000/- से 7,000/- रुपए की आय का उपार्जन कर रही है – पति-पत्नी, दोनों द्वारा अपने-अपने दावों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराने में असफल रहना – न्यायालय के अभिलेख से यह उपदर्शित होना कि पत्नी अपने पति से पृथक् होने से पूर्व कारबार कर रही थी – पत्नी के पिता द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया जाना कि कारबार से उसकी पुत्री की मासिक आय लगभग 7,000/- रुपए है – इसके अतिरिक्त, मामले के अभिलेख से यह दर्शित होना कि पति ने अपनी पत्नी को वापस लाने हेतु अनेक प्रयास किए थे – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पत्नी अपनी आय से स्वयं का भरणपोषण करने हेतु समर्थ है, अत: विचारण न्यायालय द्वारा पत्नी को भरणपोषण भत्ता

पृष्ठ संख्या

मंजूर किए जाने से इनकार करना सर्वथा उचित है और कुटुम्ब न्यायालय के उक्त निर्णय में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

कृपा रानी देबबर्मा और अन्य बनाम **श्यामल त्रिपुरा** 211

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 109, 366क और 376 [सपठित अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 5] – अपीलार्थियों पर यह आरोप लगाया जाना कि उन्होंने एक अप्राप्तवय बालिका के साथ बलात्संग किया और उसे अन्य व्यक्तियों के साथ लैंगिक मैथुन हेतु मजबूर किया और इस प्रकार उसे वेश्यावृत्ति करने हेतु उत्प्रेरित किया – इसके अतिरिक्त एक अपीलार्थी पर यह आरोप लगाया जाना कि उसने तीन से चार बार अप्राप्तवय लड़की के साथ उसकी सम्मति के बिना लैंगिक मैथुन किया और उसे अनजान व्यक्तियों के साथ लैंगिक मैथुन करने हेतु मजबूर किया तथा उसकी पिटाई की और उसे धमकी भी दी – यद्यपि मामले में अन्वेषण संबंधी अनेकों त्रुटियां और लोप विद्यमान हैं फिर भी अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य विश्वसनीय साबित हुआ है और उसमें लघु विसंगतियों के बावजूद वह अकाट्य सिद्ध हुआ है – अभियोक्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से यह परिसाक्ष्य दिया जाना कि अभियुक्त और उसकी पत्नी उसे प्रतिदिन चार ग्राहकों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने हेतु मजबूर करते थे इस प्रकार अभियोक्त्री द्वारा लगाए गए उक्त आरोप से वाणिज्यिक परिप्रेक्ष्य साबित होता है और इस प्रकार यह तथ्य भली-भांति स्थापित हो जाता है कि अभियुक्तों द्वारा अभियोक्त्री को वेश्यावृत्ति हेतु

पृष्ठ संख्या

उत्प्रेरित किया गया – उक्त परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय उचित है और उसमें हस्तक्षेप करना अपेक्षित नहीं है अत: उक्त निर्णय की अभिपुष्टि की जाती है – इसके अलावा अभियुक्त की निजी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके विरुद्ध पारित दंडादेश की अवधि में कमी की जाती है ।

रेखा बनाम **दिल्ली राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र)** 260

– धारा 302 – अभियुक्त-पति पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया जाना – अभिकथित रूप से पति द्वारा अपनी पत्नी के चरित्र और सतीत्व पर संदेह किया जाना और इसके परिणामस्वरूप उसके द्वारा उस पर गंडासे से हमला किया जाना जिसके परिणामस्वरूप पत्नी की मृत्यु होना – अभियोजन पक्ष द्वारा अनेक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रस्तुत किया जाना किन्तु एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के अलावा अन्य सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का पक्षद्रोही हो जाना – एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से यह कथन किया जाना कि वह घटनास्थल के पास राज मिस्त्री का कार्य कर रहा था और वह कुछ देर काम रोककर चाय पीने के लिए गया और वहां उसने अभियुक्त को ऑटो रिक्शा चलाते हुए देखा और उस समय उसकी पत्नी पिछली सीट पर बैठी थी और उसके पश्चात् दोनों ऑटो रिक्शा से उतरकर झगड़ने लगे और फिर अभियुक्त ने गंडासे से अपनी पत्नी की ठोढ़ी पर वार किया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई – अभियोजन पक्ष द्वारा हत्या के हेतु को भी अनेक साक्षियों के माध्यम से भली-भांति स्थापित किया जाना – मृतका की बहन द्वारा स्पष्ट शब्दों

पृष्ठ संख्या

में यह कथन किया जाना कि अभियुक्त अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और जब भी कोई रिश्तेदार उससे मिलने उसके घर जाता था तो उसके पश्चात् अभियुक्त अपनी पत्नी से झगड़ा करता था तथा उस पर हमला भी करता था – इस तथ्य की पुष्टि मृतका और अभियुक्त के पुत्र द्वारा किया जाना – अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित किया जाना कि अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर से गंडासे को बरामद किया गया – इसके अतिरिक्त शव परीक्षा रिपोर्ट से डाक्टर की यह राय सामने आना कि मृतका की मृत्यु गंडासे से कारित की गई क्षतियों के कारण हुई है – न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर पाए गए रक्त चिह्नों की जांच से यह तथ्य सामने आना कि मृतका के वस्त्रों और गंडासे पर समूह 'ए' का रक्त पाया गया जो मृतका के रक्त समूह से मेल खाता है – इसके अतिरिक्त, अभियुक्त द्वारा चलाए जाने वाले ऑटो रिक्शा का क्षतिग्रस्त स्थिति में घटनास्थल पर पाया जाना और अभियुक्त द्वारा इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध न कराया जाना कि उसका ऑटो रिक्शा किस प्रकार घटनास्थल पर पहुंचा – मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि विचारण न्यायाधीश ने सम्यक् रूप से अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों तथा साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए कथनों का मूल्यांकन करते हुए, अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराया है और इसलिए, विचारण न्यायालय का निर्णय सर्वथा उचित है और उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना अपेक्षित नहीं है ।

पृष्ठ संख्या

– धारा 302 और धारा 300 का अपवाद सं. 4 तथा धारा 304 भाग-2 – पति-पत्नी के बीच अभिकथित झगड़े के दौरान पति द्वारा पत्नी पर रॉड से हमला किया जाना जिसके परिणामस्वरूप पत्नी की मृत्यु हो जाना – अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किए गए अपने कथन में यह अभिवाक् किया जाना कि जब उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो रहा था तो किसी अन्य व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया और उसने क्रोधित होकर उस व्यक्ति पर रॉड से हमला किया जो दुर्घटनावश उसकी पत्नी को लगा – न्यायालय के अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य और सामग्री से यह तथ्य प्रकट होता है कि अभियुक्त द्वारा जिस रॉड से अपनी पत्नी पर हमला किया गया वह घर में उपलब्ध थी और उसके द्वारा किया गया उक्त हमला झगड़े के दौरान आवेश की तीव्रता में किया गया, अत: विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 302 के अधीन की गई दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है, इसकी बजाय अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद सं. 4 के अधीन सिद्धदोष ठहराया जाना चाहिए, तद्नुसार, दोषसिद्धि के उक्त आदेश को उपांतरित करके अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 302 के बजाय धारा 304 के भाग-2 के अधीन दंडादिष्ट किया जाता है ।

राधारमण भौमिक बनाम **असम राज्य** 184

– धारा 341 और धारा 324 – अभियुक्त पर सदोष अवरोध तथा खतरनाक हथियार द्वारा उपहति कारित करने का आरोप लगाया जाना – अभिकथित रूप से अभियुक्त ने पीड़ित महिला के मार्ग को अवरुद्ध किया,

पृष्ठ संख्या

उससे गाली-गलौज की, उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और उसके पश्चात् उसके गाल पर वार किया तथा उसके पश्चात् वह वहां से भाग गया – पीड़ित महिला द्वारा स्पष्ट रूप से यह साक्ष्य दिया जाना कि अभियुक्त व्यक्ति ने दाव से उसके बाएं गाल पर वार किया था जिसके परिणामस्वरूप उसे छिन्न घाव कारित हुआ – पीड़ित महिला के साक्ष्य की चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा अभिपुष्टि होना – अन्य अभियोजन साक्षियों द्वारा भी पीड़ित महिला के कथन का समर्थन किया जाना तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत समग्र साक्ष्य से पीड़ित महिला की कहानी को सुदृढ़ परिस्थितिजन्य बल प्राप्त होना – इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध सफलतापूर्वक आरोपों को सभी सुसंगत संदेह से परे साबित किया गया है और परिणामत: अभियुक्त की दोषसिद्धि सर्वथा उचित है ।

बिमल डे बनाम **त्रिपुरा राज्य** 193

– धारा 376(2)(ढ), धारा 375 और धारा 90 – बलात्संग अभियोक्त्री द्वारा अभियुक्त पर यह आरोप लगाया जाना कि उसने उसे विवाह का मिथ्या वचन देकर छल पूर्वक उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए जिसके परिणास्वरूप उसने गर्भधारण किया और उसके पश्चात् उसने अभियुक्त के अनुरोध पर अपना गर्भपात भी कराया – अभियोक्त्री द्वारा यह कथन किया जाना कि उसके द्वारा लैंगिक मैथुन के लिए सम्मति, तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई थी और इसलिए उसकी यह सम्मति विधिमान्य नहीं थी – अभियोक्त्री द्वारा उस समय अभियुक्त के विरुद्ध लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया जाना – जब यह तथ्य उसकी जानकारी में आया

पृष्ठ संख्या

कि अभियुक्त किसी अन्य लड़की को अपने घर ले आया है और इस प्रकार उसने अपना वचन भंग किया है – वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह दर्शित होता है कि अभियोक्त्री ने कभी भी अभियुक्त के प्रणय अनुरोधों का विरोध नहीं किया और न ही उसने कभी उस पर उससे विवाह करने का दबाव डाला – इसके अतिरिक्त किसी भावी अनिश्चित तारीख के संबंध में दिए गए किसी वचन को पूरा करने में असफल रहने को विधिक रूप से तथ्य का भ्रम नहीं माना जा सकता, अत: अभियुक्त की दोषसिद्धि सर्वथा अनुचित है और इसलिए उसे अपास्त किया जाता है ।

देवेन्द्र सिंह खिंचियाल बनाम **उत्तराखंड राज्य** 151

– धारा 497 और 448 – याची के विरुद्ध जारकर्म का अपराध करने संबंधी आरोप लगाया जाना – इत्तिलाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया जाना कि उसने रात्रि निद्रा खुलने पर अपने रसोई घर में अपनी पत्नी और याची को असामाजिक क्रियाकलाप करते हुए देखा तथा उसे देखकर याची रसोई घर के बांस की बाड़ तोड़कर भाग निकला जबकि इत्तिलाकर्ता की पत्नी ने इत्तिलाकर्ता की कलाई को अपनी दांतों से काटा – इत्तिलाकर्ता और अन्य अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य में अनेक विसंगतियों और विरोधाभासों का विद्यमान होना और इसके अतिरिक्त, चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले ही दंड संहिता की धारा 497 को असांविधानिक ठहराते हुए अभिखंडित कर दिया गया है इसलिए उक्त धारा के अधीन याची की दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है और साथ ही अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य दंड संहिता

पृष्ठ संख्या

की धारा 448 के अधीन आरोपों को साबित करने में असफल रहा है अत: याची की दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है ।

बिस्वजीत देबनाथ बनाम **त्रिपुरा राज्य** 246

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26)

– धारा 138 और धारा 20 – याची द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष यह अनुरोध करते हुए प्रकीर्ण आवेदन प्रस्तुत किया जाना कि चैकों पर विद्यमान हस्तलेखों की परस्पर तुलना करने हेतु उन्हें न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा जाए – विचारण न्यायालय द्वारा अनुरोध को अस्वीकार किया जाना – चुनौती – परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 20 चैक के धारक को यह अनुमति प्रदान करती है कि वह स्वयं या किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से खाली चैकों को भर सकता है – उपरोक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए याची के अनुरोध को स्वीकार किए जाने से मामले पर किसी प्रकार का कोई सारवान् प्रभाव नहीं पड़ेगा, अत: वर्तमान मामले में विशेषज्ञ राय अपेक्षित नहीं है और इसलिए विचारण न्यायलाय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है, अत:, याचिका को खारिज किया जाता है ।

एस. सेल्वी बनाम **आर. सुब्रामणि** 289

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32)

– धारा 8, धारा 7 और धारा 4 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 451 और धारा 476] – अभियुक्त

पृष्ठ संख्या

के विरुद्ध लैंगिक हमला करने का आरोप लगाया जाना – अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से पीड़ित लड़की के घर में अतिचार किया जाना तथा घर में उसके अकेले होने के अवसर का लाभ उठाते हुए उसके साथ जबरदस्ती बलात्संग किया जाना – न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में बलात्संग के मामले का समर्थन न किया जाना – पीड़ित लड़की के जन्म प्रमाणपत्र से यह स्थापित किया जाना कि लड़की की आयु घटना के समय मात्र 15 वर्ष थी और वह उस समय विधिक सम्मति देने में समर्थ नहीं थी – पीड़ित लड़की द्वारा यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया जाना कि अभियुक्त उसके घर आया, उसने उसके मुख को दबाया और उस पर लैंगिक हमला किया – पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रभाव के अभिसाक्ष्य की पुष्टि उसके माता-पिता द्वारा किया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 376(1) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन लगाए गए आरोपों के अधीन दोषमुक्ति जबकि पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के अधीन दोषसिद्ध किया जाना – मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह बात भली-भांति स्थापित हो जाती है कि अभियुक्त ने एक अप्राप्तवय बालिका के साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के अधीन यथापरिभाषित लैंगिक हमले का अपराध किया है और इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा पारित उसकी दोषसिद्धि का निर्णय और दंडादेश सर्वथा उचित हैं और उनमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं हैं ।

बुलटान दास बनाम **त्रिपुरा राज्य** 231

देवेन्द्र सिंह खिंचियाल

बनाम

उत्तराखंड राज्य

(2018 की दांडिक अपील सं. 310)

तारीख 31 दिसम्बर, 2020

न्यायमूर्ति एन. एस. धानिक

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376(2)(ढ), धारा 375 और धारा 90 – बलात्संग अभियोक्त्री द्वारा अभियुक्त पर यह आरोप लगाया जाना कि उसने उसे विवाह का मिथ्या वचन देकर छल पूर्वक उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए जिसके परिणास्वरूप उसने गर्भधारण किया और उसके पश्चात् उसने अभियुक्त के अनुरोध पर अपना गर्भपात भी कराया – अभियोक्त्री द्वारा यह कथन किया जाना कि उसके द्वारा लैंगिक मैथुन के लिए सम्मति, तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई थी और इसलिए उसकी यह सम्मति विधिमान्य नहीं थी – अभियोक्त्री द्वारा उस समय अभियुक्त के विरुद्ध लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया जाना – जब यह तथ्य उसकी जानकारी में आया कि अभियुक्त किसी अन्य लड़की को अपने घर ले आया है और इस प्रकार उसने अपना वचन भंग किया है – वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह दर्शित होता है कि अभियोक्त्री ने कभी भी अभियुक्त के प्रणय अनुरोधों का विरोध नहीं किया और न ही उसने कभी उस पर उससे विवाह करने का दबाव डाला – इसके अतिरिक्त किसी भावी अनिश्चित तारीख के संबंध में दिए गए किसी वचन को पूरा करने में असफल रहने को विधिक रूप से तथ्य का भ्रम नहीं माना जा सकता, अत: अभियुक्त की दोषसिद्धि सर्वथा अनुचित है और इसलिए उसे अपास्त किया जाता है ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 5 सितम्बर, 2017 को अभियोक्त्री ने अपीलार्थी के विरुद्ध एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने यह आरोप लगाया कि उसके अपीलार्थी के साथ पिछले तीन वर्षों से अंतरंग संबंध थे और अपीलार्थी ने उसे यह आश्वासन दिया था कि वह अभियोक्त्री से विवाह करेगा और उसके द्वारा दिए गए इस प्रभाव के आश्वासन पर भरोसा करते हुए अपीलार्थी और उसके बीच लैंगिक संबंध भी स्थापित हुए । इसके अतिरिक्त, अभियोक्त्री ने अपीलार्थी के विरुद्ध यह आरोप भी लगाया है कि अपीलार्थी ने उसके साथ छल किया है क्योंकि उसने उसके साथ विवाह करने से इनकार कर दिया और उसने किसी अन्य लड़की के साथ संबंध भी बना लिए । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और विचारण न्यायालय ने उसे सिद्धदोष ठहराते हुए उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में वर्तमान अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के पश्चात् अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह प्रतीत होता है कि न्यायिक राय के अनुसार आम सम्मति इस मत के पक्ष में है कि अभियोक्त्री द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे वह अटूट प्रेम करती है और जिसने उसे यह वचन दिया है कि वह किसी पश्चात्वर्ती तारीख को उससे विवाह करेगा, लैंगिक मैथुन के लिए दी गई सम्मति के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि उसे तथ्य के भ्रम के अधीन प्रदान किया गया है । कोई मिथ्या वचन संहिता के अर्थान्तर्गत किसी तथ्य के तत्समान नहीं है । उच्च न्यायालय इस मत से सहमत है किन्तु उच्च न्यायालय इस मत में इस बात को जोड़े जाने की वांछा करता है कि यह अवधारण करने के लिए कोई सुस्पष्ट सूत्र विद्यमान नहीं है कि क्या अभियोक्त्री द्वारा लैंगिक मैथुन के प्रति दी गई सम्मति स्वैच्छिक है या क्या वह सम्मति तथ्य के किसी भ्रम के अधीन दी गई है । अंततोगत्वा विश्लेषण में न्यायालयों द्वारा यथाधिकथित परीक्षण न्यायाधीशों को इस संबंध में सर्वोत्तम मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं कि सम्मति के प्रश्न के संबंध में विचार करते समय

न्यायालय को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व प्रत्येक मामले में उसके समक्ष विद्यमान साक्ष्य और मामले की परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए क्योंकि प्रत्येक मामले के अपने विशिष्ट तथ्य होते हैं जो इस प्रश्न को प्रभावित कर सकते हैं कि क्या लड़की द्वारा दी गई सम्मति स्वैच्छिक है या उसे तथ्य के भ्रम के अधीन प्रदान किया गया है । यहां यह बात भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि साक्ष्य इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कितना सुदृढ़ है कि यह साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष का है कि अपराध के प्रत्येक घटक को स्पष्ट रूप से साबित किया जाए और सम्मति का न होना भी ऐसे घटकों में से एक है । साक्ष्य में कहीं भी यह तथ्य सामने नहीं आया है कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री से विवाह करने की कोई निश्चित तारीख या कोई समय-सीमा प्रदान की थी या अभियोक्त्री ने अपीलार्थी पर उससे विवाह करने हेतु दबाव बनाया था या कोई जोर डाला था । अभियोक्त्री ने केवल उस समय अपना विरोध दर्शित किया जब अभिकथित रूप से यह जानकारी प्राप्त हुई कि अपीलार्थी किसी अन्य लड़की को अपने घर ले आया है और उसने यह महसूस किया कि अपीलार्थी उससे विवाह करने के अपने वचन से मुकर गया है । वर्तमान मामले में भी अभियोक्त्री में पर्याप्त रूप से इतनी बुद्धिमत्ता विद्यमान है कि वह उस कारण के महत्व और नैतिकता को समझ सके जिसके प्रति उसने अपनी सम्मति प्रदान की । वह गर्भवती भी हो गई और उसके पश्चात् उसने अपना गर्भपात भी कराया, फिर भी उसने अपीलार्थी के प्रणय अनुरोधों का विरोध नहीं किया और न ही उसने उस पर इस बात का दबाव बनाया कि वह उससे विवाह करे । मामले के तथ्यों और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा विधिक स्थिति के संबंध में ऊपर की गई चर्चा से स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोक्त्री द्वारा दी गई सम्मति के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि उसे तथ्य के भ्रम के अधीन दिया गया था । परिणामत:, अपील मंजूर की जाती है । आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित दंडादेश को अभिखंडित किया जाता है । अपीलार्थी जमानत पर है । उसके द्वारा प्रस्तुत निजी बंधपत्र को रद्द किया जाता है तथा प्रतिभूतियों को उन्मोचित किया जाता है । (पैरा 16, 18, 19 और 20)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2003] (2003) 4 एस. सी. सी. 46 =
ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1639 :
उदय बनाम **कर्नाटक राज्य** । 14, 17

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 310.

वर्तमान अपील अपर सेशन न्यायाधीश, बागेश्वर द्वारा तारीख 6/10 सितम्बर, 2018 को पारित निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

अपीलार्थी की ओर से –

प्रत्यर्थी की ओर से –

न्यायमूर्ति एन. एस. धानिक – वर्तमान अपील अपर सेशन न्यायाधीश, बागेश्वर द्वारा तारीख 6/10 सितम्बर, 2018 को पारित उस निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 376(2)(ढ) के अधीन अपराध कारित करने के लिए सिद्धदोष ठहराया गया और उसके विरुद्ध 10 वर्ष के कठोर कारावास को भोगने का दंडादेश पारित किया गया और साथ ही उसे यह भी निदेश दिया गया कि वह 20,000/- रुपए के जुर्माने का भी संदाय करे ।

2. वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 5 सितम्बर, 2017 को अभियोक्त्री ने अपीलार्थी के विरुद्ध एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने यह आरोप लगाया कि उसके अपीलार्थी के साथ पिछले तीन वर्षों से अंतरंग संबंध थे और अपीलार्थी ने उसे यह आश्वासन दिया था कि वह अभियोक्त्री से विवाह करेगा और उसके द्वारा दिए गए इस प्रभाव के आश्वासन पर भरोसा करते हुए अपीलार्थी और उसके बीच लैंगिक संबंध भी स्थापित हुए । इसके अतिरिक्त, अभियोक्त्री ने अपीलार्थी के विरुद्ध यह आरोप भी लगाया है कि अपीलार्थी

ने उसके साथ छल किया है क्योंकि उसने उसके साथ विवाह करने से इनकार कर दिया और उसने किसी अन्य लड़की के साथ संबंध भी बना लिए ।

3. अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और विचारण न्यायालय ने उसे सिद्धदोष ठहराते हुए यहां ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार उसे दंडादिष्ट भी किया ।

4. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने सात साक्षियों की परीक्षा की । अभि. सा. 1 हेड कांस्टेबल हरिश चंद्रा है, अभि. सा. 2 स्वयं अभियोक्त्री है, अभि. सा. 3 डा. अजय मोहन शर्मा है, अभि. सा. 4 अभियोक्त्री/पीड़ित लड़की की चचेरी बहन है, अभि. सा. 5 डा. रीमा उपाध्याय है, अभि. सा. 6 कांस्टेबल चम्पा तिवारी है और अभि. सा. 7 वर्तमान मामले का अन्वेषण अधिकारी सत्य प्रकाश रायपा है ।

5. अभि. सा. 1 ने चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तैयार की है और उसने साधारण डायरी में आवश्यक प्रविष्टियां भी की हैं ।

6. पीड़ित लड़की/अभियोक्त्री (अभि. सा. 2) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह अभियुक्त-अपीलार्थी से वर्ष 2015 से परिचित है । अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ विवाह करने का आश्वासन देकर उसके साथ लैंगिक संबंध स्थापित किए । उसके पश्चात् वर्ष 2016 में वह गर्भवती हो गई और उसके पश्चात् उसने उसी वर्ष अपना गर्भपात कराया । गर्भपात के पश्चात् भी उसने अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ लैंगिक मैथुन किया क्योंकि अभियुक्त-अपीलार्थी ने उसे यह आश्वासन दिया था कि वह उससे विवाह करेगा । अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया कि यद्यपि अपीलार्थी ने उससे कभी भी विवाह नहीं किया किन्तु उसने सदैव उसके साथ पति जैसा व्यवहार किया । सितम्बर, 2017 में अभियुक्त-अपीलार्थी किसी अन्य लड़की को ले आया और जब यह तथ्य अभियोक्त्री की जानकारी में आया तो उसने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध लिखित रिपोर्ट दर्ज की । अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी ने उसकी चचेरी बहन (अभि. सा. 4)

के निवास स्थान पर उसके साथ लैंगिक मैथुन किया और उसकी चचेरी बहन अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ उसके संबंधों के बारे में पूर्णतया भिज्ञ है ।

7. अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 वे डाक्टर हैं जिन्होंने अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा की तथा चिकित्सा रिपोर्टों को तैयार किया ।

8. अभि. सा. 4 अभियोक्त्री की चचेरी बहन है । इस साक्षी ने अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य की उस सीमा तक पुष्टि की है कि वे दोनों एक-दूसरे के साथ अटूट प्रेम करते थे और वे प्राय: उसके निवास स्थान पर आते थे और वहां वे परस्पर अंतरंग समय व्यतीत करते थे । अभि. सा. 4 ने यह भी कथन किया है कि अभियोक्त्री ने उसे यह बताया था कि अभियुक्त-अपीलार्थी उससे विवाह करेगा । तथापि, अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने यह कथन किया कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने उसके समक्ष कभी भी यह कथन नहीं किया कि वह अभियोक्त्री से विवाह करेगा ।

9. मैंने विरोधी पक्षकारों द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवादों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है तथा साथ ही अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है ।

10. विद्वान् विचारण न्यायालय की राय यह थी कि यद्यपि अभियोक्त्री ने अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ लैंगिक मैथुन करने के प्रति अपनी सम्मति प्रदान की थी किन्तु उक्त सम्मति दंड संहिता की धारा 90 के साथ पठित धारा 375 के अर्थान्तर्गत वैध सम्मति नहीं थी क्योंकि अभियोक्त्री की सम्मति तथ्य के इस भ्रम के आधार पर अभिप्राप्त की गई थी कि अपीलार्थी किसी पश्चात्वर्ती तारीख को उससे विवाह करेगा किन्तु उसके पश्चात् अभियुक्त उसके द्वारा दिए गए वचन से मुकर गया ।

11. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित हो जाता है कि अभियोक्त्री और अभियुक्त-अपीलार्थी के एक-दूसरे के साथ संबंध थे और उन्होंने अनेक अवसरों पर लैंगिक मैथुन भी किया । उक्त लैंगिक मैथुन

अभियोक्त्री की सम्मति से हुआ । वर्तमान परिस्थितियों में केवल इस प्रश्न पर विचार किए जाने की आवश्यकता है कि क्या अभियोक्त्री की उक्त सम्मति तथ्य के भ्रम के आधार पर, अर्थात् अभियोक्त्री से विवाह करने के झूठे वचन के आधार पर अभिप्राप्त की गई थी और इसलिए उक्त सम्मति दंड संहिता की धारा 90 के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए दूषित थी ?

12. दंड संहिता की धारा 375 और धारा 90 निम्नानुसार हैं :–

"375 बलात्संग – यदि किसी पुरुष के बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है जहां ऐसा निम्नलिखित छह भांति की परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता है –

पहला – उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध ।

दूसरा – उस स्त्री की सम्मति के बिना ।

तीसरा – उस स्त्री की सम्मति से जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है ।

चौथा – उस स्त्री की सम्मति से, जब कि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है ।

पांचवां – उस स्त्री की सम्मति से, जब ऐसी सम्मति देने के समय, वह विकृतचित्तता या मत्तता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञाशून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है ।

छठा – उस स्त्री की सम्मति से या उसके बिना, जब वह सोलह वर्ष से कम आयु की है ।

स्पष्टीकरण – बलात्संग के अपराध के लिए आवश्यक लैंगिक मैथुन का गठन करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है ।

अपवाद – किसी पुरुष की अपनी स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य, यदि पत्नी पंद्रह वर्ष से कम आयु की न हो, बलात्संग नहीं है ।

90. सम्मति, जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है – कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा से आशयित है, यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति, भय के अधीन, या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणामस्वरूप वह सम्मति दी गई थी ; अथवा

उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति – यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो चित्तविकृति या मत्तता के कारण उस बात की, जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है, प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो ; अथवा

शिशु की सम्मति – जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो बारह वर्ष से कम आयु का है ।"

13. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि घटना की तारीख को अभियोक्त्री वयस्क थी और उसकी आयु लगभग 25 वर्ष थी और वह एक अतिथि अध्यापक के रूप में कार्य कर रही थी । अभियुक्त-अपीलार्थी भी वयस्क था और घटना के समय उसकी आयु भी लगभग 25 वर्ष थी और वह कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर कार्य कर रहा था । अभियोक्त्री और अपीलार्थी के बीच परस्पर संबंध तीन वर्ष तक चले और इसी दौरान अभियोक्त्री गर्भवती भी हुई और उसने अपना गर्भपात भी कराया और उसके पश्चात् भी दोनों के बीच के संबंध बने रहे । साक्ष्य में कहीं भी यह तथ्य सामने नहीं आया है कि अपीलार्थी ने

अभियोक्त्री से विवाह करने के लिए कोई निश्चित तारीख या किसी समय-सीमा का उल्लेख किया था । किन्तु जिस समय अभियोक्त्री को अभिकथित रूप से यह जानकारी प्राप्त हुई कि अपीलार्थी किसी अन्य लड़की को अपने घर ले आया है तो उसे यह महसूस हुआ कि अपीलार्थी ने उसे धोखा दिया है और वह उससे विवाह करने के अपने वचन से मुकर गया है और उसके पश्चात् उसने इस संबंध में लिखित रिपोर्ट दर्ज की ।

14. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने **उदय** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है । उक्त मामले में अभियोक्त्री ने अभियुक्त को लैंगिक मैथुन के संबंध में अपनी सम्मति प्रदान की थी क्योंकि वह अभियुक्त से अटूट प्रेम करती थी और अभियुक्त ने उसे यह वचन भी दिया था कि वह किसी पश्चात्वर्ती तारीख को उससे विवाह करेगा । अभियोक्त्री और अभियुक्त एक दूसरे से मुलाकातें करते रहे और उनके बीच प्राय: लैंगिक मैथुन भी हुआ और जिसके परिणामस्वरूप अभियोक्त्री गर्भवती हो गई । अभियोक्त्री द्वारा उस समय शिकायत दर्ज की गई जब अभियुक्त-अपीलार्थी, अभियोक्त्री से विवाह करने में असफल रहा । इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि उक्त मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोक्त्री की सम्मति तथ्य के भ्रम के अधीन अभिप्राप्त की गई थी ।

15. उपर्युक्त मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए निम्नानुसार संप्रेक्षण किया :–

> "कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी संगत रूप से यह मत दिया है कि किसी भावी अनिश्चित तारीख के संबंध में किए गए वचन को पूरा करने में असफल रहना सदैव कार्रवाई के आरंभ से ही तथ्य के भ्रम के तत्समान नहीं है । तथ्य के भ्रम का सही-सही

---

[1] (2003) 4 एस. सी. सी. 46 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1639.

अर्थ पता लगाने के लिए यह आवश्यक है कि तथ्य को तुरंत संगत होना चाहिए । जयंती रानी पांडा **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य और अन्य [1984 क्रिमिनल ला जर्नल 1535 (कलकत्ता)] वाले मामले में भी समान प्रकार के तथ्य अंतर्वलित थे । अभियुक्त स्थानीय ग्रामीण विद्यालय में एक अध्यापक था और वह प्राय: अभियोक्त्री के निवास स्थान जाया करता था । एक दिन जब अभियोक्त्री के माता-पिता घर में उपस्थित नहीं थे तो उसने अभियोक्त्री के समक्ष अपने प्रेम का इजहार किया और यह इच्छा व्यक्त की कि वह उससे विवाह करना चाहता था । अभियोक्त्री भी इस विवाह के लिए इच्छुक थी और अभियुक्त ने अभियोक्त्री को यह वचन दिया कि वह अपने माता-पिता की सम्मति अभिप्राप्त करने के पश्चात् उससे विवाह करेगा । अभियुक्त द्वारा दिए गए इस आश्वासन पर विश्वास करते हुए अभियोक्त्री ने अभियुक्त के साथ रहना आरंभ कर दिया और वे अनेक महीनों तक एक साथ रहे और उक्त समयावधि के दौरान अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ अनेक रातें बिताईं । अंतत: अभियोक्त्री ने गर्भ धारण किया और उसने अभियुक्त पर यह दबाव डाला कि उनका विवाह यथासंभव शीघ्र अनुष्ठापित हो जाना चाहिए, जिसके उत्तर में अभियुक्त ने अभियोक्त्री को यह सुझाव दिया कि गर्भपात करा ले और उसके पश्चात् वह किसी पश्चात्वर्ती तारीख को उससे विवाह करेगा । चूंकि यह प्रस्ताव अभियोक्त्री को स्वीकार्य नहीं था, इसलिए अभियुक्त अपने वचन से मुकर गया और उसने अभियोक्त्री के घर आना-जाना बंद कर दिया । कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने दंड संहिता की धारा 90 के उपबंधों का गहन परिशीलन किया और निम्न निष्कर्ष पर पहुंची –

> 'किसी भावी अनिश्चित तारीख के संबंध में दिए गए किसी वचन को ऐसे किन्हीं कारणों से, जिन्हें साक्ष्य द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है, पूरा करने में असफल रहने का सदैव यह तात्पर्य नहीं है कि उस मामले में कार्य के प्रारंभ से

ही तथ्य का भ्रम विद्यमान है । तथ्य के भ्रम के परिधि क्षेत्र के भीतर आने के लिए तथ्य के संबंध में यह अनिवार्य है कि उसे तुरंत संगत होना चाहिए ।

यह मामला उस समय पूर्णतया भिन्न होता यदि इस प्रकार का विश्वास उत्पन्न करके सम्मति प्राप्त की गई होती कि उनका विवाह पहले ही अनुष्ठापित हो चुका है । ऐसे किसी दशा में सम्मति के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह तथ्य के भ्रम के परिणामस्वरूप प्राप्त की गई है । किन्तु वर्तमान मामले में अभिकथित तथ्य विवाह किए जाने के संबंध में दिया गया ऐसा वचन है जिसके संबंध में कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है । यदि कोई पूर्ण जवान लड़की विवाह के वचन के आधार पर लैंगिक मैथुन के संबंध में अपनी सम्मति प्रदान करती है और वह तब तक शारीरिक संबंध बनाना जारी रखती है जब तक कि वह गर्भधारण नहीं कर लेती तो यह तथ्य के भ्रम के अधीन किया गया कार्य न होकर उसकी ओर से स्वच्छंद संभोग का कार्य बन जाता है और ऐसे मामले में दंड संहिता की धारा 90 के उपबंधों का अवलंब लेकर लड़की द्वारा किए गए कृत्यों को क्षमा करके पूर्ण दांडिक दायित्व तब तक किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं रखा जा सकता जब तक कि न्यायालय को इस संबंध में आश्वस्त न किया जा सके कि घटना के प्रारंभ से ही अभियुक्त का कभी भी यह आशय नहीं था कि वह लड़की से विवाह करेगा ।'"

16. विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त किए गए मतों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :–

"अत: यह प्रतीत होता है कि न्यायिक राय के अनुसार आम सम्मति इस मत के पक्ष में है कि अभियोक्त्री द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे वह अटूट प्रेम करती है और जिसने उसे यह

वचन दिया है कि वह किसी पश्चात्वर्ती तारीख को उससे विवाह करेगा, लैंगिक मैथुन के लिए दी गई सम्मति के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि उसे तथ्य के भ्रम के अधीन प्रदान किया गया है । कोई मिथ्या वचन संहिता के अर्थान्तर्गत किसी तथ्य के तत्समान नहीं है । हम इस मत से सहमत हैं किन्तु हम इस मत में इस बात को जोड़े जाने की वांछा करते हैं कि यह अवधारण करने के लिए कोई सुस्पष्ट सूत्र विद्यमान नहीं है कि क्या अभियोक्त्री द्वारा लैंगिक मैथुन के प्रति दी गई सम्मति स्वैच्छिक है या क्या वह सम्मति तथ्य के किसी भ्रम के अधीन दी गई है । अंततोगत्वा विश्लेषण में न्यायालयों द्वारा यथाधिकथित परीक्षण न्यायाधीशों को इस संबंध में सर्वोत्तम मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं कि सम्मति के प्रश्न के संबंध में विचार करते समय न्यायालय को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व प्रत्येक मामले में उसके समक्ष विद्यमान साक्ष्य और मामले की परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए क्योंकि प्रत्येक मामले के अपने विशिष्ट तथ्य होते हैं जो इस प्रश्न को प्रभावित कर सकते हैं कि क्या लड़की द्वारा दी गई सम्मति स्वैच्छिक है या उसे तथ्य के भ्रम के अधीन प्रदान किया गया है । यहां यह बात भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि साक्ष्य इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कितना सुदृढ़ है कि यह साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष का है कि अपराध के प्रत्येक घटक को स्पष्ट रूप से साबित किया जाए और सम्मति का न होना भी ऐसे घटकों में से एक है ।"

17. **उदय** बनाम **कर्नाटक राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि :–

"न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा । वर्तमान मामले में, अभियोक्त्री एक जवान लड़की है जो एक महाविद्यालय में अध्ययन कर रही है । अभियोक्त्री को अपीलार्थी से अटूट प्रेम

था । तथापि, उसे इस तथ्य की जानकारी थी कि उनकी जाति भिन्न होने के कारण उनका विवाह संभव नहीं था । किसी भी दशा में उनके विवाह के प्रस्ताव का उनके कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा गंभीर रूप से विरोध किया जाना तय था । अभियोक्त्री ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने अपनी इस शंका को अपीलार्थी के समक्ष उस समय रखा था जब उसने पहली बार उसके समक्ष प्रणय निवेदन किया था । वह पर्याप्त रूप से बुद्धिमान थी कि वह अपने उस कार्य के महत्व और नैतिकता को समझ सके जिसके संबंध में वह अपनी सम्मति प्रदान कर रही थी । इसी कारणवश उसने अपने संबंधों को तब तक गुप्त रखा जब तक कि वह ऐसा करने में सक्षम थी । इसके बावजूद उसने अपीलार्थी के अनुरोधों का विरोध नहीं किया और वस्तुत: उसने अपीलार्थी के अनुरोधों को स्वीकार कर लिया । इस प्रकार, उसने स्वतंत्र रूप से विरोध और सम्मति के बीच अपने विकल्प का प्रयोग किया । उसे अवश्य ही उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों के परिणाम के संबंध में जानकारी होगी । विशेष रूप से उस समय जब वह इस तथ्य के प्रति सचेत थी कि जातिगत भावनाओं के कारण यह संभव है कि उनका विवाह कभी भी न हो । ये सभी परिस्थितियां इस निष्कर्ष की ओर संकेत करती हैं कि उसने अपीलार्थी के साथ लैंगिक मैथुन करने के लिए स्वतंत्र रूप से स्वैच्छिक और सुभिज्ञ सम्मति प्रदान की और उसके द्वारा दी गई सम्मति तथ्य के किसी भ्रम के परिणामस्वरूप नहीं थी ।"

18. ऊपर निर्दिष्ट मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों के तत्समान है । साक्ष्य में कहीं भी यह तथ्य सामने नहीं आया है कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री से विवाह करने की कोई निश्चित तारीख या कोई समय-सीमा प्रदान की थी या अभियोक्त्री ने अपीलार्थी पर उससे विवाह करने हेतु दबाव बनाया था या कोई जोर डाला था । अभियोक्त्री ने केवल उस समय अपना विरोध दर्शित किया जब अभिकथित रूप से यह जानकारी प्राप्त हुई कि अपीलार्थी किसी अन्य लड़की को अपने घर

ले आया है और उसने यह महसूस किया कि अपीलार्थी उससे विवाह करने के अपने वचन से मुकर गया है । वर्तमान मामले में भी अभियोक्त्री में पर्याप्त रूप से इतनी बुद्धिमत्ता विद्यमान है कि वह उस कारण के महत्व और नैतिकता को समझ सके जिसके प्रति उसने अपनी सम्मति प्रदान की । वह गर्भवती भी हो गई और उसके पश्चात् उसने अपना गर्भपात भी कराया, फिर भी उसने अपीलार्थी के प्रणय अनुरोधों का विरोध नहीं किया और न ही उसने उस पर इस बात के दबाव बनाया कि वह उससे विवाह करे ।

19. मामले के तथ्यों और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा विधिक स्थिति के संबंध में ऊपर की गई चर्चा से स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोक्त्री द्वारा दी गई सम्मति के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि उसे तथ्य के भ्रम के अधीन दिया गया था ।

20. परिणामत:, अपील मंजूर की जाती है । आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित दंडादेश को अभिखंडित किया जाता है । अपीलार्थी जमानत पर है । उसके द्वारा प्रस्तुत निजी बंधपत्र को रद्द किया जाता है तथा प्रतिभूतियों को उन्मोचित किया जाता है । उसे तब तक आत्मसमर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक कि वह किसी अन्य मामले के संबंध में पुलिस द्वारा वांछित न हो ।

21. इस निर्णय की एक प्रति को निचले न्यायालय के अभिलेख के साथ निचले न्यायालय को अग्रेषित किया जाए जिससे इसके अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके । विचारण न्यायालय को भी यह निदेश दिया जाता है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 437क के अनुपालन को सुनिश्चित करे ।

अपील मंजूर की गई ।

पु.

महबूब हजारे साहब दफेदार

बनाम

कर्नाटक राज्य

(2013 की दांडिक अपील सं. 3552)

तारीख 28 जनवरी, 2021

न्यायमूर्ति जॉन माइकल कुन्हा और न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरअन्नावर

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 – अभियुक्त-पति पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया जाना – अभिकथित रूप से पति द्वारा अपनी पत्नी के चरित्र और सतीत्व पर संदेह किया जाना और इसके परिणामस्वरूप उसके द्वारा उस पर गंडासे से हमला किया जाना जिसके परिणामस्वरूप पत्नी की मृत्यु होना – अभियोजन पक्ष द्वारा अनेक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रस्तुत किया जाना किन्तु एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के अलावा अन्य सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का पक्षद्रोही हो जाना – एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से यह कथन किया जाना कि वह घटनास्थल के पास राज मिस्त्री का कार्य कर रहा था और वह कुछ देर काम रोककर चाय पीने के लिए गया और वहां उसने अभियुक्त को ऑटो रिक्शा चलाते हुए देखा और उस समय उसकी पत्नी पिछली सीट पर बैठी थी और उसके पश्चात् दोनों ऑटो रिक्शा से उतरकर झगड़ने लगे और फिर अभियुक्त ने गंडासे से अपनी पत्नी की ठोढ़ी पर वार किया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई – अभियोजन पक्ष द्वारा हत्या के हेतु को भी अनेक साक्षियों के माध्यम से भली-भांति स्थापित किया जाना – मृतका की बहन द्वारा स्पष्ट शब्दों में यह कथन किया जाना कि अभियुक्त अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और जब भी कोई रिश्तेदार उससे मिलने उसके घर जाता था तो उसके पश्चात् अभियुक्त अपनी पत्नी से झगड़ा करता था तथा उस पर हमला भी करता था – इस तथ्य की पुष्टि मृतका और अभियुक्त के पुत्र द्वारा किया जाना – अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित किया जाना कि

अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर से गंडासे को बरामद किया गया – इसके अतिरिक्त शव परीक्षा रिपोर्ट से डाक्टर की यह राय सामने आना कि मृतका की मृत्यु गंडासे से कारित की गई क्षतियों के कारण हुई है – न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर पाए गए रक्त चिह्नों की जांच से यह तथ्य सामने आना कि मृतका के वस्त्रों और गंडासे पर समूह 'ए' का रक्त पाया गया जो मृतका के रक्त समूह से मेल खाता है – इसके अतिरिक्त, अभियुक्त द्वारा चलाए जाने वाले ऑटो रिक्शा का क्षतिग्रस्त स्थिति में घटनास्थल पर पाया जाना और अभियुक्त द्वारा इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध न कराया जाना कि उसका ऑटो रिक्शा किस प्रकार घटनास्थल पर पहुंचा – मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि विचारण न्यायाधीश ने सम्यक् रूप से अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों तथा साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए कथनों का मूल्यांकन करते हुए, अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराया है और इसलिए, विचारण न्यायालय का निर्णय सर्वथा उचित है और उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना अपेक्षित नहीं है ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि लगभग 10 से 12 वर्ष पूर्व शिकातयकर्ता महम्मद हुसैन की बड़ी बहन मृतका श्रीमती अलीमाबी का निकाह अपीलार्थी-अभियुक्त महबूब दफेदार, निवासी चिन्नाकर ग्राम के साथ हुआ था और उक्त निकाह से उनके दो बालकों का भी जन्म हुआ था । निकाह के दो-तीन वर्ष के पश्चात् मृतका और उसके पति यादगिर स्थानांतरित हो गए और वे सदरदरवाजा लेन, यादगिर में स्थित एक किराए के घर में निवास कर रहे थे और उस समय मृतका कपड़ों की सिलाई आदि से संबंधित दर्जी का काम कर रही थी जबकि उसका पति किराए पर एक ऑटो रिक्शा का चालन कर रहा था । निकाह के दो वर्ष पश्चात् अपीलार्थी-अभियुक्त को अपनी पत्नी की वफादारी/सतीत्व पर संदेह हुआ और उसने इस संदेह को लेकर उससे झगड़ा करना आरंभ कर दिया । जब कभी मृतका अपने नातेदारों और अपने शुभ चिंतकों से बात करती थी तो उसका पति, अर्थात् अभियुक्त-अपीलार्थी उससे झगड़ा करता था और उसके द्वारा

अवैध रिश्ते रखे जाने का बहाना लेकर उस पर हमला भी करता था । तारीख 10 अगस्त, 2011 को शिकायतकर्ता होसल्ली क्रास स्थित एक घर में दोपहर 1.00 बजे के लगभग प्लास्टर का कार्य कर रहा था और जब वह होसल्ली क्रास के समीप स्थित एक चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए आया तो उसे वहां यह ज्ञात हुआ कि एक मुस्लिम महिला की किसी व्यक्ति द्वारा उसकी ठोढ़ी पर गंडासे से वार करके हत्या कर दी गई है और उक्त मुस्लिम महिला को अस्पताल ले जाया गया है और यह ज्ञात होने के पश्चात् शिकायतकर्ता सरकारी अस्पताल के शवगृह में गया और वहां उसने मृतका के मृत शरीर को देखा और उसने मृतका की अपनी बहन के रूप में शनाख्त की । अस्पताल में टिप्पन्ना, पुत्र श्री रमन्ना नामक एक व्यक्ति मौजूद था जिसने शिकायतकर्ता की बहन की हत्या होते हुए देखी थी और उससे पूछताछ करने पर उसे पूर्ण घटना की जानकारी प्राप्त हुई । अपीलार्थी-अभियुक्त अपनी पत्नी को यादगिर शहर के गंज इलाके के समीप ले गया और वहां उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी । महम्मद हुसैन मृतका के भाई द्वारा फाइल की गई उक्त शिकायत को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के रूप में वर्ष 2011 के अपराध सं. 96 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । मुख्य पुलिस अन्वेषणकर्ता ने मामले का अन्वेषण करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराते हुए उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उसे वर्तमान अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है । उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का मूल्यांकन किए जाने पर उच्च न्यायालय को कोई भी ऐसा न्यायोचित कारण दिखाई नहीं देता जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए मत में कोई फेरफार की जा सके । उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि

विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षियों के अभिसाक्ष्यों का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया है । विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष विधिक साक्ष्य पर आधारित है । उच्च न्यायालय को साक्ष्य के मूल्यांकन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि या विसंगति प्रतीत नहीं होती है और न ही विचारण न्यायाधीश द्वारा लेखबद्ध किए गए निष्कर्ष उच्च न्यायालय को इस बात के लिए बाध्य करते हैं कि उच्च न्यायालय अपनी अपीली अधिकारिता का प्रयोग करते हुए विचारण न्यायाधीश के निर्णय में कोई हस्तक्षेप करे । विचारण न्यायालय ने मामले के सभी तथ्यों और पहलुओं पर गहन विचार किया है जो स्पष्ट रूप से दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में अभियुक्त के दोष को स्थापित करते हैं । परिणामतः, अपील में कोई गुण न होने के कारण वह खारिज किए जाने की दायी है । तद्नुसार, अपील खारिज की जाती है । विद्वान् जिला और सेशन न्यायाधीश, यादगिर द्वारा वर्ष 2011 के एस. सी. सं. 64 में तारीख 26 सितम्बर, 2012 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और तारीख 28 सितम्बर, 2012 के दंडादेश की पुष्टि की जाती है । (पैरा 12)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2012] 2012 क्रिमिनल ला जर्नल 3825 :
श्यामल घोष बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** ; 11

[2011] (2011) 3 एस. सी. सी. 654 =
ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1403 :
शिवशंकर सिंह बनाम **झारखंड राज्य और अन्य** । 10

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील सं. 3552.

वर्तमान अपील अभियुक्त व्यक्ति ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित तारीख 26 सितम्बर, 2011 के दोषसिद्धि के निर्णय और तारीख 28 सितम्बर, 2011 के दंडादेश को चुनौती देते हुए फाइल की है ।

अपीलार्थी की ओर से श्री बाबूराव मंगाने

प्रत्यर्थी की ओर से श्री प्रकाश येली, अपर वरिष्ठ लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरअन्नावर ने दिया ।

न्या. अमरअन्नावर – वर्तमान अपील अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2011 के एस. सी. सं. 64, तारीख 26 सितम्बर, 2012 में भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए तारीख 26 सितम्बर, 2011 के दोषसिद्धि के उस निर्णय और तारीख 28 सितम्बर, 2011 के उस दंडादेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को आजीवन कारावास का दंड दिया गया था और साथ ही उस पर 1,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया था ।

2. अभियोजन का पक्षकथन यह है कि लगभग 10 से 12 वर्ष पूर्व शिकायतकर्ता महम्मद हुसैन की बड़ी बहन मृतका श्रीमती अलीमाबी का निकाह अपीलार्थी-अभियुक्त महबूब दफेदार, निवासी चिन्नाकर ग्राम के साथ हुआ था और उक्त निकाह से उनके दो बालकों का भी जन्म हुआ था । निकाह के दो-तीन वर्ष के पश्चात् मृतका और उसके पति यादगिर स्थानांतरित हो गए और वे सदरदरवाजा लेन, यादगिर में स्थित एक किराए के घर में निवास कर रहे थे और उस समय मृतका कपड़ों की सिलाई आदि से संबंधित दर्जी का काम कर रही थी जबकि उसका पति किराए पर एक ऑटो रिक्शा का चालन कर रहा था । निकाह के दो वर्ष पश्चात् अपीलार्थी-अभियुक्त को अपनी पत्नी की वफादारी/सतीत्व पर संदेह हुआ और उसने इस संदेह को लेकर उससे झगड़ा करना आरंभ कर दिया । जब कभी मृतका अपने नातेदारों और अपने शुभ चिंतकों से बात करती थी तो उसका पति, अर्थात् अभियुक्त-अपीलार्थी उससे झगड़ा करता था और उसके द्वारा अवैध रिश्ते रखे जाने का बहाना लेकर उस पर हमला भी करता था । तारीख 10 अगस्त, 2011 को शिकायतकर्ता होसल्ली क्रास स्थित एक घर में दोपहर 1.00 बजे के लगभग प्लास्टर का कार्य कर रहा था और जब वह होसल्ली क्रास के समीप स्थित एक

चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए आया तो उसे वहां यह ज्ञात हुआ कि एक मुस्लिम महिला की किसी व्यक्ति द्वारा उसकी ठोढ़ी पर गंडासे से वार करके हत्या कर दी गई है और उक्त मुस्लिम महिला को अस्पताल ले जाया गया है और यह ज्ञात होने के पश्चात् शिकायतकर्ता सरकारी अस्पताल के शवगृह में गया और वहां उसने मृतका के मृत शरीर को देखा और उसने मृतका की अपनी बहन के रूप में शनाख्त की । अस्पताल में टिप्पन्ना, पुत्र श्री रमन्ना नामक एक व्यक्ति मौजूद था जिसने शिकायतकर्ता की बहन की हत्या होते हुए देखी थी और उससे पूछताछ करने पर उसे पूर्ण घटना की जानकारी प्राप्त हुई । अपीलार्थी-अभियुक्त अपनी पत्नी को यादगिर शहर के गंज इलाके के समीप ले गया और वहां उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी । महम्मद हुसैन मृतका के भाई द्वारा फाइल की गई उक्त शिकायत को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के रूप में वर्ष 2011 के अपराध सं. 96 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । मुख्य पुलिस अन्वेषणकर्ता ने मामले का अन्वेषण करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया ।

3. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अभि. सा. 1 से अभि. सा. 26 के रूप में कुल 26 साक्षियों की परीक्षा की और उन्होंने न्यायालय के अभिलेख पर प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-28 तक को चिह्नित किया तथा इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के अभिलेख पर एमओ-1 से एमओ-8 के रूप में सारवान् वस्तुओं को भी रखा गया । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 313 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार अभियुक्त की परीक्षा की गई और उसने न्यायालय के अभिलेख पर उसके विरुद्ध मौजूद साक्ष्य से इनकार किया ।

4. अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री बाबूराव मंगाने और प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर वरिष्ठ लोक अभियोजक श्री प्रकाश येली द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना ।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह प्रतिवाद किया है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी-मृतका अलीमाबी की हत्या करने संबंधी कोई हेतु स्थापित नहीं किया है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी प्रतिवाद किया है कि अभि. सा. 9 से अभि. सा. 13 और अभि. सा. 20 घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं और उन्होंने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी प्रतिवाद किया गया है कि अभि. सा. 16, जो मृतका और अभियुक्त का पुत्र है, ने अभियुक्त और मृतका के बीच झगड़े के इस हेतु के संबंध में कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्त को अपनी पत्नी के सतीत्व के संबंध में संदेह था । विद्वान् काउंसेल ने यह भी प्रतिवाद किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दोपहर 3.00 बजे रजिस्ट्रीकृत की गई थी और उसे सायं लगभग 6.15 बजे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और इस प्रकार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने में विलंब हुआ था । विद्वान् काउंसेल ने यह प्रतिवाद किया है कि अभि. सा. 25, अर्थात् टिपन्ना को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का ध्यानपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् घटनास्थल पर घटना के समय उसकी उपस्थिति के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है और वह एक संयोगी साक्षी है तथा वह अभियुक्त और मृतका दोनों से ही परिचित नहीं है । अन्वेषण अधिकारी ने किसी प्रकार की कोई शनाख्त परीक्षा परेड आयोजित नहीं की । इसके अतिरिक्त विद्वान् काउंसेल ने यह भी प्रतिवाद किया है कि अन्वेषण में अनेक त्रुटियां/कमियां विद्यमान हैं और उन्होंने अन्वेषण में पाए गए उक्त दोषों के प्रति न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पैरा सं. 32 से 38 में लेखबद्ध किया गया है और विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अन्वेषण में विद्यमान उक्त दोष अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक हैं और केवल इसी आधार पर ही अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने के लिए हकदार है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी प्रतिवाद किया है कि घटनास्थल पर देखी गई ऑटो रिक्शा क्षतिग्रस्त

स्थिति में थी और अन्वेषण अधिकारी ने इस संबंध में किसी प्रकार का कोई अन्वेषण नहीं किया और उक्त ऑटो रिक्शा के स्वामी (अभि. सा. 18) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि कुछ लोगों ने उसे यह बताया था कि उसकी ऑटो रिक्शा एक बिजली के खंभे से टकरा गई थी और इस प्रकार उक्त ऑटो रिक्शा क्षतिग्रस्त हुई थी और उसने घटनास्थल पर अपनी ऑटो को नहीं देखा था । विद्वान् काउंसेल ने यह भी प्रतिवाद सामने रखा है कि एमओ-5 माछू अभिकथित रूप से अभियुक्त के घर से अभियुक्त की निशानदेही पर एक गन्नी बैग के साथ बरामद किया गया और उक्त माछू को बरामदगी महाजर प्रदर्श पी-5 के अधीन बरामद किया गया किन्तु अन्वेषण अधिकारी ने उक्त गन्नी बैग को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया ।

6. इसके विपरीत विद्वान् अपर वरिष्ठ लोक अभियोजक ने यह प्रतिवाद किया है कि अभि. सा. 1, अभि. सा. 15 और अभि. सा. 16 द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य स्पष्ट रूप से उस हेतु को स्थापित करता है कि जिसके कारण अभियुक्त ने अपनी पत्नी मृतका अलीमाबी की हत्या की । विद्वान् अपर वरिष्ठ लोक अभियोजक ने यह भी प्रतिवाद किया है कि यद्यपि अभि. सा. 9 से अभि. सा. 13 और अभि. सा. 20, जो इस मामले के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे, पक्षद्रोही हो गए हैं । अभि. सा. 25 भी इस मामले का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है और उसके द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य पूर्णत: विश्वसनीय है और उसने उस समय अभियुक्त की शनाख्त की थी जब उसने पुलिस थाने में अभियुक्त को देखा था और इसके अलावा उक्त साक्षी ने न्यायालय में भी अभियुक्त की शनाख्त की है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी प्रतिवाद किया है कि अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी पर हमला करने हेतु प्रयुक्त किया गया माछू उसकी निशानदेही पर बरामदगी महाजर प्रदर्श पी-5 के अधीन उसके घर से बरामद किया गया है । उन्होंने यह भी प्रतिवाद किया कि यद्यपि अन्वेषण प्रक्रिया में कुछ कमियां और दोष विद्यमान हैं किन्तु अन्वेषण में ऐसी कमियों और दोषों के बावजूद अभियोजन पक्ष ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से भली-भांति इस तथ्य को साबित किया है कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी अलीमाबी की हत्या की है ।

7. अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल तथा प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् वरिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने और अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात् विचारार्थ निम्नलिखित बिन्दु सामने आते हैं :–

> "क्या अभियोजन पक्ष सभी सुसंगत संदेहों से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने अपनी पत्नी अलीमाबी की हत्या की है ?"

8. उपरोक्त बिन्दु के संबंध में हमारा उत्तर सकारात्मक है और हमारा उत्तर निम्नलिखित कारणों पर आधारित है – इस संबंध में कोई विवाद विद्यमान नहीं है कि मृतका अलीमाबी की मृत्यु मानववध प्रकृति की है । अभि. सा. 19 चिकित्सा अधिकारी, जिसने मृतका के शव की शव परीक्षा की थी, ने यह चिकित्सीय राय व्यक्त की है कि मृतका की मृत्यु का कारण "मृतका को हुई क्षति के परिणामस्वरूप फेफड़ों में श्वास के प्रवेश के बाधित होने के कारण हृदय-श्वसनतंत्र का रुक जाना (दम घुटना) है ।"

हेतु

9. अपीलार्थी-अभियुक्त अपनी पत्नी अलीमाबी के साथ यादगिर शहर में सदरदरवाजा क्षेत्र में एक किराए के घर में निवास कर रहा था । अभि. सा. 1 मृतका का भाई है, अभि. सा. 14 मृतका की छोटी बहन है तथा अभि. सा. 15 मृतका की माता है । अभि. सा. 1 ने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त अपनी पत्नी के चरित्र और सतीत्व पर संदेह करता था और उसकी मृतक पुत्री जब कभी अपने मायके आती थी तो वह उसे इस संबंध में बताया करती थी और वह प्राय: उससे यह अनुरोध करती थी कि वह उसके घर न आए । इस संदेह के कारण अभियुक्त ने मृतका अलीमाबी की हत्या की । अभि. सा. 14 ने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि अपने निकाह के दो वर्ष पश्चात् जब अभियुक्त और मृतका यादगिर शहर में स्थानांतरित हुए तो उनके बीच अक्सर झगड़ा होता था और अभियुक्त अपनी पत्नी के चरित्र और

सतीत्व पर संदेह किया करता था और उस संदेह के आधार पर वह उस पर हमला करता था और जब कभी मृतका के नातेदार उनके घर आते थे तो वह अपनी पत्नी पर संदेह करते हुए उससे प्रश्न करता था तथा मृतका ये सब बातें उसे उस समय बताती थी जब कभी मृतका उसके घर आती थी ।

अभि. सा. 15 द्वारा इस प्रभाव का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि बालकों के जन्म के पश्चात् अभियुक्त ने अपनी पत्नी पर संदेह करना आरंभ कर दिया था और वह अपनी पत्नी पर प्राय: हमला करता था और जब कभी उसके रिश्तेदार उनके घर आते थे तो वह अपनी पत्नी से झगड़ा करता था तथा मृतका इन घटनाओं की जानकारी उसे उस समय देती थी जब वह बाजार लगने के दिन यादगिर स्थित बाजार जाती थी ।

अभि. सा. 16 अभियुक्त और मृतका पुत्र है । घटना के समय उसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी । अभि. सा. 16 ने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उसके पिता प्राय: उसकी माता पर हमला करते थे । उसके पिता उसकी माता को बीड़ी लाने हेतु बाहर भेजते थे और जब वह बीड़ी लेकर आती थी तो वह उस पर इस आधार पर हमला करता था कि वह इतने विलंब से घर लौटी है ।

अपीलार्थी-अभियुक्त के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह प्रतिवाद किया है कि अभि. सा. 16, जो अभियुक्त और मृतका का पुत्र है तथा जो अभियुक्त और मृतका के साथ ही निवास करता था, ने अभियुक्त और मृतका के बीच होने वाले किसी भी झगड़े के संबंध में कोई कथन नहीं किया है और उसने इस संबंध में भी कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी मृतका के चरित्र और सतीत्व पर संदेह करता था ।

अभि. सा. 16 घटना के समय एक 11 वर्षीय बालक था और उसकी आयु इतनी कम थी कि वह अभियुक्त द्वारा मृतका के चरित्र पर संदेह करते हुए उसके साथ झगड़ा करने की बात को समझने में असमर्थ था । इस संपूर्ण घटना का एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी है और इसलिए अपराध कारित करने का हेतु वर्तमान मामले में कुछ अधिक महत्वपूर्ण

नहीं है । तथापि, अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किया गया अपराध का हेतु अभियोजन के पक्षकथन को सुदृढ़ करता है ।

प्रत्यक्षदर्शी साक्षी

10. अभि. सा. 9 से अभि. सा. 15 और अभि. सा. 20, जो हत्या की घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे, ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया । इस प्रकार अभि. सा. 25 इस घटना का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह प्रतिवाद किया है कि अभि. सा. 25 एक संयोगी साक्षी है और उसे अभि. सा. 1 के कहने पर इस मामले में संलिप्त किया गया है और उसके द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं है । प्रदर्श पी-1 शिकायत, जिसे दोपहर लगभग 2.00 बजे फाइल किया गया, में यह कथन किया गया है कि जब अभि. सा. 1 अस्पताल गया तो अभि. सा. 25 अस्पताल में मौजूद था । अभि. सा. 24 द्वारा यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि तारीख 10 अगस्त, 2011 को दोपहर लगभग 1.30 बजे जब वह पुलिस थाने में मौजूद था तो उसे नियंत्रण कक्ष से यह संदेश प्राप्त हुआ था कि गंज क्षेत्र में एक हत्या हो गई है और उसके पश्चात् वह तुरंत वहां गया और उसे वहां यादगिर हैदराबाद सड़क पर वार्कनल्ली क्रास के समीप किसी महिला का शव पड़ा मिला था जिसने बुर्का पहना हुआ था और उस समय अभि. सा. 25 टिपन्ना घटनास्थल पर उपस्थित था और उसकी सहायता से उसने मृतका के शव को एक ऑटो रिक्शा में रखकर अस्पताल स्थानांतरित किया ।

वैंकटेश (अभि. सा. 8) उस ऑटो रिक्शा का चालक है जिसमें रखकर मृतका के शव को घटनास्थल से अस्पताल ले जाया गया था । अभि. सा. 8 द्वारा यह साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि घटना के दिन दोपहर लगभग 1.30 बजे जब वह अपने ऑटो रिक्शे में गंज क्षेत्र से स्टेशन की ओर जा रहा था तो उस समय पीएसआई ने उसे एक महिला, जो सड़क पर गिर गई थी, के शव को अस्पताल ले जाने का अनुरोध किया और वह एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के साथ उक्त शव को अपने ऑटो रिक्शे में डालकर सरकारी अस्पताल ले गया ।

अभि. सा. 25 द्वारा यह साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि वह घटना के दिन यादगिर सड़क पर नंदलाल नामक एक मारवाड़ी के घर में राज मिस्त्री का कार्य कर रहा था और दोपहर लगभग 1.00 बजे अपने कार्य को समाप्त करने के पश्चात् वह हैदराबाद सड़क पर चाय पीने के लिए आया और उस समय उसने सड़क पर एक ऑटो रिक्शा को देखा जिसे कोई व्यक्ति चला रहा था जिसमें एक महिला बैठी थी और उसके पश्चात् चालक ने ऑटो रिक्शा रोक दिया और वे दोनों ऑटो रिक्शा से नीचे उतरे और वे परस्पर झगड़ने लगे और उक्त झगड़े को देखने के लिए वहां अनेक व्यक्ति एकत्रित हो गए और उसके पश्चात् उक्त व्यक्ति (चालक) ने एक हथियार से महिला की ठोढ़ी पर प्रहार किया । अभि. सा. 25 ने यह भी अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि ठोढ़ी पर वार किए जाने के पश्चात् उक्त महिला भूमि पर गिर गई और अभियुक्त व्यक्ति मायलापुर अगासी की ओर भाग गया तथा उपरोक्त क्षति के कारण उक्त महिला की मृत्यु हो गई और घटनास्थल पर जो एम्बुलेंस आई, उसने महिला के शव को अस्पताल स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया क्योंकि तब तक महिला की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पश्चात् एक जीप के माध्यम से पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने एक ऑटो रिक्शे को रोका तथा पुलिस के अनुरोध पर उसने शव को उठाकर ऑटो रिक्शा में रखा तथा वह भी शव के साथ ऑटो रिक्शा में बैठकर सरकारी अस्पताल, यादगिर पहुंचा तथा अस्पताल पहुंचने पर उसने शव को ऑटो रिक्शा से बाहर निकाला । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 25 ने इस तथ्य को स्पष्ट किया कि उसके वस्त्रों पर रक्त के धब्बे नहीं लगे थे और वह महिला के शव के साथ ऑटो रिक्शा की पीछे वाली सीट पर बैठा था । यद्यपि उसने शव को ऑटो रिक्शा में रखा था और साथ ही अस्पताल में ऑटो रिक्शा से शव को निकाला भी था फिर भी उसके वस्त्रों पर रक्त के कोई धब्बे नहीं लगे थे । महिला के मृत शरीर के फोटो प्रदर्श पी-21 और प्रदर्श पी-22 के रूप में चिह्नित हैं । उक्त फोटो से यह स्पष्ट हो जाता है कि महिला के चेहरे पर रक्त लगा था तथा उसके वस्त्रों पर भी गर्दन के समीप रक्त के धब्बे मौजूद थे और इसलिए अभि. सा. 25 के वस्त्रों पर रक्त के निशान नहीं लगे, यद्यपि वह मृतका के शव को ऑटो रिक्शा में रखकर अस्पताल ले गया था ।

अभि. सा. 25 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी कथन किया कि झगड़े को देखकर घटनास्थल पर अनेक व्यक्ति एकत्रित हो गए थे किन्तु चालक द्वारा हथियार निकाले जाने पर वे सभी लोग वहां से भाग गए और वह भी एक दुकान के भीतर चला गया जिसके शटर को बंद कर दिया गया और उस शटर में एक छोटी खिड़की मौजूद थी जिससे उसने संपूर्ण घटना को देखा और उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि वह भागकर किस दुकान में घुसा था किन्तु उसने यह कथन किया कि उक्त दुकान में कुछ लोग बैठकर मदिरापान कर रहे थे ।

अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह प्रतिवाद किया है कि अभि. सा. 23, जो सहायक अभियंता, लोक संकर्म विभाग है, ने घटनास्थल का स्थलनक्शा तैयार किया जो प्रदर्श पी-15 के रूप में चिह्नित है और उक्त स्थलनक्शे में घटनास्थल के आस-पास किसी मदिरा की दुकान को दर्शित नहीं किया गया है । यह स्थापित करने के लिए कि यादगिर गंज चौराहे पर सड़क के किनारे एक मदिरा की दुकान मौजूद है, अभि. सा. 20 द्वारा प्रस्तुत किया गया अभिसाक्ष्य सहायता उपलब्ध करता है । यद्यपि, अभि. सा. 20 की परीक्षा एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में की गई किन्तु उसने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया । किन्तु, उसने यह कथन किया है कि वह यादगिर गंज चौराहे पर सड़क के किनारे अवस्थित मदिरा की दुकान का प्रबंधक है और वह घटना की तारीख को उक्त दुकान में मौजूद नहीं था ।

अभि. सा. 25 द्वारा यह भी अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया गया कि घटना के दिन सायं 4.00 बजे जब उसे यह ज्ञात हुआ कि पुलिस ने हत्या करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और उसे पुलिस थाने ले जाया गया है तो वह भी पुलिस थाने पहुंचा और वहां पुलिस द्वारा वह व्यक्ति दिखाए जाने पर उसने उसकी शनाख्त की ।

अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह प्रतिवाद किया है कि घटना की तारीख को सायं 4.00 बजे अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया था और उसे पुलिस थाने नहीं ले जाया गया था और इसलिए अभि. सा. 25 का इस प्रभाव

का साक्ष्य संदेहास्पद है कि उसने पुलिस थाने में अभियुक्त की शनाख्त की थी ।

अभि. सा. 24 पीएसआई ने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उसने अभियुक्त को हट्टीगुनी क्रास के समीप पकड़ा था और उसके पश्चात् वह उसे थाने ले आया और उसे मुख्य पुलिस अन्वेषणकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया तथा उसने इस संबंध में रिपोर्ट तैयार की जो प्रदर्श पी-17 के रूप में चिह्नित है और उसने जिस समय अभियुक्त को पकड़ा था उस समय सायं के लगभग चार बजे का समय था । प्रदर्श पी-17 में यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त को सायं 4.00 बजे पकड़ा गया था और उसे सायं 4.30 बजे मुख्य पुलिस अन्वेषणकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अभि. सा. 24 द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य के अनुसार अभियुक्त को सायं 4.30 बजे पुलिस थाने लाया गया था । मात्र इस कारण से कि अभि. सा. 25 ने यह कथन किया है कि वह सायं 4.00 बजे पुलिस थाने गया था, अभि. सा. 25 द्वारा प्रस्तुत किए गए इस अभिसाक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता कि उसने पुलिस थाने में अभियुक्त की शनाख्त की थी क्योंकि अभि. सा. 25 एक ग्रामीण व्यक्ति है जो राज मिस्त्री के रूप में कार्य करता है । अभि. सा. 25 ने न्यायालय में अपना अभिसाक्ष्य प्रस्तुत करते समय भी अभियुक्त को देखकर उसकी ऐसे व्यक्ति के रूप में शनाख्त की थी जिसने मृतका पर हमला किया था । अत: अन्वेषण अभिकरण द्वारा अभियुक्त की शनाख्त परेड का संचालन करने में असफल रहना न्यायालय में अभियुक्त की शनाख्त संबंधी साक्ष्य को कमजोर नहीं बनाता क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता किसी अन्वेषण अभिकरण हेतु इस बात को अनिवार्य नहीं बनाती कि वह शनाख्त परेड का आयोजन करे और न ही उक्त संहिता में इस संबंध में कोई उपबंध विद्यमान है जिसके अधीन अभियुक्त शनाख्त परेड आयोजन करने के अधिकार का दावा प्रस्तुत कर सके । उच्चतम न्यायालय ने उक्त पहलू के संबंध में **शिवशंकर सिंह** बनाम **झारखंड राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में विचार किया ।

---

[1] (2011) 3 एस. सी. सी. 654 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1403.

अभियुक्त वाहन चालक के रूप में व्यवसाय कर रहा था और वह एक किराए का ऑटो रिक्शा चलाता था । अभि. सा. 18 द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वह उस ऑटो रिक्शा का स्वामी है जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. केए 33-4507 है और उसने उक्त ऑटो रिक्शा को छह मास की अवधि के लिए 200/- रुपए प्रतिदिन के किराए पर अभियुक्त को सौंपा था और अभियुक्त मासिक आधार पर किराए संबंधी प्रभारों का संदाय कर रहा था । उक्त साक्षी द्वारा यह अभिसाक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया है कि उसका ऑटो रिक्शा घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद था और पुलिस ने उसका अभिग्रहण किया था और उसके पश्चात् उसने अपने ऑटो रिक्शा को निर्मुक्त कराया था और उसे एमओ-6 के रूप में चिह्नित किया गया है । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त साक्षी ने यह कथन किया है कि उसके पास इस प्रभाव का कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है जिससे यह तथ्य साबित किया जा सके कि अभियुक्त ने उसके ऑटो रिक्शा को किराए पर लिया था । अभि. सा. 18 की प्रतिपरीक्षा के दौरान इस तथ्य से इनकार नहीं किया गया है कि अभियुक्त ने अभि. सा. 18 के ऑटो रिक्शा को किराए पर लिया था जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. केए 33-4507 है । प्रदर्श पी-20 एक ऐसा फोटो है जिसे घटनास्थल पर लिया गया था और जिसमें केए 33-4507 रजिस्ट्रीकरण संख्या वाले ऑटो रिक्शा को देखा जा सकता है । अभियुक्त द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है कि उसका ऑटो रिक्शा घटनास्थल पर किस प्रकार पहुंचा । अभि. सा. 18 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि उसके ऑटो रिक्शा को नुकसान पहुंचा था, उसके आगे का कांच टूट गया था, उसकी छत फट गई थी और उसके हैंडल को भी नुकसान पहुंचा था । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त साक्षी ने यह कथन किया कि अड़ोस-पड़ोस के लोगों ने उसे बताया कि उसका ऑटो रिक्शा बिजली के खंभे से टकरा गया था और इसलिए वह क्षतिग्रस्त हुआ था ।

अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह प्रतिवाद किया है कि अन्वेषण अधिकारी ने इस संबंध में कोई अन्वेषण नहीं किया कि ऑटो रिक्शा किस प्रकार क्षतिग्रस्त हुआ ।

मात्र इस कारण से कि ऑटो रिक्शा के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में कोई अन्वेषण प्रक्रिया नहीं की गई अभियोजन के संपूर्ण पक्षकथन को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता । अभियुक्त ने भी इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया है कि उसका ऑटो रिक्शा किस प्रकार क्षतिग्रस्त हुआ । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त ने इस प्रतिरक्षा का भी अवलंब नहीं लिया है कि उसका ऑटो रिक्शा दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और उस दुर्घटना में उसकी पत्नी को क्षतियां कारित हुई थीं ।

माछु की बरामदगी (एमओ-5)

11. प्रदर्श पी-5 वह बरामदगी पंचनामा है जिसके अंतर्गत अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर से एमओ-5 माछु की बरामदगी की गई थी । अभि. सा. 7, प्रदर्श पी-5 बरामदगी पंचनामे का एक साक्षी है । अभि. सा. 7 ने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि सायं लगभग 6.00-6.30 बजे पुलिस ने उसे दुखनबाड़ा, हिरेअगासी स्थित अभियुक्त के घर बुलाया था और उस समय अभियुक्त ने अपने घर में छिपाकर रखे गए एक गनी बैग में से माछु को निकालकर पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया था तथा उस समय उक्त माछु पर रक्त के निशान विद्यमान थे और पुलिस ने उक्त माछु और गनी बैग का अभिग्रहण किया था और पुलिस द्वारा इस संबंध में प्रदर्श पी-5 के अनुसार महाजर को भी तैयार किया गया और उक्त साक्षी ने एमओ-5 की उक्त माछु के रूप में शनाख्त की थी जिसे प्रदर्श पी-5 के अधीन अभिगृहीत किया गया था । अभि. सा. 7 की प्रतिपरीक्षा से ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आ सका कि जिससे अभि. सा. 7 के परिसाक्ष्य को विश्वसनीय न समझा जाए ।

मृत्यु के समय मृतका द्वारा पहने हुए वस्त्र एमओ-1 से एमओ-4 के रूप में चिह्नित हैं और वे क्रमश: बुर्का, ओढ़नी, जम्पर और साड़ी के रूप में हैं । अभि. सा. 21 ने शवपरीक्षा के पश्चात् डाक्टर से उक्त वस्त्रों को प्राप्त किया था और उसके पश्चात् उसने मृतका के उक्त वस्त्रों को सीपीआई को सौंप दिया था और उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जो प्रदर्श पी-13 के रूप में चिह्नित है । प्रदर्श पी-19 न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट हैं जिसमें वस्तु सं. 1 एक माछु, वस्तु सं. 2 एक

बुर्का, वस्तु सं. 3 एक जम्पर (ब्लाउज), वस्तु सं. 4 एक साड़ी, वस्तु सं. 5 मिट्टी और वस्तु सं. 6 नमूना मिट्टी की जांच की गई थी और उक्त रिपोर्ट में यह राय व्यक्त की गई है कि वस्तु सं. 1 से 5 पर मानव रक्त पाया गया था और वस्तु सं. 6 पर किसी प्रकार का कोई रक्त नहीं पाया गया । वस्तु सं. 1 से 5 पर मानव रक्त के चिन्ह मौजूद थे जिसका रक्त समूह ए है । वस्तु सं. 2 से 4 मृतका के वस्त्र हैं और वस्तु सं. 5 रक्त से सनी मिट्टी है जिसका अभिग्रहण स्थल पंचनामा प्रदर्श पी-4 के अधीन घटनास्थल से किया गया था । वस्तु सं. 1 माछु पर पाए गए रक्त चिन्हों का रक्त समूह भी ए है जो मृतका के रक्त समूह से मेल खाता है, जो कि वस्तु सं. 2 से 4 पर पाया गया । उक्त रिपोर्ट से यह स्थापित होता है कि अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर से बरामद होने वाले माछु पर ए समूह के मानव रक्त के चिन्ह मौजूद थे । प्रदर्श पी-5 बरामदगी महाजर के अधीन बरामद किए गए गनी बैग को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न किया जाना, शनाख्त का आयोजन न किया जाना, आदि अन्वेषण प्रक्रिया में विद्यमान कुछ दोष हैं किन्तु ये दोष स्वयंमेव अभियुक्त की दोषमुक्ति का आधार नहीं हो सकते ।

उच्चतम न्यायालय ने **श्यामल घोष** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[1] वाले मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :–

> "40. *** *** ***
>
> निस्संदेह रूप से अन्वेषण प्रक्रिया में कतिपय विसंगतियां विद्यमान हैं और अन्वेषण अधिकारी रक्त से सने गनी बैग और बरामद किए गए अन्य हथियारों को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजने में असफल रहा है और इसके अतिरिक्त उसने प्रश्नगत दुकानों के फोटो भी नहीं लिए और न ही उसने उसका स्थलनक्शा तैयार किया । किन्तु अन्वेषण प्रक्रिया में विद्यमान प्रत्येक विसंगति अनिवार्य रूप से न्यायालय के लिए वह आधार उपलब्ध नहीं करा सकती जिसके कारण वह अभियुक्त को

[1] 2012 क्रिमिनल ला जर्नल 3825.

दोषमुक्त कर दे । ये इस प्रकार की विसंगतियां/दोष हैं जिनका कोई सारवान् परिणाम नहीं है । वस्तुत:, वर्तमान मामले में इस तथ्य के संबंध में कोई गंभीर विवाद विद्यमान नहीं है कि मृतक ने अपनी स्वयं की भूमि पर दुकानों का सन्निर्माण किया था । ये दुकानों घटनास्थल नहीं थी किन्तु वे मात्र वर्णनात्मक तथ्य हैं । स्थलनक्शा तैयार न करना या गनी बैगों को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षा हेतु न भेजे जाने के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि वे वर्तमान मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक हैं । निस्संदेह रूप से अभियोजन पक्षकथन के लिए निश्चित रूप से यह बेहतर होता यदि अन्वेषण अधिकारी द्वारा उक्त कदम उठाए गए होते । सी. मुनिअप्पन **बनाम** तमिलनाडु राज्य [(2010) 9 एस. सी. सी. 567 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 3718] वाले मामले में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत को अभिकथित किया है कि इस विवाद्यक के संबंध में विधिक स्थिति भलीभांति स्थापित है कि अन्वेषण में विद्यमान कोई दोष स्वयं में दोषमुक्ति के लिए आधार नहीं हो सकता । यदि इस प्रकार अन्वेषण में विद्यमान विसंगतियों को मुख्यत: प्रदान की जाए या लापरवाही से किए गए अन्वेषणों या सदोष अन्वेषण में विद्यमान लोपों या कमियों को सारवान् रूप से विचार में लिया जाए तो जनता का दांडिक न्याय प्रशासन के प्रति निष्ठा और विश्वास समाप्त हो जाएंगे । इस न्यायालय ने शिवशंकर सिंह **बनाम** झारखंड राज्य (उपरोक्त) वाले मामले में भी इसी प्रकार का मत सामने रखा था, जिसमें न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अन्वेषण अभिकरण द्वारा शनाख्त परेड के आयोजन में असफल रहने का प्रभाव यह नहीं हो सकता कि उससे न्यायालय में साक्षी द्वारा अभियुक्त की शनाख्त संबंधी साक्ष्य कमजोर हो जाए । इस प्रकार की शनाख्त को कितना बल प्रदान किया जाना चाहिए, यह एक ऐसा विषय है जिसके संबंध में न्यायालय प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थतियों को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगा । इसी प्रकार मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालयिक

विज्ञान प्रयोगशाला को जांच हेतु वस्तुएं निर्दिष्ट न किया जाना मामले के अन्वेषण की एक कमी है और इस प्रकार की कमी के कारण अनिवार्य रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अभियोजन पक्षकथन पूर्ण रूप से बलहीन है ।"

अतः, यद्यपि अन्वेषण प्रक्रिया में कुछ कमियां/दोष विद्यमान हैं किन्तु उनके आधार पर अभियुक्त दोषमुक्ति का दावा करने हेतु हकदार नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने सभी सुसंगत संदेहों से परे अभियुक्त के दोष को साबित किया है ।

12. अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का मूल्यांकन किए जाने पर हमें कोई भी ऐसा न्यायोचित कारण दिखाई नहीं देता जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए मत में कोई फेरफार की जा सके । हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षियों के अभिसाक्ष्यों का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया है । विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष विधिक साक्ष्य पर आधारित है । हमें साक्ष्य के मूल्यांकन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि या विसंगति प्रतीत नहीं होती है और न ही विचारण न्यायाधीश द्वारा लेखबद्ध किए गए निष्कर्ष हमें इस बात के लिए बाध्य करते हैं कि हम अपनी अपीली अधिकारिता का प्रयोग करते हुए विचारण न्यायाधीश के निर्णय में कोई हस्तक्षेप करें । विचारण न्यायालय ने मामले के सभी तथ्यों और पहलुओं पर गहन विचार किया है जो स्पष्ट रूप से दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में अभियुक्त के दोष को स्थापित करते हैं । परिणामतः, अपील में कोई गुण न होने के कारण वह खारिज किए जाने की दायी है । तद्नुसार, अपील खारिज की जाती है । विद्वान् जिला और सेशन न्यायाधीश, यादगिर द्वारा वर्ष 2011 के एस. सी. सं. 64 में तारीख 26 सितम्बर, 2012 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और तारीख 28 सितम्बर, 2012 के दंडादेश की पुष्टि की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

पु.

राधारमण भौमिक

बनाम

असम राज्य

(2018 की दांडिक अपील (जे.) सं. 5)

तारीख 9 फरवरी, 2021

न्यायमूर्ति मीर अलफाज अली और न्यायमूर्ति मनीष चौधरी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और धारा 300 का अपवाद सं. 4 तथा धारा 304 भाग-2 – पति-पत्नी के बीच अभिकथित झगड़े के दौरान पति द्वारा पत्नी पर रॉड से हमला किया जाना जिसके परिणामस्वरूप पत्नी की मृत्यु हो जाना – अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किए गए अपने कथन में यह अभिवाक् किया जाना कि जब उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो रहा था तो किसी अन्य व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया और उसने क्रोधित होकर उस व्यक्ति पर रॉड से हमला किया जो दुर्घटनावश उसकी पत्नी को लगा – न्यायालय के अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य और सामग्री से यह तथ्य प्रकट होता है कि अभियुक्त द्वारा जिस रॉड से अपनी पत्नी पर हमला किया गया वह घर में उपलब्ध थी और उसके द्वारा किया गया उक्त हमला झगड़े के दौरान आवेश की तीव्रता में किया गया, अत: विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 302 के अधीन की गई दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है, इसकी बजाय अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद सं. 4 के अधीन सिद्धदोष ठहराया जाना चाहिए, तदनुसार, दोषसिद्धि के उक्त आदेश को उपांतरित करके अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 302 के बजाय धारा 304 के भाग-2 के अधीन दंडादिष्ट किया जाता है ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने मृतक महिला से विवाह किया और उक्त विवाह से उनके दो बालकों का भी जन्म हुआ, तथापि, उनका वैवाहिक

जीवन खुशियों भरा नहीं था और अंततोगत्वा घटना की तारीख को अपीलार्थी ने अपनी पत्नी, अर्थात् मृतक महिला से धन की मांग करते हुए उस पर हमला किया जिसके कारण पीड़ित महिला को गंभीर क्षतियां कारित हुईं जिसके कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, जो प्रदर्श-1 के रूप में चिन्हित है, मुन्ना दास द्वारा दर्ज कराई गई तथा उसके आधार पर करीमगंज पुलिस थाने में दंड संहिता की धारा 498क/304ख के अधीन अपराध मामला सं. 604/2014 को रजिस्टर किया गया तथा उक्त मामले का अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने अपीलार्थी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया । विचारण के अनुक्रम में विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप विरचित किए जिनसे अभियुक्त-अपीलार्थी ने इनकार किया । विचारण पूरा होने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्त-अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराते हुए उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उसे चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – उच्च न्यायालय की सुविचारित राय में अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और साथ ही चिकित्सा संबंधी साक्ष्य, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन लेखबद्ध किए गए अभियुक्त-अपीलार्थी के कथन के साथ स्पष्ट रूप से इस संदेह को स्पष्ट करते हैं कि अपीलार्थी ने ही पीड़ित महिला को क्षति कारित की थी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई । तथापि, न्यायालय के अभिलेखों और अभि. सा. 4 तथा अभि. सा. 5 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में अपीलार्थी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसके तथा पीड़ित महिला के बीच झगड़ा हुआ था । अभियुक्त द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत की गई झगड़े की स्वीकारोक्ति और उसके द्वारा झगड़े के कारण के संबंध में सामने रखा गया स्पष्टीकरण, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य के साथ यह प्रदर्शित करता है कि झगड़े के दौरान

अपीलार्थी ने एक रॉड, जो उसके घर में उपलब्ध थी, से आवेश की तीव्रता में अपनी पत्नी पर वार किया था जिससे उसकी पत्नी को गंभीर क्षति कारित हुई थी । स्पष्टतया, अपीलार्थी ने कोई दूसरा वार नहीं किया । प्रयुक्त हथियार की प्रकृति, अपीलार्थी द्वारा किया गया एकमात्र वार और यह तथ्य कि पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी ने उस पर हमला किया, ये सभी तथ्य स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित करते हैं कि अभियुक्त की ओर से पीड़ित महिला, जो उसकी पत्नी थी, की मृत्यु कारित करने या उसे कोई ऐसी क्षति कारित करने जिसके कारण उसकी मृत्यु होने की संभावना हो, का कोई इरादा विद्यमान नहीं था । स्पष्टतया, झगड़े के दौरान आवेश की तीव्रता में क्षति कारित की गई थी । उच्च न्यायालय के सुविचारित मत में वर्तमान मामला दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद सं. 4 के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस प्रकार अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी को ऐसी क्षति, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, कारित करके किया गया अपराध हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध की परिभाषा के अंतर्गत आता है । जब मृत्यु कारित करने का इरादा विद्यमान नहीं था या ऐसी कोई क्षति कारित करने का इरादा भी विद्यमान नहीं था, जिसके कारण मृत्यु होने की संभावना हो, इसलिए विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा दंड संहिता की धारा 302 के अधीन लेखबद्ध की गई दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है । तद्नुसार, उच्च न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन लेखबद्ध की गई अपीलार्थी की दोषसिद्धि को अपास्त किया । इसकी बजाय उच्च न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 304 के भाग-2 के अधीन सिद्धदोष ठहराया । न्यायालय के अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी लगभग 7 (सात) वर्षों से कारागार में है और इस प्रकार उच्च न्यायालय का यह मत है कि अपीलार्थी ने उसके द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता की तुलना में पहले ही कारागार की अभिरक्षा में पर्याप्त समय व्यतीत कर लिया है । तद्नुसार, उच्च न्यायालय ने कारावास के दंडादेश को उपांतरित किया और अपीलार्थी को ऐसी अवधि के कारावास से दंडादिष्ट किया जो उसने मामले के

अन्वेषण और विचारण के दौरान पहले ही कारागार में व्यतीत कर ली है । उच्च न्यायालय जुर्माने का संदाय न किए जाने पर दिए गए व्यतिक्रम दंडादेश को भी घटाकर 15 दिन किया । जुर्माने के सम्यक् संदाय पर या व्यतिक्रम दंडादेश को पूरा करने पर अपीलार्थी को, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, निर्मुक्त किया जाएगा । अपील को आंशिक रूप से मंजूर किया जाता है । (पैरा 11 और 12)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील (जे.) सं. 5.

वर्तमान दांडिक (जेल) अपील अपीलार्थी द्वारा विद्वान् सेशन न्यायाधीश, करीमगंज द्वारा सेशन मामला सं. 20/2015 में तारीख 25 सितम्बर, 2017 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

अपीलार्थी की ओर से डा. बी. एन. गोगोई, विद्वान् न्यायमित्र

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एम. फुकन, विद्वान् अपर लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति मीर अलफाज अली ने दिया ।

न्या. अली – अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् न्यायमित्र डा. बी. एन. गोगोई और प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री एम. फुकन को सुना ।

2. वर्तमान दांडिक (जेल) अपील अपीलार्थी द्वारा विद्वान् सेशन न्यायाधीश, करीमगंज द्वारा सेशन मामला सं. 20/2015 में तारीख 25 सितम्बर, 2017 को पारित उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 302 के अधीन सिद्धदोष ठहराया तथा उसे आजीवन कठोर कारावास तथा व्यतिक्रम अनुबंध के साथ 500/- रुपए के जुर्माने से दंडादिष्ट किया गया ।

3. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से दर्शित होने वाला अभियोजन पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने मृतक महिला से विवाह किया

और उक्त विवाह से उनके दो बालकों का भी जन्म हुआ, तथापि, उनका वैवाहिक जीवन खुशियों भरा नहीं था और अंततोगत्वा घटना की तारीख को अपीलार्थी ने अपनी पत्नी, अर्थात् मृतक महिला से धन की मांग करते हुए उस पर हमला किया जिसके कारण पीड़ित महिला को गंभीर क्षतियां कारित हुईं जिसके कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, जो प्रदर्श-1 के रूप में चिन्हित है, मुन्ना दास द्वारा दर्ज कराई गई तथा उसके आधार पर करीमगंज पुलिस थाने में दंड संहिता की धारा 498क/304ख के अधीन अपराध मामला सं. 604/2014 को रजिस्टर किया गया तथा उक्त मामले का अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने अपीलार्थी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

4. विचारण के अनुक्रम में विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप विरचित किए जिनसे अभियुक्त-अपीलार्थी ने इनकार किया । अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोपों को स्थापित करने हेतु 9 (नौ) साक्षियों की परीक्षा की । अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की समाप्ति पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी की परीक्षा की गई, जिसमें अपीलार्थी ने इस अभिवाक् का अवलंब लिया कि जब उसके और उसकी पत्नी के बीच कतिपय कुटुम्ब संबंधी मुद्दों पर झगड़ा हो रहा था उसी समय जॉयधर नामक एक व्यक्ति ने उनके झगड़े में हस्तक्षेप किया, जिसके कारण अपीलार्थी उद्वेलित/क्रोधित हो गया और उसने क्रोधवश जॉयधर पर एक रॉड से वार करने का प्रयास किया । इसी दौरान पीड़ित महिला उन दोनों के बीच आ गई और अपीलार्थी द्वारा किया गया वार पीड़ित महिला के सिर पर लगा जिसके कारण उसे क्षति कारित हुई । इस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपीलार्थी के कथन में उसने यह अभिवाक् किया है कि उसका आशय अपनी पत्नी (पीड़ित महिला) को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना नहीं था और पीड़ित महिला को क्षति दुर्घटनावश कारित हुई थी । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने न्यायालय के अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य और सामग्रियों का मूल्यांकन करके अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराया तथा ऊपर उपदर्शित किए गए अनुसार उसे दंडादिष्ट किया ।

5. विद्वान् न्यायमित्र ने आक्षेपित निर्णय पर हमला करते हुए विद्वान् विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष के प्रति कोई विवाद नहीं किया, जिसके द्वारा न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि पीड़ित महिला को हुई वह क्षति, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, अपीलार्थी द्वारा कारित की गई थी । तथापि, विद्वान् न्यायमित्र ने यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का आशय पीड़ित महिला की मृत्यु कारित करना नहीं था और इस प्रकार दंड संहिता की धारा 300 के अधीन यथापरिभाषित हत्या के अपराध से संबंधित घटक मौजूद नहीं हैं । अत:, विद्वान् विचारण न्यायालय को अपीलार्थी की दोषसिद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन लेखबद्ध नहीं करनी चाहिए थी । विद्वान् न्यायमित्र के अनुसार, अधिकाधिक यह मामला हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध की प्रकृति का है और यह अपराध दंड संहिता की धारा 304 के भाग-2 के अधीन दंडनीय अपराध है ।

6. साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने मुख्यत: अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5, जो मृतका के बालक हैं के मौखिक परिसाक्ष्य का अवलंब लिया और साथ ही विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने चिकित्सा संबंधी साक्ष्य तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन लेखबद्ध किए गए अभियुक्त-अपीलार्थी के कथन का भी अवलंब लिया ।

7. अभि. सा. 4 ने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया कि प्रात: जब वह सो कर उठी तो उसने यह देखा कि उसके माता-पिता आपस में झगड़ा कर रहे हैं । पीड़ित महिला ने उसे अपना मुख धोने हेतु भेजा । तद्नुसार, मुख धोने के पश्चात् वह बाहर आई और उस समय उसकी माता ने बर्तनों को साफ करना आरंभ कर दिया था । उसी समय उसने अपनी माता के चिल्लाने की आवाज सुनी और वह तुरंत दौड़ कर घटनास्थल पर पहुंची और उसने घटनास्थल पर यह देखा कि उसकी माता भूमि पर गिर रही है । उसने यह भी देखा कि उसका पिता अपने हाथ में पकड़ी रॉड को फेंककर घटनास्थल से भाग रहा है । उसने तुरंत अपने मामा (अभि. सा. 1) को इस घटना की सूचना दी । अभि. सा. 4, जो स्वयं अभियुक्त की पुत्री है, द्वारा प्रस्तुत किया गया उसका उक्त कथन पूर्ण विचारण के दौरान विश्वसनीय और अकाट्य बना रहा ।

8. पीड़ित महिला के पुत्र (अभि. सा. 5) ने भी इससे मिलता-जुलता कथन किया है कि उसने प्रात: उठकर यह देखा था कि उसके माता-पिता में झगड़ा हो रहा है और जब वह अपने मुख धोने के लिए गया तो उसने अपनी माता के चिल्लाने की आवाज सुनी और वह तुरंत कक्ष में आया और उसने यह देखा कि उसकी माता (पीड़ित महिला) भूमि पर गिरी हुई है । उसने यह भी कथन किया उसने अपीलार्थी को भी अपने हाथ में पकड़ी रॉड को फेंककर कक्ष से हड़बड़ाकर भागते हुए देखा था ।

9. शवपरीक्षा करने वाले डाक्टर (अभि. सा. 8) ने मृतका के शरीर पर केवल एक ही क्षति को पाया, जो मृतका के सिर पर मौजूद थी और जो डाक्टर की राय के अनुसार किसी भोंथर वस्तु से कारित की गई थी ।

10. जैसा कि पहले ही ऊपर उपदर्शित किया गया है, अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में इस बात का अवलंब लिया है कि जब पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था तो जॉयधर नाम व्यक्ति ने उनके झगड़े में हस्तक्षेप किया, जिसके उपरांत वह क्रोधित हो गया और उसने एक रॉड से जॉय-धर पर हमला किया, जिसका वार दुर्घटनावश पीड़ित महिला पर हो गया । यह एक स्थापित विधि है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन लेखबद्ध किया गया कथन यद्यपि कोई सही मायने में साक्ष्य नहीं है किन्तु ऐसे कथन का उपयोग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 की उपधारा (4) को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त के लिए या उसके विरुद्ध किया जा सकता है । अत:, अभि. सा. 4 तथा अभि. सा. 5 द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य तथा स्वयं अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन लेखबद्ध किए गए उसके कथन से स्पष्ट रूप से यह स्थापित होता है कि पीड़ित महिला को हुई क्षति अपीलार्थी द्वारा कारित की गई थी । इसके अतिरिक्त, चिकित्सा संबंधी साक्ष्य भी उक्त क्षति कारित करने में प्रयुक्त हथियार के संबंध में अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य की पुष्टि करता है और इस प्रकार यह बात भी भलीभांति स्थापित हो जाती है कि पीड़ित महिला को हुई क्षति स्वयं अपीलार्थी द्वारा ही कारित की गई थी ।

11. यद्यपि, अपीलार्थी द्वारा इस प्रतिरक्षा का अवलंब लिया गया है कि उसके द्वारा पीड़ित महिला को कारित की गई क्षति दुर्घटनावश कारित हुई थी और उसका इरादा अपनी पत्नी पर हमला करने का नहीं था, किन्तु अपीलार्थी द्वारा घटनास्थल पर जॉयधर नामक व्यक्ति की उपस्थिति को स्थापित करने के संबंध में कोई सारवान् सामग्री या साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाया जा सका है । हम इस विधिक स्थिति के प्रति सचेत हैं कि अपीलार्थी के लिए अपनी प्रतिरक्षा को स्थापित करने हेतु कोई प्रत्यक्ष या सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है । उसकी प्रतिरक्षा को अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य तथा सामग्री से भी साबित किया जा सकता है । किन्तु, हमें अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य अथवा सामग्री नहीं प्राप्त हुई जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा के दौरान अभियुक्त द्वारा किए गए अभिवाक् को स्थापित करती हो । अतः, हमारी सुविचारित राय में अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और साथ ही चिकित्सा संबंधी साक्ष्य, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन लेखबद्ध किए गए अभियुक्त-अपीलार्थी के कथन के साथ स्पष्ट रूप से इस संदेह को स्पष्ट करते हैं कि अपीलार्थी ने ही पीड़ित महिला को क्षति कारित की थी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई । तथापि, न्यायालय के अभिलेखों और अभि. सा. 4 तथा अभि. सा. 5 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में अपीलार्थी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसके तथा पीड़ित महिला के बीच झगड़ा हुआ था । अभियुक्त द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत की गई झगड़े की स्वीकारोक्ति और उसके द्वारा झगड़े के कारण के संबंध में सामने रखा गया स्पष्टीकरण, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य के साथ यह प्रदर्शित करता है कि झगड़े के दौरान अपीलार्थी ने एक रॉड, जो उसके घर में उपलब्ध थी, से आवेश की तीव्रता में अपनी पत्नी पर वार किया था जिससे उसकी पत्नी को गंभीर क्षति कारित हुई थी । स्पष्टतया, अपीलार्थी ने कोई दूसरा वार नहीं किया । प्रयुक्त हथियार की प्रकृति, अपीलार्थी द्वारा किया गया एकमात्र वार और यह तथ्य कि पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था जिसके

परिणामस्वरूप अपीलार्थी ने उस पर हमला किया, ये सभी तथ्य स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित करते हैं कि अभियुक्त की ओर से पीड़ित महिला, जो उसकी पत्नी थी, की मृत्यु कारित करने या उसे कोई ऐसी क्षति कारित करने जिसके कारण उसकी मृत्यु होने की संभावना हो, का कोई इरादा विद्यमान नहीं था । स्पष्टतया, झगड़े के दौरान आवेश की तीव्रता में क्षति कारित की गई थी । अतः, हमारे सुविचारित मत में वर्तमान मामला दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद सं. 4 के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस प्रकार अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी को ऐसी क्षति, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, कारित करके किया गया अपराध हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध की परिभाषा के अंतर्गत आता है । जब मृत्यु कारित करने का इरादा विद्यमान नहीं था या ऐसी कोई क्षति कारित करने का इरादा भी विद्यमान नहीं था, जिसके कारण मृत्यु होने की संभावना हो, इसलिए विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा दंड संहिता की धारा 302 के अधीन लेखबद्ध की गई दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।

12. तद्नुसार, हम दंड संहिता की धारा 302 के अधीन लेखबद्ध की गई अपीलार्थी की दोषसिद्धि को अपास्त करते हैं । इसकी बजाय हम अभियुक्त-अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 304 के भाग-2 के अधीन सिद्धदोष ठहराते हैं । न्यायालय के अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी लगभग 7 (सात) वर्षों से कारागार में है और इस प्रकार हमारा यह मत है कि अपीलार्थी ने उसके द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता की तुलना में पहले ही कारागार की अभिरक्षा में पर्याप्त समय व्यतीत कर लिया है । तद्नुसार, हम कारावास के दंडादेश को उपांतरित करते हैं और अपीलार्थी को ऐसी अवधि के कारावास से दंडादिष्ट करते हैं जो उसने मामले के अन्वेषण और विचारण के दौरान पहले ही कारागार में व्यतीत कर ली है । हम जुर्माने का संदाय न किए जाने पर दिए गए व्यतिक्रम दंडादेश को भी घटाकर 15 दिन करते हैं । जुर्माने के सम्यक् संदाय पर या व्यतिक्रम दंडादेश को पूरा करने पर अपीलार्थी को, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, निर्मुक्त किया जाएगा । अपील को आंशिक रूप से मंजूर किया जाता है ।

13. हम डा. बी. एन. गोगोई, विद्वान् न्यायमित्र द्वारा दी गई सहायता की अनुशंसा करते हुए यह उपबंध करते हैं कि वह वृत्तिक फीस के रूप में 7,500/- रुपए की धनराशि का हकदार होगा, जिसका संदाय गुवाहाटी उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा इस निर्णय की एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर किया जाएगा ।

14. निचले न्यायालय के अभिलेख को वापस भेज दिया जाए ।

अपील आंशिक रूप से मंजूर की जाती है ।

पु.

(2021) 2 दा. नि. प. 193 **त्रिपुरा**

बिमल डे

बनाम

त्रिपुरा राज्य

(2019 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 71)

तारीख 8 जनवरी, 2021

न्यायमूर्ति एस. जी. चट्टोपाध्याय

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 341 और धारा 324 – अभियुक्त पर सदोष अवरोध तथा खतरनाक हथियार द्वारा उपहति कारित करने का आरोप लगाया जाना – अभिकथित रूप से अभियुक्त ने पीड़ित महिला के मार्ग को अवरूद्ध किया, उससे गाली-गलौज की, उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और उसके पश्चात् उसके गाल पर वार किया तथा उसके पश्चात् वह वहां से भाग गया – पीड़ित महिला द्वारा स्पष्ट रूप से यह साक्ष्य दिया जाना कि अभियुक्त व्यक्ति ने दाव से उसके बाएं गाल पर वार किया था जिसके परिणामस्वरूप उसे छिन्न घाव कारित हुआ – पीड़ित महिला के साक्ष्य की चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा अभिपुष्टि होना – अन्य अभियोजन साक्षियों द्वारा भी पीड़ित महिला के

कथन का समर्थन किया जाना तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत समग्र साक्ष्य से पीड़ित महिला की कहानी को सुदृढ़ परिस्थितिजन्य बल प्राप्त होना – इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध सफलतापूर्वक आरोपों को सभी सुसंगत संदेह से परे साबित किया गया है और परिणामत: अभियुक्त की दोषसिद्धि सर्वथा उचित है ।

वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि श्रीमती सीमा दास, पुत्री दिवंगत श्री जगत दास, निवासी गबताली, बेलोनिया ने तारीख 17 नवम्बर, 2008 को पीआर बारी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के पास एक लिखित शिकायत दर्ज की, जिसमें अन्य बातों के साथ, यह अभिकथन किया गया कि जब वह तारीख 13 नवम्बर, 2008 को अपराह्न लगभग 3.30 बजे एक निकट स्थित पानी के स्रोत से पीने का पानी भरकर घर वापस आ रही थी उसी समय याची ने आकर उसका मार्ग अवरुद्ध किया तथा उसने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी । जब उसने विरोध किया तो अभियुक्त ने उसके गाल पर दाव (एक तेज धार वाला हथियार) से वार किया । उसकी चीख-पुकार सुनकर अड़ोस-पड़ोस के व्यक्ति उसे बचाने के लिए घटनास्थल पर आए । उन्हें देखकर अभियुक्त/याची घटनास्थल से भाग गया । उसके पश्चात् आहत इत्तिलाकर्ता को निहार नगर अस्पताल ले जाया गया । अस्पताल से घर वापस आने पर उसे यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्त/याची ने उस पर हमला करने के पश्चात् उसके घर में भी लूटपाट की । उसके द्वारा दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर दंड संहिता की धारा 341, 326, 447, 427 और 506 के अधीन पीआर बारी पुलिस थाने में वर्ष 2008 का मामला सं. 132 रजिस्टर किया गया और उक्त मामले का अन्वेषण कार्य आरंभ किया गया । श्री रंजित कुमार दत्ता, पीआर बारी पुलिस थाने में तैनात पुलिस उप निरीक्षक ने मामले का संपूर्ण अन्वेषण किया । उसके द्वारा किए गए अन्वेषण से यह तथ्य प्रकट हुआ कि अभियुक्त/याची ने घटना की तारीख को अभिकथित घटनास्थल पर इत्तिलाकर्ता पर आक्रमण किया तथा उस पर हमला करके उसे आहत करने के पश्चात् उसने उसके गृह में भी अतिचार किया तथा उसकी घर की वस्तुओं को हानि पहुंचाकर

रिष्टि का अपराध कारित किया । अन्वेषण अधिकारी द्वारा किए गए अन्वेषण के आधार पर उसने न्यायालय में अभियुक्त/याची के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 341, 447, 427 और 506 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए तारीख 30 नवम्बर, 2008 को वर्ष 2018 का आरोप पत्र सं. 110 फाइल किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/याची के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 341, 447, 427 और 506 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए आरोप विरचित किए । अभियुक्त ने आरोपों का दोषी न होने का अभिवाक् किया तथा विचारण का दावा किया । विचारण पूरा होने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने याची को सिद्धदोष ठहराते हुए उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर याची ने उसे सेशन न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील फाइल की । किन्तु सेशन न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए अपील खारिज कर दी । याची ने वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में सेशन न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी है । उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में यह तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित हुआ है कि अभियुक्त ने पीड़ित महिला पर दाव से हमला किया था । इस संबंध में पीड़ित महिला द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को पर्याप्त रूप से श्री सुधन दत्ता द्वारा दिए गए साक्ष्य से अभिपुष्टि प्राप्त हुई है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 3, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 द्वारा दिए गए साक्ष्य ने पीड़ित महिला के साक्ष्य को सुदृढ़ रूप से परिस्थितिजन्य समर्थन प्रदान किया है । स्पष्ट रूप से पीड़ित महिला को घटना के तुरंत पश्चात् निहार नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया था जहां डाक्टर ने उसकी जांच की और उसका उपचार किया । डाक्टर द्वारा तैयार की गई क्षति/चिकित्सा रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह साबित किया है कि पीड़ित महिला को पिछले साढ़े तीन घंटे के भीतर उसके चेहरे के बाईं ओर एक छिन्न घाव कारित किया गया था और उक्त क्षति एक धारदार वस्तु द्वारा कारित की गई थी । सभी अभियोजन साक्षियों की अभियुक्त द्वारा ब्यौरेवार गहन प्रतिपरीक्षा की गई थी किन्तु उक्त

प्रतिपरीक्षा उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य में किसी भी प्रकार के किसी दोष या त्रुटि को सामने लाने में असफल रही । याची के विद्वान् काउंसेल की इस दलील में कोई गुण विद्यमान नहीं है कि सारवान् साक्षियों की परीक्षा नहीं की गई । अत:, निचले न्यायालयों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने हेतु कोई कारण विद्यमान नहीं है । परिणामत: याचिका खारिज की जाती है । सिद्धदोष याची को यह निदेश दिया जाता है कि वह आज से दो मास के भीतर विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करे और अपने दंडादेश को पूरा करे, जिसमें असफल रहने पर विद्वान् विचारण न्यायालय उसके द्वारा दंडादेश के भोगे जाने के सुनिश्चित करने हेतु विधि के अनुसार उपाय करेगा । इस प्रकार, वर्तमान मामले का निपटारा किया जाता है । निचले न्यायालय के अभिलेख को वापस भेज दिया जाए । (पैरा 21, 22, 23 और 24)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 71.

वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका विद्वान् सेशन न्यायाधीश, दक्षिण त्रिपुरा, बेलोनिया द्वारा वर्ष 2018 की दांडिक अपील सं. 16 में तारीख 28 जून, 2019 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके माध्यम से उन्होंने विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बेलोनिया, दक्षिण त्रिपुरा द्वारा याची के विरुद्ध पारित तारीख 29 मई, 2018 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश की पुष्टि की थी ।

याची की ओर से श्री आर. जी. चक्रवर्ती

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एस. घोष, अपर लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति एस. जी. चट्टोपाध्याय – वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका विद्वान् सेशन न्यायाधीश, दक्षिण त्रिपुरा, बेलोनिया द्वारा वर्ष 2018 की दांडिक अपील सं. 16 में तारीख 28 जून, 2019 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके माध्यम से उन्होंने विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बेलोनिया, दक्षिण त्रिपुरा द्वारा याची को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में

'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 341 और 324 के अधीन सिद्धदोष ठहराने वाले तारीख 29 मई, 2018 के निर्णय तथा दंड संहिता की धारा 341 के अधीन 300/- रुपए के जुर्माने और 10 (दस) दिन के साधारण कारावास तथा दंड संहिता की धारा 324 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए 6 (छह) मास के कठोर कारावास के दंडादेश की पुष्टि की थी ।

2. वर्तमान मामले के तथ्य निम्नानुसार हैं –

श्रीमती सीमा दास, पुत्री दिवंगत श्री जगत दास, निवासी गबताली, बेलोनिया ने तारीख 17 नवम्बर, 2008 को पीआर बारी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के पास एक लिखित शिकायत दर्ज की, जिसमें अन्य बातों के साथ, यह अभिकथन किया गया कि जब वह तारीख 13 नवम्बर, 2008 को अपराह्न लगभग 3.30 बजे एक निकट स्थित पानी के स्रोत से पीने का पानी भरकर घर वापस आ रही थी उसी समय याची ने आकर उसका मार्ग अवरुद्ध किया तथा उसने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी । जब उसने विरोध किया तो अभियुक्त ने उसके गाल पर दाव (एक तेज धार वाला हथियार) से वार किया । उसकी चीख-पुकार सुनकर अड़ोस-पड़ोस के व्यक्ति उसे बचाने के लिए घटनास्थल पर आए । उन्हें देखकर अभियुक्त/याची घटनास्थल से भाग गया । उसके पश्चात् आहत इत्तिलाकर्ता को निहार नगर अस्पताल ले जाया गया । अस्पताल से घर वापस आने पर उसे यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्त/याची ने उस पर हमला करने के पश्चात् उसके घर में भी लूटपाट की ।

3. उसके द्वारा दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर दंड संहिता की धारा 341, 326, 447, 427 और 506 के अधीन पीआर बारी पुलिस थाने में वर्ष 2008 का मामला सं. 132 रजिस्टर किया गया और उक्त मामले का अन्वेषण कार्य आरंभ किया गया ।

4. श्री रंजित कुमार दत्ता, पीआ बारी पुलिस थाने में तैनात पुलिस उप निरीक्षक ने मामले का संपूर्ण अन्वेषण किया । उसके द्वारा किए गए अन्वेषण से यह तथ्य प्रकट हुआ कि अभियुक्त/याची ने घटना की

तारीख को अभिकथित घटनास्थल पर इत्तिलाकर्ता पर आक्रमण किया तथा उस पर हमला करके उसे आहत करने के पश्चात् उसने उसके गृह में भी अतिचार किया तथा उसकी घर की वस्तुओं को हानि पहुंचाकर रिष्टि का अपराध कारित किया । अन्वेषण अधिकारी द्वारा किए गए अन्वेषण के आधार पर उसने न्यायालय में अभियुक्त/याची के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 341, 447, 427 और 506 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए तारीख 30 नवम्बर, 2008 को वर्ष 2018 का आरोप पत्र सं. 110 फाइल किया ।

5. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/याची के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 341, 447, 427 और 506 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए आरोप विरचित किए । अभियुक्त ने आरोपों का दोषी न होने का अभिवाक् किया तथा विचारण का दावा किया ।

6. मामले के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए 8 (आठ) साक्षियों की परीक्षा की तथा 4 (चार) दस्तावेजों को अभिलेख पर रखा । अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को लेखबद्ध करने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा की गई । अपने उत्तर में अभियुक्त/याची ने अपने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और यह दावा किया कि उस पर मिथ्या आरोप लगाए गए हैं । विद्वान् विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए कथन को लेखबद्ध किया । अभियुक्त ने अपने प्रतिरक्षा में किसी साक्ष्य को प्रस्तुत करने से इनकार किया ।

7. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त/याची दंड संहिता की धारा 341 और 324 के अधीन दंडनीय अपराधों का दोषी है और विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को उक्त अपराधों हेतु सिद्धदोष ठहराया । इस प्रकार, दोषसिद्धि के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध यह दंडादेश पारित किया गया कि वह दंड संहिता की धारा 341 के अधीन

दंडनीय अपराध के लिए व्यतिक्रम अनुबंध के साथ 300/- रुपए के जुर्माने का संदाय करेगा और साथ ही वह दंड संहिता की धारा 324 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए 6 (छह) मास के कठोर कारावास को भोगेगा । अभियुक्त/याची द्वारा अपील किए जाने पर विद्वान् सेशन न्यायाधीश, दक्षिण त्रिपुरा, बेलोनिया ने अपने आक्षेपित आदेश द्वारा अभियुक्त की दोषसिद्धि के निर्णय और उसके विरुद्ध पारित दंडादेश की पुष्टि की । अत:, इसके परिणामस्वरूप याची द्वारा वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका फाइल की गई ।

8. मैंने याची के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री आर. जी. चक्रवर्ती और प्रत्यर्थी राज्य के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री एस. घोष द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुना ।

9. अभियुक्त/याची की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री आर. जी. चक्रवर्ती ने जोर-शोर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि याची को वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है जैसा कि अभिलेख के परिशीलन मात्र से ही प्रकट होता है । विद्वान् काउंसेल श्री चक्रवर्ती के अनुसार इत्तिलाकर्ता पर अभिकथित रूप से याची द्वारा तारीख 13 नवम्बर, 2018 को हमला किया गया था और उसी दिन इत्तिलाकर्ता को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी किन्तु पुलिस थाना इत्तिलाकर्ता के घर से अत्यंत निकट होने के बावजूद उसके द्वारा तारीख 17 नवम्बर, 2008 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । विद्वान् काउंसेल श्री चक्रवर्ती ने यह दलील दी है कि ऐसी परिस्थितियों में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने में हुए 4 (चार) दिन के विलंब के संबंध में अभियोजन पक्ष को उचित रूप से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराना चाहिए और ऐसे स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में याची/अभियुक्त की दोषसिद्धि और उसके विरुद्ध पारित दंडादेश त्रुटिपूर्ण हैं और वे अपास्त किए जाने के लिए दायी हैं । अभियुक्त/याची की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील प्रस्तुत की है कि घटनास्थल के आस-पास के घरों में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति की अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा नहीं की गई है, जिससे यह उपदर्शित होता है कि यह मामला पूर्णतया मिथ्या है

क्योंकि यदि अड़ोस-पड़ोस के व्यक्तियों को साक्षियों के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता तो उनकी परीक्षा किए जाने पर मामले के मिथ्या होने संबंधी तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट हो जाता । विद्वान् काउंसेल श्री चक्रवर्ती ने यह भी दलील प्रस्तुत की है कि पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती किए जाने तथा अस्पताल में उसके द्वारा उपचार प्राप्त करने संबंधी तथ्य को भी स्थापित नहीं किया जा सका है क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर इस प्रभाव का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि घटनास्थल से कौन व्यक्ति पीड़ित महिला को अस्पताल ले गया और किसने उसे अस्पताल में भर्ती कराया । अभियुक्त/याची की ओर से यह प्रतिवाद भी प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि पीड़ित महिला पर अभिकथित रूप से अभियुक्त/याची द्वारा दाव के साथ हमला किया गया था और जिसके परिणामस्वरूप उसे हुई क्षति से रक्तस्राव भी हुआ था तो ऐसी परिस्थितियों में पीड़ित महिला द्वारा पहने हुए वस्त्रों का अभिग्रहण किया जाना चाहिए था और साथ ही अन्वेषण अभिकरण को अपराध हेतु प्रयुक्त हथियार की बरामदगी और उसके अभिग्रहण का प्रयास करना चाहिए था ताकि इन तथ्यों को विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष साबित किया जा सके । किन्तु अन्वेषण अभिकरण द्वारा न तो पीड़ित महिला द्वारा घटना के समय पहने हुए वस्त्रों का अभिग्रहण किया गया और न ही उसने अपराध के लिए प्रयुक्त हथियार की बरामदगी और उसका अभिग्रहण किया । ऐसी परिस्थितियों में विचारण न्यायालय को पीड़ित महिला पर अभिकथित रूप से हमला किए जाने की मिथ्या कहानी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त/याची की ओर से यह दलील दी गई है कि स्वीकार्य रूप से अभियुक्त/याची तथा इत्तिलाकर्ता के बीच काफी लंबे समय से कोई संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है और संभवतः, इसी कारणवश इत्तिलाकर्ता ने अभियुक्त/याची को मिथ्या रूप से वर्तमान मामले में फंसाने का प्रयास किया है । याची के विद्वान् काउंसेल श्री आर. जी. चक्रवर्ती ने न्यायालय का ध्यान अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में विद्यमान विभिन्न विसंगतियों की ओर आकर्षित किया है और यह दलील प्रस्तुत की है कि विद्वान् विचारण

न्यायालय उन विसंगतियों को विचार में लेने में असफल रहा है । विद्वान् काउंसेल श्री चक्रवर्ती के अनुसार चूंकि अभियुक्त/याची की दोषसिद्धि और उसके विरुद्ध पारित दंडादेश साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर आधारित नहीं हैं इसलिए आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने के लिए दायी है ।

10. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री एस. घोष ने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष द्वारा मामले के विचारण के दौरान परीक्षा किए गए साक्ष्यों द्वारा पुष्टीकारक और संगत साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन के आधार पर अभियुक्त/याची को दोषी ठहराया है और तद्नुसार उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया गया जिसकी विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय के माध्यम से अभिपुष्टि भी की गई । विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री घोष के अनुसार निचले न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने हेतु कोई युक्तियुक्त कारण विद्यमान नहीं है और इस प्रकार वर्तमान पुनरीक्षण के दौरान आक्षेपित निर्णय में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

11. जैसा कि उल्लेख किया गया है वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा 8 (आठ) अभियोजन साक्षियों की परीक्षा की गई । उनमें एक साक्षी श्रीमती सीमा दास (अभि. सा. 1) स्वयं पीड़ित महिला है जिसने पुलिस थाने में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी । अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान अभि. सा. 1 ने इस बात पर बल दिया कि तारीख 13 नवम्बर, 2008 को अपराह्न लगभग 3.30 बजे जब वह एक निकट स्थित जल स्रोत से पीने का पानी भरकर घर वापस आ रही थी तो अभियुक्त ने उसका पीछा किया तथा उसका मार्ग अवरुद्ध किया । उसने उसे अश्लील भाषा का उपयोग करते हुए गालियां भी दी तथा दाव से उस पर हमला किया । अभि. सा. 1 द्वारा दिया गया कथन निम्नानुसार है :–

> "तारीख 13 नवम्बर, 2008 को अपराह्ण लगभग 3.30 बजे जब मैं हमारे घर के सामने अवस्थित जल आपूर्ति के स्थान से पीने का पानी लाने हेतु गई थी और जब मैं पानी भरकर वापस आ

रही थी तो अभियुक्त बिमल डे ने मेरा पीछा किया । अभियुक्त बिमल डे ने मेरा मार्ग अवरुद्ध कर दिया और उसने अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए मेरे साथ गाली-गलौज किया । जब मैंने उसका विरोध किया तो अभियुक्त बिमल डे ने दाव से मेरे बाएं गाल पर वार किया । मैं अत्यधिक डर गई और मैं सूधन दत्ता के घर की ओर दौड़ी । अभियुक्त बिमल डे ने मेरा पीछा किया किन्तु मैं किसी प्रकार सूधन दत्ता के घर में घुसने में सफल रही । सूधन दत्ता ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए मुझे बचाया । अभियुक्त बिमल डे ने सूधन दत्ता के घर में भी मुझ पर पुन: दाव से हमला करने का प्रयास किया । इस घटना की रिपोर्ट मेरे बड़े भाई बिपलब दास को की गई । मैं अपने होशो-हवाश खो चुकी थी । उसके पश्चात् मुझे मेरे बड़े भाई निहार नगर पीएचसी ले गए । अस्पताल में मेरे बाएं गाल पर टांकें लगाए गए । उसके पश्चात् उसी तारीख को मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई किन्तु मैंने अनेक दिनों तक प्रतिदिन आगे और उपचार प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से अस्पताल का दौरा किया ।"

अभि. सा. 1 की विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा गहन प्रतिपरीक्षा की गई जिसमें उसने यह कथन किया कि अभियुक्त उसकी अपनी बड़ी बहन का पति है । उसने यह भी कथन किया कि घटना के पश्चात् इस मामले की रिपोर्ट ग्राम पंचायत को की गई थी किन्तु ग्राम पंचायत ने विवाद का समाधान करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया । अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि जब वह पीने का पानी लेने जल स्रोत पर गई थी तो उसकी दो पड़ोसनें श्रीमती अष्टमी दास और श्रीमती अंजलि दास उसके साथ थी और वे घटना के समय भी वहीं मौजूद थी । उसने यह भी कथन किया कि हमले के परिणामस्वरूप उसे जो क्षति कारित हुई थी उससे रक्तस्राव हुआ था और उसके वस्त्र रक्त से सन गए थे ।

12. श्री सूधन दत्ता (अभि. सा. 2), जो इत्तिलाकर्ता का पड़ोसी है, ने इत्तिलाकर्ता के कथन का समर्थन किया है और उसने यह कथन किया कि वह स्वयं को अभियुक्त के हमले से बचाने हेतु दौड़ कर उसके

घर में प्रवेश कर गई थी । अभि. सा. 2 के अनुसार घटना की तारीख को इत्तिलाकर्ता दौड़ती हुई उसके घर में घुसी थी और वह मदद के लिए चिल्ला रही थी । उस समय अभि. सा. 2 ने यह भी देखा कि अभियुक्त/याची अपने हाथों में एक दाव लिए उसका पीछा कर रहा था । अभि. सा. 2 ने पीड़ित महिला (अभि. सा. 1) के गाल पर किसी हथियार से काटने का निशान भी देखा । उसने पीड़ित महिला को बचाने के लिए मामले में हस्तक्षेप किया । उसके पश्चात् आहत/पीड़ित महिला को उपचार हेतु निहार नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया ।

अपनी प्रतिपरीक्षा में अभि. सा. 2 ने यह कथन किया कि उसने इत्तिलाकर्ता के सलवार सूट पर रक्त के चिह्न देखे थे । प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 2 के समक्ष यह सुझाव रखा गया था कि उसने याची को इस मामले में मिथ्या फंसाने के लिए पीड़ित महिला के साथ सांठ-गांठ की जिसके संबंध में अभि. सा. 2 ने स्पष्ट रूप से इनकार किया है ।

13. श्री बिपलब दास (अभि. सा. 3) पीड़ित महिला का बड़ा भाई है । उसने भी हमले के संबंध में अपनी बहन द्वारा किए गए कथन का समर्थन किया है । अभि. सा. 3 के अनुसार तारीख 13 नवम्बर, 2008 को अपराह्न लगभग 3.00 बजे वह अपने धान के खेत से गुजर रहा था । वहां से उसने यह देखा कि अभियुक्त/याची अपने हाथ में दाव लिए हुए उसके घर में प्रवेश कर रहा है । उस समय अभियुक्त अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए जोर-जोर से चिल्ला रहा था । उसके तुरंत पश्चात् अभि. सा. 3 घर लौट आया और उसने यह देखा कि अभियुक्त उसके घर के द्वार और खिड़की को काटने का प्रयास कर रहा था । उस समय उसने अपनी बहन की सहायता हेतु की जा रही चीख-पुकार को सुना जो कि घर के उत्तरी भाग से आ रही थी । अपनी बहन की चीख-पुकार सुनकर वह श्री सुधन दत्ता जो उसका निकट पड़ोसी है, के घर पहुंचा और वहां उसने यह देखा कि उसकी बहन के बाएं गाल पर क्षति कारित की गई थी जिससे रक्तस्राव हो रहा था । उसे अपने बहन से यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त/याची ने उस पर उस समय हमला किया था जब वह निकट स्थित जल स्रोत से पानी लेकर घर वापस आ रही थी और उस हमले के परिणामस्वरूप उसे क्षति कारित हुई थी ।

अभि. सा. 3 तुरंत अपनी बहन को निहार नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया । उसकी बहन को प्राथमिक उपचार प्रदान करने के पश्चात् उसे उसी दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी ।

अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 3 ने यह कथन किया कि घटना के पश्चात्, जब वह अपनी आहत बहन से मिला तो उसने श्रीमती अंजलि दास और श्रीमती अष्टमी दास को घटनास्थल पर नहीं देखा । अभि. सा. 3 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी कथन किया कि अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी को उसके बहन को रक्त से सने वस्त्र दिखाए गए थे किन्तु अन्वेषण अधिकारी ने रक्त से सने वस्त्रों का अभिग्रहण नहीं किया । अभि. सा. 2 ने अभियुक्त की ओर से दिए गए इस सुझाव से इनकार किया कि अभियुक्त/याची को उनके बीच लंबे से समय से चले आ रहे एक विवाद के कारण वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है ।

14. श्रीमती अंजलि दास (अभि. सा. 4) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह उस समय श्रीमती अष्टमी दास (अभि. सा. 5) के साथ घटनास्थल पर मौजूद थी जब अभियुक्त पीड़ित महिला (अभि. सा. 1) को अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए गालियां दे रहा था । अभि. सा. 4 ने यह भी कथन किया है कि उसने अभियुक्त से यह अनुरोध किया था कि वह पीड़ित महिला के साथ गाली-गलौज करना बंद करे और उसके पश्चात् वे घटनास्थल से चले गए । उसके कुछ समय पश्चात् जब वे घटनास्थल पर वापस आए तो उसने देखा कि पीड़ित महिला के बाएं गाल पर एक क्षति मौजूद थी जिससे रक्तस्राव हो रहा था । पीड़ित महिला ने उसे यह बताया कि अभियुक्त बिमल डे ने उसे उक्त क्षति कारित की है । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने अभियुक्त की ओर से किए गए इस सुझाव से इनकार किया कि पीड़ित महिला को उक्त क्षति भूमि पर गिरने के परिणामस्वरूप कारित हुई थी ।

15. श्रीमती अष्टमी दास (अभि. सा. 5) ने भी अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान इसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत किया है और उसने यह कथन किया कि सारवान् समय पर वह श्रीमती अंजलि दास (अभि. सा. 4) के

साथ कुछ समान की खरीदारी करने जा रही थी और मार्ग में उन्हें जल स्रोत के समीप अभियुक्त और इत्तिलाकर्ता मिले । उन्होंने यह देखा कि अभियुक्त अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए पीड़ित महिला (अभि. सा. 1) के साथ गाली-गलौज कर रहा था । उन्होंने अभियुक्त से यह अनुरोध किया कि वह पीड़ित महिला से गाली-गलौज न करे । उसके पश्चात्, अभि. सा. 5, अभि. सा. 4 के साथ घटनास्थल से आगे बढ़ गईं और जब वे वापस अपने घर आ रही थीं तो मार्ग में उन्होंने पीड़ित महिला और उसके भाई (अभि. सा. 3) को देखा । उस समय पीड़ित महिला के बाएं गाल पर उन्होंने एक क्षति को देखा जिससे रक्तस्राव हो रहा था । उनके द्वारा पूछे जाने पर पीड़ित महिला के भाई ने उन्हें यह बताया कि अभियुक्त/याची ने पीड़ित महिला के गाल पर दाव से वार किया था जिसके कारण उसे उक्त क्षति कारित हुई थी । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 5 ने अभियुक्त की ओर से किए गए इस सुझाव से इनकार किया कि उसने न्यायालय के समक्ष मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया है । उसने इस तथ्य से भी इनकार किया कि पीड़ित महिला को उक्त क्षति भूमि पर गिरने के कारण हुई थी ।

16. श्रीमती गीता रानी दास (अभि. सा. 6) पीड़ित महिला की माता है । अभि. सा. 6 की पीड़ित पुत्री ने घटना के पश्चात् उसे घटना के संबंध में ब्यौरेवार जानकारी दी थी । अभि. सा. 6 ने अपनी पुत्री के चेहरे पर कारित की गई क्षति को देखा और पूछने पर उसे यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त ने दाव से वार करके उसकी पुत्री को उक्त क्षति कारित की थी । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उनका अभियुक्त/याची के साथ काफी लंबे समय से कोई विवाद चल रहा है । तथापि, अभि. सा. 6 ने अभियुक्त के इस सुझाव से इनकार किया कि उसने उसकी पुत्री पर हमला नहीं किया था ।

17. डा. अरुप दत्ता (अभि. सा. 7) वह चिकित्सा अधिकारी है जिसने निहार नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तारीख 13 नवम्बर, 2008 को उस समय पीड़ित महिला को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया था जब पीड़ित महिला को उक्त अस्पताल ले जाया गया था । अभि. सा. 7 के अनुसार पीड़ित के चेहरे के बाईं ओर एक छिन्न घाव मौजूद

था जो साधारण प्रकृति का था और जिसे किसी धारदार वस्तु से कारित किया गया था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उक्त क्षति पिछले साढ़े तीन घंटे के भीतर कारित की गई थी । शनाख्त के उपरांत अभि. सा. 7 द्वारा तैयार की गई क्षति/चिकित्सा रिपोर्ट को अभिलेख पर साक्ष्य स्वरूप ग्रहण किया गया और उसे प्रदर्श-2 के रूप में चिह्नित किया गया । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 7 ने यह कथन किया कि उसने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं किया कि पीड़ित महिला को कौन व्यक्ति अस्पताल लेकर आया था ।

18. श्री रंजित कुमार दत्ता (अभि. सा. 8) वर्तमान मामले का अन्वेषण अधिकारी है । अभि. सा. 8 के अनुसार उसने अपने अन्वेषण के दौरान सभी सारवान् साक्षियों की परीक्षा की तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसने उनके पुलिस कथनों को लेखबद्ध किया तथा उसने अस्पताल से पीड़ित की क्षति/चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त की । चूंकि उसके अन्वेषण से उसे यह प्रतीत हुआ कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप साबित हो रहे थे और इसलिए उसने अभियुक्त/याची के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 8 ने इस बात से इनकार किया कि अपने अन्वेषण के दौरान उसे इस तथ्य के संबंध में सबूत प्राप्त हुए थे कि अभियुक्त और इत्तिलाकर्ता के बीच काफी लंबे समय से कोई विवाद चल रहा था । अभि. सा. 8 ने इस बात से भी इनकार किया कि उसके द्वारा अन्वेषण विधि के अनुसार नहीं किया गया था ।

19. जहां तक प्रतिरक्षा द्वारा प्रस्तुत किए गए इस प्रतिवाद का संबंध है कि अपराध में प्रयुक्त हथियार का बरामद न होना संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन को झूठा सिद्ध करता है, विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि अन्वेषण अधिकारी ने अपना अन्वेषण कार्य अत्यंत लापरवाही से किया है किन्तु उसके इस दोष के बावजूद भी अभियोजन पक्षकथन को प्रचुर मात्रा में साक्ष्य संबंधी समर्थन प्राप्त है, इसलिए अभियोजन पक्षकथन की अनदेखी नहीं की जा सकती । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के मूल्यांकन के पश्चात् लेखबद्ध किए गए निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :–

"अभियोजन साक्षियों, विशेष रूप से अभि. सा. 1, 2, 3 और 6 द्वारा प्रस्तुत किए गए कथनों के ध्यानपूर्वक परिशीलन से यह तथ्य सामने आता है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दोपहर को अभियुक्त व्यक्ति ने पीड़ित महिला का मार्ग रोका और उसने दाव से उस पर वार किया जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित महिला के चेहरे के बाईं ओर एक छिन्न घाव कारित हुआ । इन साक्षियों द्वारा प्रस्तुत इस प्रभाव के साक्ष्य को कि पीड़ित महिला को क्षतियां कारित हुई थीं, डाक्टर द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा प्रदर्श-2 (समग्र रूप) से समर्थन प्राप्त होता है और इस प्रकार इससे अभियोजन के इस पक्षकथन को बल प्राप्त होता है कि पीड़ित महिला पर हमला किया गया था । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा पीड़ित महिला के समक्ष इस प्रकार का कोई सुझाव प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अभियुक्त ने जल स्रोत के निकट उसका मार्ग अवरुद्ध नहीं किया था और उसने पीड़ित महिला के चेहरे पर दाव से वार नहीं किया था । यह पाया गया है कि अभियोजन पक्ष के सभी साक्षियों की ब्यौरेवार प्रतिपरीक्षा की गई है किन्तु इसके बावजूद प्रतिरक्षा अपने पक्ष में उनसे कोई भी सारवान् सामग्री प्राप्त करने में असफल रहा है और अभियोजन साक्षियों ने सफलतापूर्वक प्रतिपरीक्षा से संबंधित अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण किया है । साक्षियों ने स्पष्ट रूप से अपना अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है और अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रस्तुत सारवान् साक्ष्य को लगभग एक समान पाया गया और उसमें किसी प्रकार की कोई सारवान् त्रुटियां/विसंगतियां भी सम्मिलित नहीं हैं । अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रस्तुत कथन अकाट्य और विश्वसनीय हैं और मुझे ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता जिससे मैं उनके परिसाक्ष्यों पर अविश्वास करूं । यह सत्य है कि वर्तमान मामले में अपराध में प्रयुक्त हथियार, अर्थात् दाव की बरामदगी नहीं हुई है । अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य के परिशीलन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह केवल वर्तमान मामले के अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गई त्रुटि के कारण हुआ है क्योंकि उसने उक्त हथियार को बरामद तथा उसका अभिग्रहण करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया । इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले के अन्वेषण अधिकारी ने

अपना अन्वेषण कार्य अत्यंत लापरवाही से किया है किन्तु अन्वेषण अधिकारी की इस त्रुटि के कारण अभियोजन के संपूर्ण पक्षकथन की अनदेखी नहीं की जा सकती जो कि अन्यथा सुदृढ़ प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त, मेरी राय में अपराध में प्रयुक्त हथियार का बरामद न होना कोई ऐसा कारक नहीं है जिसके आधार पर अभियुक्त को कोई अनुतोष प्रदान किया जा सके । मैं यहां इस बिन्दु पर निम्नलिखित निर्णयों को निर्दिष्ट करना चाहता हूं । प्रवीण कुमार **बनाम** राज्य [(क्रि. एल. जे. 577 (बम्बई)] वाले मामले में यह संप्रेक्षण किया गया था कि केवल इस कारण से कि अपराध कारित किए जाने में प्रयुक्त चाकू को बरामद नहीं किया जा सका था, यह नहीं कहा जा सकता कि हथियार का प्रयोग नहीं किया गया था, विशेषकर उस समय जहां यह उपदर्शित करने हेतु अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर विद्यमान है कि अभियुक्त द्वारा वस्तुत: चाकू का प्रयोग किया गया था । राजस्थान राज्य **बनाम** अर्जुन सिंह और अन्य [(ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 3380] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रयुक्त कारतूसों, रक्त से सने वस्त्रों आदि की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य की अनुपस्थिति के कारण यह नहीं माना जा सकता कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी । यह भी संप्रेक्षण किया गया है कि जब पर्याप्त मात्रा में विश्वसनीय प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है और उसे चिकित्सा संबंधी साक्ष्य से अभिपुष्टि भी प्राप्त हुई है तो हथियार की गैर-बरामदगी अभियोजन पक्षकथन को प्रभावित नहीं करती ।

वर्तमान मामले में अभि. सा. 1 ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त ने उसके गाल पर दाव से वार किया था और इस तथ्य की पुष्टि अन्य साक्षियों द्वारा भी की गई है कि इत्तिलाकर्ता के गाल पर उन्होंने छिन्न घाव देखा था और इसके अतिरिक्त प्रदर्श-2 (समग्र रूप से) भी इस तथ्य की पुष्टि करता है ।

यह सत्य है कि उक्त मामले की रिपोर्ट घटना के लगभग 5

दिन पश्चात् पुलिस को की गई थी किन्तु शिकायत में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पीड़ित महिला के उपचार के कारण शिकायत दर्ज करने में विलंब हुआ और मेरी राय में शिकायत दर्ज कराने में हुए विलंब को अभियोजन के पक्षकथन को नकारने के आधार के रूप में विचार में नहीं लिया जा सकता क्योंकि प्रतिरक्षा पक्ष ने भी विलंब संबंधी कोई मुद्दा नहीं उठाया । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य के मूल्यांकन के पश्चात् इस न्यायालय की यह राय है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 341/324 के अधीन आरोपों को सफलतापूर्वक साबित किया है । तथापि, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अभियोजन पक्ष द्वारा दंड संहिता की धारा 427/447/506 के अधीन लगाए गए आरोपों के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य इतना मजबूत नहीं है कि उसके आधार पर अभियुक्त को अभिकथित अपराधों के लिए दायी ठहराया जा सके । तद्नुसार, इस न्यायालय की यह राय है कि अभियुक्त बिमल डे को दंड संहिता की धारा 341/324 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया जाता है ।"

20. इसके पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने इस बात के कारणों को लेखबद्ध किया कि अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के अधीन उपबंधों का फायदा प्रदान क्यों नहीं किया गया और उसे उपरोक्तानुसार दंडादिष्ट किया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अपील की सुनवाई करते समय अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का गहराई से विश्लेषण किया और उसके पश्चात् उन्होंने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त/याची के विरुद्ध दिए गए दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश की अभिपुष्टि की ।

21. वर्तमान मामले में यह तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित हुआ है कि अभियुक्त ने पीड़ित महिला पर दाव से हमला किया था । इस संबंध में पीड़ित महिला द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को पर्याप्त रूप से श्री सुधन दत्ता (अभि. सा. 2) द्वारा दिए गए साक्ष्य से अभिपुष्टि प्राप्त हुई है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 3, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5

द्वारा दिए गए साक्ष्य ने पीड़ित महिला (अभि. सा. 1) के साक्ष्य को सुदृढ़ रूप से परिस्थितिजन्य समर्थन प्रदान किया है । स्पष्ट रूप से पीड़ित महिला को घटना के तुरंत पश्चात् निहार नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया था जहां डाक्टर (अभि. सा. 7) ने उसकी जांच की और उसका उपचार किया । अभि. सा. 7 द्वारा तैयार की गई क्षति/चिकित्सा रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह साबित किया है कि पीड़ित महिला को पिछले साढ़े तीन घंटे के भीतर उसके चेहरे के बाईं ओर एक छिन्न घाव कारित किया गया था और उक्त क्षति एक धारदार वस्तु द्वारा कारित की गई थी । सभी अभियोजन साक्षियों की अभियुक्त द्वारा ब्यौरेवार गहन प्रतिपरीक्षा की गई थी किन्तु उक्त प्रतिपरीक्षा उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य में किसी भी प्रकार के किसी दोष या त्रुटि को सामने लाने में असफल रही । याची के विद्वान् काउंसेल की इस दलील में कोई गुण विद्यमान नहीं है कि सारवान् साक्षियों की परीक्षा नहीं की गई ।

22. अत:, निचले न्यायालयों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने हेतु कोई कारण विद्यमान नहीं है ।

23. परिणामत: याचिका खारिज की जाती है ।

24. सिद्धदोष याची को यह निदेश दिया जाता है कि वह आज से दो मास के भीतर विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करे और अपने दंडादेश को पूरा करे, जिसमें असफल रहने पर विद्वान् विचारण न्यायालय उसके द्वारा दंडादेश के भोगे जाने के सुनिश्चित करने हेतु विधि के अनुसार उपाय करेगा । इस प्रकार, वर्तमान मामले का निपटारा किया जाता है । निचले न्यायालय के अभिलेख को वापस भेज दिया जाए ।

याचिका खारिज की गई ।

पु.

कृपा रानी देबबर्मा और अन्य

बनाम

श्यामल त्रिपुरा

(2019 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 76)

तारीख 10 फरवरी, 2021

न्यायमूर्ति एस. जी. चट्टोपाध्याय

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 125 – पत्नी को भरण-पोषण भत्ता – विचारण न्यायालय द्वारा इस आधार पर पत्नी को भरण-पोषण भत्ता मंजूर करने से इनकार किया जाना कि वह स्वयं अपना भरण-पोषण करने में समर्थ है – विचारण के दौरान पत्नी द्वारा यह स्वीकार किया जाना कि वह पति के क्रूर व्यवहार के कारण काफी लंबी समयावधि से पति से पृथक् निवास कर रही है – पत्नी द्वारा यह दावा किया जाना कि पति की मासिक आय 30,000/- रुपए से कम नहीं है – इसके विपरीत पति द्वारा यह दावा किया जाना कि उसकी मासिक आय मात्र 6,000/- रुपए है और साथ ही उसके द्वारा यह दावा भी किया जाना कि पत्नी अपने कारबार से प्रतिमास 5,000/- से 7,000/- रुपए की आय का उपार्जन कर रही है – पति-पत्नी, दोनों द्वारा अपने-अपने दावों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराने में असफल रहना – न्यायालय के अभिलेख से यह उपदर्शित होना कि पत्नी अपने पति से पृथक् होने से पूर्व कारबार कर रही थी – पत्नी के पिता द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया जाना कि कारबार से उसकी पुत्री की मासिक आय लगभग 7,000/- रुपए है – इसके अतिरिक्त, मामले के अभिलेख से यह दर्शित होना कि पति ने अपनी पत्नी को वापस लाने हेतु अनेक प्रयास किए थे – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पत्नी अपनी आय से स्वयं का भरण-पोषण करने हेतु समर्थ है, अत: विचारण न्यायालय द्वारा पत्नी को भरण-पोषण भत्ता मंजूर किए जाने से

इनकार करना सर्वथा उचित है और कुटुम्ब न्यायालय के उक्त निर्णय में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि पत्नी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन अगरतला स्थित कुटुम्ब न्यायालय में अपने स्वयं के तथा अपने पुत्र और पुत्री के भरण-पोषण के लिए 15,000/- रुपए (पंद्रह हजार रुपए) प्रतिमाह की दर से भरण-पोषण भत्ते का दावा करते हुए एक आवेदन फाइल किया था । अपने उक्त आवेदन में पत्नी ने यह कथन किया कि प्रत्यर्थी के साथ उसका विवाह हिन्दू विवाह के रीति-रिवाजों और परम्परा के अनुसार तारीख 13 जून, 2007 को अनुष्ठापित हुआ था और उसके विवाह के दौरान उसके माता-पिता ने उसके पति द्वारा की गई मांग के अनुसरण में पति को 60,000/- रुपए (साठ हजार रुपए) नकद का संदाय किया था और साथ ही अत्यधिक मूल्य वाले जेवरात, फर्नीचर, फ्रिज, बर्तन आदि दिए थे । विवाह के पश्चात् वह अपने पति के साथ अपने वैवाहिक घर गई और इस प्रकार उन्होंने सेपाहीजला जिला में स्थित बिश्रामगंज में लगभग 2 (दो) मास के शांतिपूर्वक वैवाहिक जीवन का आनंद लिया । उसके पश्चात् उसके पति ने अपने व्यवसायिक प्रयोजन के लिए अपने निवास स्थान को बिश्रामगंज से अगरतला स्थानांतरित कर लिया । अगरतला में उन्होंने एक किराए के घर में एक साथ निवास करना आरंभ किया । उसके कुछ दिन पश्चात् पति ने दहेज की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न आरंभ कर दिया । यद्यपि, वह स्वयं प्राइवेट ट्यूशन के माध्यम से कम-से-कम 30,000/- रुपए (तीस हजार रुपए) प्रतिमास का उपार्जन कर रहा था, जिसके लिए वह विभिन्न अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों जिनके अंतर्गत होली क्रास विद्यालय, आक्जिलियम गर्ल्स विद्यालय, डॉन बास्को विद्यालय आदि सम्मिलित हैं, के छात्रों को प्राइवेट ट्यूशन उपलब्ध करा रहा था फिर भी वह प्रत्येक मास उसके पिता से पांच से दस हजार रुपए की धनराशि ऐंठ लेता था । प्राइवेट ट्यूशन से होने वाली आय के अलावा उसके पास उसके स्वामित्व में काफी बड़ी भू-संपत्ति भी है जिसके अंतर्गत उसके स्वयं के नाम पर सबरूम में स्थित 30 एकड़ का रबड़ का एक बगीचा भी है । उनके बीच

चल रहे मतभेदों और विवादों के बावजूद पत्नी गर्भवती हुई और उसने वर्ष 2008 में एक पुत्री को जन्म दिया । उनकी पुत्री के जन्म के बावजूद पति ने अपनी पत्नी का उत्पीड़न जारी रखा । उस समय तक पति शराबी बन गया था । जब वे वर्ष 2012 में अगरतला में किराए के घर में निवास कर रहे थे तो वहां पति ने नवम्बर, 2015 से उनके घर में काम करने वाली नौकरानी से अवैध संबंध स्थापित कर लिए । मास जनवरी, 2016 में पत्नी ने उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया । जब उसने इस संबंध के प्रति अपना विरोध दर्शित किया तो उसके पति ने उसकी बुरी तरह से पिटाई की । उस समय पत्नी दूसरी बार गर्भवती हो चुकी थी । तारीख 26 अप्रैल, 2016 को वह अपनी पुत्री के साथ अपना वैवाहिक घर छोड़कर बिश्रामगंज स्थित अपने मायके वापस आ गई । तारीख 28 जून, 2016 को उसने अपने पति द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस को दी । उसने उक्त घटनाओं के संबंध में राज्य महिला आयोग को भी रिपोर्ट किया । तारीख 18 अगस्त, 2016 को उसने गोमती जिले में उदयपुर स्थित एक जिला अस्पताल में एक पुत्र को जन्म दिया । पत्नी के पास अपने स्वयं के और अपने बालकों के भरण-पोषण के लिए आय का कोई स्रोत विद्यमान नहीं है । दूसरी ओर, उसका पति पर्याप्त मात्रा में मासिक आय रखता है जिसमें प्राइवेट ट्यूशनों और भू-संपत्ति से होने वाली आय सम्मिलित हैं । अत:, पत्नी ने अपने स्वयं और अपने बालकों के भरण-पोषण के लिए 15,000/- रुपए (पंद्रह हजार रुपए) प्रतिमास की रकम का दावा करते हुए कुटुम्ब न्यायालय, अगरतला में एक आवेदन प्रस्तुत किया । जब कुटुम्ब न्यायालय की ओर से पति को सूचना जारी की गई तो वह न्यायालय में उपस्थित हुआ और उसने अपनी पत्नी के दावे के विरुद्ध अपना लिखित आक्षेप फाइल किया । उसने इस बात को स्वीकार किया कि उसका विवाह याची के साथ हुआ था और इस विवाह से उसकी पुत्री का भी जन्म हुआ था । किन्तु उसने इस तथ्य से इनकार कर दिया कि पुत्र उसकी संतान है और यह दावा किया कि जब उसकी पत्नी दूसरी बार गर्भवती हुई थी तो उनके बीच में कोई संपर्क नहीं था । पति ने अपने लिखित आक्षेप में यह भी कथन किया कि अपनी दूसरी गर्भावस्था के दौरान जब पत्नी अपने माता-पिता के साथ बिश्रामगंज में

निवास कर रही थी तो उस समय उसने एक संदेशवाहक के माध्यम से उसे अपने पास वापस आने का अनुरोध भिजवाया था । किन्तु, पत्नी ने उसके पास वापस आने से इनकार कर दिया और उसी संदेशवाहक के माध्यम से उसे यह सूचित किया कि उसके पेट में ट्यूमर हो गया था और इस कारण से वह पति के पास वापस आने में असमर्थ थी । इस प्रकार पत्नी ने अपनी गर्भावस्था को पति से छिपाया जिसके कारण उसके मन में अपने पुत्र के संबंध में संदेह उत्पन्न हुआ कि वह पुत्र उसका नहीं है । उसने यह अभिकथन किया कि उसकी पत्नी ने कभी भी उसके साथ मधुर संबंध नहीं रखे । उसके अनुसार उसने प्राइवेट ट्यूशन से होने वाली अपनी आय से धन की बचत करके अपनी पत्नी के नाम एक रबड़ का बगीचा क्रय किया था जिसे उसकी पत्नी ने बेच दिया । उसके पश्चात् उन्होंने एक साथ अनेक कारबार आरंभ किए जिसके अंतर्गत मुर्गी पालन फार्म और वस्त्रों को तैयार करना और उनका विक्रय आदि भी था । ये सभी कारबार पत्नी के नाम से उसके मायके से आरंभ किए गए और उसकी पत्नी ही उक्त कारबारों की देखरेख करती थी तथा वह उक्त कारबारों से होने वाले अभिलाभों को अपने बैंक खातों में जमा करती थी । पति ने पत्नी द्वारा लगाए गए इस आरोप से इनकार किया कि उसने अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया । उसने इस आरोप से भी इनकार किया कि उसने अपनी नौकरानी के साथ अवैध संबंध स्थापित किए थे । इसकी बजाय उसने यह आरोप लगाया कि पत्नी ने नौकरानी को अपनी सुविधा के लिए घर में नियोजित किया था और उसके पास नौकरानी से प्रेम संबंध बनाने के लिए कोई समय नहीं था क्योंकि वह अपने कुटुम्ब का पालन-पोषण करने के लिए प्रात: से देर रात्रि तक कार्य करता था । पति द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि पत्नी ने, जिस समय वह अगरतला में उसके साथ निवास कर रही थी, उसकी जानकारी के बिना उसकी जान-पहचान के अनेक व्यक्तियों से ऋण प्राप्त किया था । उसके पश्चात् वह उक्त ऋणों को चुकाए बिना बिश्रामगंज स्थित अपने मायके चली गई । उसकी पत्नी के जाने के पश्चात् अगरतला स्थित उसके घर में वे सभी व्यक्ति एकत्रित हुए जिनसे उसकी पत्नी ने धन उधार लिया था और उन्होंने उससे उसकी पत्नी द्वारा लिए गए ऋणों को चुकाने की मांग की । उनमें से एक

व्यक्ति ने अपने ऋण के प्रतिदाय का दावा करते हुए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन उसकी पत्नी के विरुद्ध न्यायालय में एक परिवाद भी फाइल किया । इसके अतिरिक्त, उनकी नौकरानी श्रीमती लक्ष्मी मालाकर ने भी पूर्वी अगरतला पुलिस थाने में उसकी पत्नी के विरुद्ध एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । पति ने यह अभिकथन किया कि पत्नी ने अपने दुष्कृत्यों के बुरे परिणामों से डर कर बिश्रामगंज स्थित अपने माता-पिता के घर में शरण ली । वह पति द्वारा बार-बार अनुरोध करने के पश्चात् भी वापस नहीं आई । पति के अनुसार प्राइवेट ट्यूशनों से उसकी आय 6,000/- रुपए (छह हजार) से अधिक नहीं है । दूसरी ओर, उसकी पत्नी अपने कारबार के माध्यम से बिश्रामगंज में अच्छी मासिक आय का उपार्जन कर रही है । अतः, पति ने अपनी पत्नी और पुत्र को किसी भी प्रकार का कोई भरण-पोषण भत्ता उपलब्ध कराने से इनकार किया । दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात् विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय के द्वारा बालकों में से प्रत्येक को 3,000/- रुपए प्रति मास का भरण-पोषण भत्ते के संदाय का निदेश देते हुए, पत्नी को भरण-पोषण भत्ता मंजूर करने से इनकार कर दिया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर पत्नी ने वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में उक्त निर्णय को चुनौती दी है । उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – कुटुम्ब न्यायालय ने पति-पत्नी के 2 (दो) बालकों में से प्रत्येक को 3,000/- रुपए (तीन हजार रुपए) प्रतिमास की दर से भरण-पोषण भत्ता मंजूर करते हुए इस आधार पर पत्नी को भरण-पोषण भत्ता मंजूर करने से इनकार कर दिया कि वह स्वयं अपना भरण-पोषण करने हेतु सक्षम है । यद्यपि, पत्नी ने इस बात से इनकार किया है कि उसकी स्वयं की कोई आय है किन्तु उसके पिता निलो देबबर्मा ने विचारण के दौरान स्पष्ट शब्दों में यह कथन किया है कि उसकी पुत्री अपने कारबार से 7,000/- रुपए (सात हजार रुपए) की मासिक आय का उपार्जन कर रही है । स्वीकार्य रूप से पत्नी अपने पति को छोड़ने के पश्चात् बिश्रामगंज में अपने पति द्वारा उपलब्ध कराए गए भू-खंड पर अपने माता-पिता के साथ निवास कर रही है । इस बात से भी इनकार नहीं किया गया है कि विवाह के पश्चात् पति ने बिश्रामगंज में पत्नी के

कारबार को स्थापित करने हेतु उसे धन और सामग्री उपलब्ध कराई थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 यह उपबंध करती है कि कोई पत्नी, जो स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, अपने ऐसे पति से भरण-पोषण भत्ता प्राप्त करने की हकदार है जो पर्याप्त आय के साधन होने के बावजूद उसकी अनदेखी करता है या अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने से इनकार करता है । वर्तमान मामले में, पत्नी काफी लंबी समयावधि से अपने पति से पृथक् रह रही है । पत्नी इस प्रभाव का कोई सारवान् साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रही है जो उसके इस दावे को स्थापित कर सके कि उसका पति उनके बीच संबंधों के समाप्त होने के लिए उत्तरदायी है । इसकी बजाय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह उपदर्शित होता है कि पत्नी ने जब अपने पति का परित्याग किया था तो इस समय पति ने अपनी पत्नी को वापस लाने हेतु प्रयास किए जो व्यर्थ सिद्ध हुए । यह स्पष्ट है कि जब वे पृथक् होने से पूर्व एक साथ निवास कर रहे थे तो पति और पत्नी ने एक साथ मिकर विभिन्न कारबार आरंभ किए थे । उन्होंने एकसाथ मिलकर रबड़ के एक बगीचे का क्रय किया था । उसके पश्चात् उन्होंने एक मुर्गी पालन फार्म की स्थापना की थी और पत्नी ने बिश्रामगंज स्थित अपने मायके वाले घर में वस्त्रों के विक्रय संबंधी एक कारबार को भी स्थापित किया था । अभिलेख पर यह तथ्य भी आया है कि पत्नी उनके पृथक् होने से पूर्व भी कोई कारबार कर रही थी । इस प्रकार पत्नी के पास पति से पृथक् होने से पूर्व आय के स्रोत विद्यमान थे । दूसरी ओर, पति ने यह कथन किया है कि प्राइवेट ट्यूशन से उसकी मासिक आय 6,000/- रुपए (छह हजार रुपए) से अधिक नहीं है । उसके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अपनी उक्त आय से वह स्वयं का भरण-पोषण करता है और वह उस घर हेतु, जिसमें वह अगरतला में निवास कर रहा है, 2,000/- रुपए (दो हजार रुपए) प्रतिमास के किराए का संदाय भी करता है । तथापि, वह अपने अप्राप्तवय बालकों का भरण-पोषण करने संबंधी अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता । विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय ने उसे सही रूप से यह निदेश दिया है कि वह अपने प्रत्येक बालक को 3,000/- रुपए (तीन हजार रुपए) प्रतिमास की दर से भरण-पोषण भत्ते का संदाय करे । चूंकि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि

पत्नी की अपनी आय है और वह अपना भरण-पोषण करने हेतु समर्थ है, अत: हमें कुटुम्ब न्यायालय के निर्णय में कोई दोष प्रतीत नहीं होता है, जिसके द्वारा कुटुम्ब न्यायालय पत्नी को भरण-पोषण भत्ता मंजूर करने से इनकार किया है । अत:, विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के परिणामस्वरूप कोई हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है । परिणामत:, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जाता है । (पैरा 16, 17, 18, 19, 20 और 21)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2008]	(2008) 2 एस. सी. सी. 316 = ए. आई. आर. एस. सी. 530 : **चतुर्भुज** बनाम **सीता बाई** ।	9,19

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 76.

वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका विद्वान् अपर न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, अगरतला द्वारा वर्ष 2016 के प्रकीर्ण मामला सं. 516 में तारीख 15 जुलाई, 2019 को पारित निर्णय को चुनौती देते हुए फाइल की गई है ।

याचियों की ओर से श्री समर दास, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री के. के. पाल, अधिवक्ता

न्यायमूर्ति एस. जी. चट्टोपाध्याय – वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका विद्वान् अपर न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, अगरतला द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 125 के अधीन कार्यवाहियों में वर्ष 2016 के प्रकीर्ण मामला सं. 516 में तारीख 15 जुलाई, 2019 को पारित उस निर्णय को चुनौती देते हुए फाइल की गई है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'पति' कहा गया है) को यह निदेश दिया गया था कि वह अपनी पुत्री रश्मि त्रिपुरा और पुत्र राजबीर त्रिपुरा में से प्रत्येक के भरण-पोषण हेतु 3,000/- रुपए (केवल

तीन हजार रुपए) का संदाय करे । कृपा रानी देबबर्मा (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'पत्नी' कहा गया है) को भरण-पोषण भत्ता मंजूर किए जाने से इनकार किया गया था जिसके परिणामस्वरूप उसने वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से कुटुम्ब न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को चुनौती दी है ।

2. वर्तमान मामले के तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं :–

पत्नी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन अगरतला स्थित कुटुम्ब न्यायालय में अपने स्वयं के तथा अपने पुत्र और पुत्री के भरण-पोषण के लिए 15,000/- रुपए (पंद्रह हजार रुपए) प्रतिमाह की दर से भरण-पोषण भत्ते का दावा करते हुए एक आवेदन फाइल किया था । अपने उक्त आवेदन में पत्नी ने यह कथन किया कि प्रत्यर्थी के साथ उसका विवाह हिन्दू विवाह के रीति-रिवाजों और परम्परा के अनुसार तारीख 13 जून, 2007 को अनुष्ठापित हुआ था और उसके विवाह के दौरान उसके माता-पिता ने उसके पति द्वारा की गई मांग के अनुसरण में पति को 60,000/- रुपए (साठ हजार रुपए) नकद का संदाय किया था और साथ ही अत्यधिक मूल्य वाले जेवरात, फर्नीचर, फ्रिज, बर्तन आदि दिए थे । विवाह के पश्चात् वह अपने पति के साथ अपने वैवाहिक घर गई और इस प्रकार उन्होंने सेपाहीजला जिला में स्थित बिश्रामगंज में लगभग 2 (दो) मास के शांतिपूर्वक वैवाहिक जीवन का आनंद लिया । उसके पश्चात् उसके पति ने अपने व्यवसायिक प्रयोजन के लिए अपने निवास स्थान को बिश्रामगंज से अगरतला स्थानांतरित कर लिया । अगरतला में उन्होंने एक किराए के घर में एक साथ निवास करना आरंभ किया । उसके कुछ दिन पश्चात् पति ने दहेज की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न आरंभ कर दिया । यद्यपि, वह स्वयं प्राइवेट ट्यूशन के माध्यम से कम-से-कम 30,000/- रुपए (तीस हजार रुपए) प्रतिमास का उपार्जन कर रहा था, जिसके लिए वह विभिन्न अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों जिनके अंतर्गत होली क्रास विद्यालय, आक्जिलियम गर्ल्स विद्यालय, डॉन बास्को विद्यालय आदि सम्मिलित हैं, के छात्रों को प्राइवेट ट्यूशन

उपलब्ध करा रहा था फिर भी वह प्रत्येक मास उसके पिता से पांच से दस हजार रुपए की धनराशि ऐंठ लेता था । प्राइवेट ट्यूशन से होने वाली आय के अलावा उसके पास उसके स्वामित्व में काफी बड़ी भू-संपत्ति भी है जिसके अंतर्गत उसके स्वयं के नाम पर सबरूम में स्थित 30 एकड़ का रबड़ का एक बगीचा भी है । उनके बीच चल रहे मतभेदों और विवादों के बावजूद पत्नी गर्भवती हुई और उसने वर्ष 2008 में एक पुत्री को जन्म दिया । उनकी पुत्री के जन्म के बावजूद पति ने अपनी पत्नी का उत्पीड़न जारी रखा । उस समय तक पति शराबी बन गया था । जब वे वर्ष 2012 में अगरतला में किराए के घर में निवास कर रहे थे तो वहां पति ने नवम्बर, 2015 से उनके घर में काम करने वाली नौकरानी से अवैध संबंध स्थापित कर लिए । मास जनवरी, 2016 में पत्नी ने उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया । जब उसने इस संबंध के प्रति अपना विरोध दर्शित किया तो उसके पति ने उसकी बुरी तरह से पिटाई की । उस समय पत्नी दूसरी बार गर्भवती हो चुकी थी । तारीख 26 अप्रैल, 2016 को वह अपनी पुत्री के साथ अपना वैवाहिक घर छोड़कर बिश्रामगंज स्थित अपने मायके वापस आ गई । तारीख 28 जून, 2016 को उसने अपने पति द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस को दी । उसने उक्त घटनाओं के संबंध में राज्य महिला आयोग को भी रिपोर्ट किया । तारीख 18 अगस्त, 2016 को उसने गोमती जिले में उदयपुर स्थित एक जिला अस्पताल में एक पुत्र को जन्म दिया । पत्नी के पास अपने स्वयं के और अपने बालकों के भरण-पोषण के लिए आय का कोई स्रोत विद्यमान नहीं है । दूसरी ओर, उसका पति पर्याप्त मात्रा में मासिक आय रखता है जिसमें प्राइवेट ट्यूशनों और भू-संपत्ति से होने वाली आय सम्मिलित हैं । अतः, पत्नी ने अपने स्वयं और अपने बालकों के भरण-पोषण के लिए 15,000/- रुपए (पंद्रह हजार रुपए) प्रतिमास की रकम का दावा करते हुए कुटुम्ब न्यायालय, अगरतला में एक आवेदन प्रस्तुत किया ।

3. जब कुटुम्ब न्यायालय की ओर से पति को सूचना जारी की गई

तो वह न्यायालय में उपस्थित हुआ और उसने अपनी पत्नी के दावे के विरुद्ध अपना लिखित आक्षेप फाइल किया । उसने इस बात को स्वीकार किया कि उसका विवाह याची के साथ हुआ था और इस विवाह से उसकी पुत्री का भी जन्म हुआ था । किन्तु उसने इस तथ्य से इनकार कर दिया कि पुत्र उसकी संतान है और यह दावा किया कि जब उसकी पत्नी दूसरी बार गर्भवती हुई थी तो उनके बीच में कोई संपर्क नहीं था । पति ने अपने लिखित आक्षेप में यह भी कथन किया कि अपनी दूसरी गर्भावस्था के दौरान जब पत्नी अपने माता-पिता के साथ बिश्रामगंज में निवास कर रही थी तो उस समय उसने एक संदेशवाहक के माध्यम से उसे अपने पास वापस आने का अनुरोध भिजवाया था । किन्तु, पत्नी ने उसके पास वापस आने से इनकार कर दिया और उसी संदेशवाहक के माध्यम से उसे यह सूचित किया कि उसके पेट में ट्यूमर हो गया था और इस कारण से वह पति के पास वापस आने में असमर्थ थी । इस प्रकार पत्नी ने अपनी गर्भावस्था को पति से छिपाया जिसके कारण उसके मन में अपने पुत्र के संबंध में संदेह उत्पन्न हुआ कि वह पुत्र उसका नहीं है । उसने यह अभिकथन किया कि उसकी पत्नी ने कभी भी उसके साथ मधुर संबंध नहीं रखे । उसके अनुसार उसने प्राइवेट ट्यूशन से होने वाली अपनी आय से धन की बचत करके अपनी पत्नी के नाम एक रबड़ का बगीचा क्रय किया था जिसे उसकी पत्नी ने बेच दिया । उसके पश्चात् उन्होंने एक साथ अनेक कारबार आरंभ किए जिसके अंतर्गत मुर्गा पालन फार्म और वस्त्रों को तैयार करना और उनका विक्रय आदि भी था । ये सभी कारबार पत्नी के नाम से उसके मायके से आरंभ किए गए और उसकी पत्नी ही उक्त कारबारों की देखरेख करती थी तथा वह उक्त कारबारों से होने वाले अभिलाभों को अपने बैंक खातों में जमा करती थी । पति ने पत्नी द्वारा लगाए गए इस आरोप से इनकार किया कि उसने अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया । उसने इस आरोप से भी इनकार किया कि उसने अपनी नौकरानी के साथ अवैध संबंध स्थापित किए थे । इसकी बजाय उसने यह आरोप लगाया कि पत्नी ने नौकरानी को अपनी सुविधा के लिए घर में नियोजित किया था और

उसके पास नौकरानी से प्रेम संबंध बनाने के लिए कोई समय नहीं था क्योंकि वह अपने कुटुम्ब का पालन-पोषण करने के लिए प्रात: से देर रात्रि तक कार्य करता था । पति द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि पत्नी ने, जिस समय वह अगरतला में उसके साथ निवास कर रही थी, उसकी जानकारी के बिना उसकी जान-पहचान के अनेक व्यक्तियों से ऋण प्राप्त किया था । उसके पश्चात् वह उक्त ऋणों को चुकाए बिना बिश्रामगंज स्थित अपने मायके चली गई । उसकी पत्नी के जाने के पश्चात् अगरतला स्थित उसके घर में वे सभी व्यक्ति एकत्रित हुए जिनसे उसकी पत्नी ने धन उधार लिया था और उन्होंने उससे उसकी पत्नी द्वारा लिए गए ऋणों को चुकाने की मांग की । उनमें से एक व्यक्ति ने अपने ऋण के प्रतिदाय का दावा करते हुए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन उसकी पत्नी के विरुद्ध न्यायालय में एक परिवाद भी फाइल किया । इसके अतिरिक्त, उनकी नौकरानी श्रीमती लक्ष्मी मालाकर ने भी पूर्वी अगरतला पुलिस थाने में उसकी पत्नी के विरुद्ध एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । पति ने यह अभिकथन किया कि पत्नी ने अपने दुष्कृत्यों के बुरे परिणामों से डर कर बिश्रामगंज स्थित अपने माता-पिता के घर में शरण ली । वह पति द्वारा बार-बार अनुरोध करने के पश्चात् भी वापस नहीं आई । पति के अनुसार प्राइवेट ट्यूशनों से उसकी आय 6,000/- रुपए (छह हजार) से अधिक नहीं है । दूसरी ओर, उसकी पत्नी अपने कारबार के माध्यम से बिश्रामगंज में अच्छी मासिक आय का उपार्जन कर रही है । अत:, पति ने अपनी पत्नी और पुत्र को किसी भी प्रकार का कोई भरण-पोषण भत्ता उपलब्ध कराने से इनकार किया ।

4. विचारण के दौरान पत्नी ने अभि. सा. 1 के रूप में अपनी स्वयं की परीक्षा की तथा अपने पिता श्री निलो देबबर्मा की अभि. सा. 2 के रूप में परीक्षा की ।

5. दूसरी ओर, पति ने विरोधी पक्ष साक्षी 1 के रूप में अपनी स्वयं की परीक्षा की । इसके अतिरिक्त, पति की ओर से किसी अन्य साक्षी की परीक्षा नहीं की गई ।

6. साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् विद्वान् अपर न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, अगरतला इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पत्नी एक कमाऊ स्त्री है जो अपने कारबार से 5,000/- से 7,000/- रुपए की मासिक आय का उपार्जन कर रही है । परिणामतः, उसे भरण-पोषण भत्ता मंजूर किए जाने से इनकार किया जाता है । तथापि, विद्वान् अपर न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् बालकों के लिए मासिक भरण-पोषण भत्ते को मंजूर किया और पति को यह निदेश दिया कि वह अपने 2 (दो) बालकों में प्रत्येक के लिए 3,000/- रुपए (तीन हजार रुपए) के मासिक भरण-पोषण भत्ते का संदाय करे ।

7. पत्नी ने उसे भरण-पोषण भत्ता मंजूर किए जाने से इनकार करने वाले आदेश से व्यथित होकर कुटुम्ब न्यायालय के निर्णय तथा आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका फाइल की है ।

8. पत्नी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री समर दास और पति का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री के. के. पाल की दलीलों को सुना ।

9. पत्नी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री समर दास ने यह प्रतिवाद किया है कि विद्वान् विचारण न्यायालय सही परिप्रेक्ष्य में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का मूल्यांकन करने में असफल रहा है और उसने पत्नी को भरण-पोषण भत्ता देने से इनकार करके गंभीर त्रुटि की है । पत्नी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री दास के अनुसार पत्नी द्वारा, उसके परित्याग के पश्चात् स्वयं को जीवित रखने हेतु किए गए प्रयासों को उसके स्वयं का भरण-पोषण करने के सामर्थ्य का अवधारण करने हेतु विचार में नहीं लिया जा सकता । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन अंतर्विष्ट "स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है" पद उन उपायों पर निर्भर करता है जो पत्नी के पास उस समय उपलब्ध थे जब वह अपने पति के साथ निवास कर रही थी । अपने प्रतिवाद के समर्थन में विद्वान्

अधिवक्ता श्री दास ने **चतुर्भुज** बनाम **सीता बाई**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट किया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :–

> "6. भरण-पोषण संबंधी कार्यवाहियों का उद्देश्य किसी व्यक्ति को पूर्व में की गई लापरवाही हेतु दंड देना नहीं है अपितु इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक समर्थन उपलब्ध कराना है, जो स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं और ऐसा उन व्यक्तियों को समर्थन उपलब्ध कराने हेतु मजबूर करके किया जा सकता है, जिनके विरुद्ध समर्थन उपलब्ध कराने का नैतिक दावा समुचित प्रतीत होता है । वर्तमान मामले में "स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है" पद से ऐसे उपाय अभिप्रेत हैं जो परित्यक्त पत्नी को उस समय उपलब्ध थे जब वह अपनी पति के साथ निवास कर रही थी और उक्त उपायों में ऐसे प्रयासों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता जिन्हें पत्नी ने स्वयं को जीवित रखने हेतु अपने परित्याग के पश्चात् किसी प्रकार अपनाया है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सामाजिक न्याय का एक उपाय है और इसका अधिनियमन विशेष रूप से महिलाओं और बालकों का संरक्षण करने हेतु किया गया है और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कैप्टन रमेश चंद्र कौशल **बनाम** बीना कौशल [(1978) 4 एस. सी. सी. 70 = ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 1807] वाले मामले में उल्लेख किया गया है कि उक्त उपाय भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा बल प्रदान किए गए अनुच्छेद 15(3) के सांविधानिक अधिकारों के अंतर्गत आता है । इसका उद्देश्य एक सामाजिक प्रयोजन को सिद्ध करना है । स्पष्ट रूप से इसका उद्देश्य आवरगी और निराश्रयता का निवारण करना है । यह परित्यक्त पत्नी को भोजन, वस्त्र और आश्रय की आपूर्ति के लिए शीघ्रातिशीघ्र उपचार का उपबंध करता है । यह किसी व्यक्ति के उस समय अपनी पत्नी, बालकों और माता-पिता के भरण-पोषण के मूलभूत अधिकारों तथा नैसर्गिक कर्तव्यों को प्रभावी करता है जब वह स्वयं का भरण-पोषण करने में

---

[1] (2008) 2 एस. सी. सी. 316 = ए. आई. आर. एस. सी. 530.

असमर्थ हों । पूर्वोक्त विधिक स्थिति को सविताबेन सोमाभाई भाटिया **बनाम** गुजरात राज्य [(2005) 3 एस. सी. सी. 636 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 1809] वाले मामले में भी दोहराया गया है ।"

(रेखांकन बल देने के लिए किया गया है)

10. पत्नी के विद्वान् काउंसेल श्री दास द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पत्नी ने उसके पति द्वारा उसका उत्पीड़न तथा उसे प्रपीड़ित करने की अनेक घटनाओं को साबित किया है जिसके कारण वह असहाय होने के बावजूद भी अपने पति से पृथक् होने के लिए मजबूर हुई । विद्वान् काउंसेल श्री दास द्वारा यह दलील भी प्रस्तुत की गई है कि पति ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि स्वीकार्य रूप से वह एक भलीभांति शिक्षित व्यक्ति है और वह अपनी प्राइवेट ट्यूशनों और भू-संपत्तियों से आय का अर्जन कर रहा है । इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय को पत्नी को भरण-पोषण भत्ता मंजूर किए जाने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए था ।

11. दूसरी ओर, पति की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री के. के. पाल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि पति पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करके यह साबित करने में सफल रहा है कि पत्नी ने अपने दुष्कृत्यों से छुटकारा पाने के लिए उसके विरुद्ध उपरोक्त सभी आरोप मिथ्या रूप से लगाए हैं । पति के विद्वान् काउंसेल श्री पाल के अनुसार पत्नी अपने पति की आय के संबंध में कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने में असफल रही है । इसके बजाय कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष यह साबित किया गया है कि वह अनेक प्रकार के कारबारों की स्वामी है जिनसे वह लगभग 7,000/- रुपए (सात हजार रुपए) प्रतिमास आय के रूप में अर्जित कर रही है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है । अतः, विद्वान् काउंसेल श्री पाल द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कुटुम्ब न्यायालय ने पत्नी को भरण-पोषण भत्ता मंजूर न करके सही कृत्य किया है और कुटुम्ब न्यायालय के निर्णय में वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के कारण किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

12. विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए अपने साक्ष्य में याची-पत्नी ने अपने वाद पक्षकथन का समर्थन किया है । उसने अपने साक्ष्य में इस बात को दोहराया है कि उसके पति ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थीं जिनके कारण वह उससे पृथक् होने के लिए मजबूर हो गई । उसके अनुसार उसके पति ने उसका गंभीर रूप से उत्पीड़न किया जिसके कारण वह उसका परित्याग करने हेतु मजबूर हुई । उसने अपने साक्ष्य में इस बात पर भी बल दिया है कि उसके पति की मासिक आय लगभग 20,000/- रुपए (बीस हजार रुपए) है । यद्यपि, उसने अपनी याचिका में भरणपोषण भत्ते के रूप में 15,000/- रुपए (पंद्रह हजार रुपए) की रकम का दावा किया है किन्तु न्यायालय में प्रस्तुत अपनी परिसाक्ष्य में उसने प्रतिमास 10,000/- रुपए (दस हजार रुपए) का दावा प्रस्तुत किया है ।

अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान पत्नी ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसके पुत्र का जन्म उस समय हुआ था जब वह अपने माता-पिता के साथ निवास कर रही थी । पत्नी ने स्पष्ट शब्दों में इस बात से इनकार किया कि उसने अन्य व्यक्तियों से किसी प्रकार का कोई ऋण प्राप्त किया था और साथ ही उसने इस तथ्य से भी इनकार किया कि उसने उधार देने वाले व्यक्तियों को कोई बैंक चेक जारी किया था । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने इस बात से भी इनकार किया कि वह उधार देने वाले व्यक्तियों के डर से अगरतला छोड़कर भाग गई थी । पत्नी ने इस सुझाव से भी इनकार किया कि उसकी मासिक आय लगभग 15,000/- रुपए (पंद्रह हजार रुपए) है ।

13. पत्नी के पिता श्री निलो देबबर्मा (अभि. सा. 2) ने अपनी पुत्री के पक्षकथन का समर्थन किया है । उसने विचारण न्यायालय को यह बताया कि अपने पति से झगड़ा करने के पश्चात् उसकी पुत्री ने अपने पति का परित्याग किया और वह वापस बिश्रामगंज स्थित अपने मायके आ गई । उसने इस बात को स्वीकार किया उसकी पुत्री बिश्रामगंज में एक कारबार चला रही है जिससे वह 7,000/- रुपए (सात हजार रुपए) की मासिक आय का उपार्जन कर रही है । अभि. सा. 2 ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि बिश्रामगंज स्थित वह भूमि, जिस पर उनके घर का सन्निर्माण हुआ है, उसकी पुत्री याची पति की है ।

अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 2 ने इस बात से इनकार किया कि उसकी पुत्री के विरुद्ध कोई दांडिक मामले लंबित हैं । उसने इस बात से भी इनकार किया कि उसकी पुत्री को उसके विरुद्ध लंबित दांडिक मामलों में से किसी एक मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था ।

14. दूसरी ओर, पति ने विरोधी साक्षी-1 के रूप में अपने स्वयं की परीक्षा की । उसने अपने लिखित आक्षेप में किए गए अपने प्रकथनों को दोहराया । उसने विचारण के दौरान यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि उसकी पत्नी ने कारबार के संबंध में अनेक व्यक्तियों से बड़ी रकमें उधार स्वरूप प्राप्त की थी । जब वह उसके द्वारा लिए गए ऋणों का प्रतिदाय नहीं कर सकी तो वह अगरतला छोड़कर बिश्रामगंज भाग गई । उसने यह भी कथन किया कि उसकी मासिक आय 6,000/- रुपए (छह हजार रुपए) से कम है और वह उक्त आय में से अगरतला में उसके द्वारा किराए पर लिए गए घर के लिए 2,000/- रुपए (दो हजार रुपए) प्रति मास किराए का भी संदाय करता है । पति ने यह भी अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि उसकी पत्नी अपने पिता के साथ चलाए जा रहे कारबार से 40,000/- रुपए (चालीस हजार रुपए) प्रतिमास का उपार्जन करती है और वह स्वयं का भरणपोषण करने हेतु पूर्णतया सक्षम है ।

अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि अपनी पत्नी की आय को साबित करने के लिए उसके पास किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । उसने घर की नौकरानी से विवाहेत्तर अवैध संबंध रखने के तथ्य से इनकार किया । उसने इस बात से भी इनकार किया कि उसने अपनी पत्नी का किसी भी प्रकार से कोई उत्पीड़न किया है ।

15. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है कुटुम्ब न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् इस आधार पर पत्नी को भरणपोषण भत्ता मंजूर करने से इनकार कर दिया कि वह अपने कारबार से आय का उपार्जन कर रही है और इस प्रकार वह स्वयं का भरणपोषण करने हेतु समर्थ है । पत्नी को भरणपोषण भत्ता मंजूर करने से इनकार करते हुए विचारण न्यायालय ने पति-पत्नी के 2 (दो) अप्राप्तवय बालकों में से प्रत्येक के लिए 3,000/- रुपए (तीन हजार

रुपए) प्रतिमास का मासिक भरणपोषण भत्ता मंजूर किया । विद्वान् विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में से सारवान् उद्धरण निम्नानुसार है :–

> "8. याची और विरोधी पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि याची ने विधिक रूप से पति से विवाह किया था और इस प्रकार वह उसकी विधिक रूप से विवाहित पत्नी है । याची के पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य भी प्रकट होता है कि विरोधी पक्ष ने याची के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया और धन की मांग करते हुए उस पर हमला भी किया गया । विरोधी पक्षकार, याची की प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसा कोई तथ्य सामने लाने में असफल रहा है जिससे याची द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके । अभि. सा. 2 याची के पक्ष की ओर से उपस्थित होने वाला साक्षी है और उसने भी याची पर हमला किए जाने संबंधी याची के पक्षकथन का समर्थन किया है । याची ने उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसकी अपनी स्वयं की कोई आय विद्यमान नहीं है और वह पूर्णतया अपने माता-पिता पर आश्रित है । किन्तु याची के पिता (अभि. सा. 2) के साक्ष्य का विश्लेषण करने से यह तथ्य सामने आता है कि याची कोई कारबार करके प्रतिमास 5,000/- से 7,000/- रुपए की आय का उपार्जन कर रही है । अभि. सा. 2 ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि याची वित्तीय रूप से भी उसकी सहायता करती है । इस प्रकार याची द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, जहां तक याची की आय का संबंध है, अभि. सा. 2 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विरोधाभासी है । इस प्रकार याची के पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण करने पर यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि याची किसी प्रकार का कोई कारबार कर रही है और ऐसे कारबार से वह प्रतिमास 5,000/- रुपए से 7,000/- रुपए की आय का उपार्जन कर रही है । इस प्रकार वह स्वयं का भरणपोषण करने हेतु सक्षम है । अब विरोधी पक्षकार की आय के संबंध में विश्लेषण करते हैं और चूंकि विरोधी पक्षकार अगरतला में प्राइवेट ट्यूशन लेता है जिससे उसकी मासिक आय लगभग 15,000/- रुपए है । विरोधी पक्षकार ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस तथ्य को

स्वीकार किया है कि उसका रबड़ का एक बगीचा भी है और इस प्रकार उक्त कारबार से उसकी मासिक आय 5,000/- के रूप में निर्धारित की गई है । इस प्रकार विरोधी पक्षकार की कुल मासिक आय 20,000/- रुपए के रूप में निर्धारित की गई है । अतः, उक्त चर्चा और दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान मामले की याची विरोधी पक्षकार की विधिक रूप से विवाहित पत्नी है और विरोधी पक्षकार पर्याप्त आय स्रोत होने के बावजूद याची सं. 2 और 3 का भरणपोषण नहीं कर रहा है ।

तद्नुसार, सभी बिन्दुओं को याची के पक्ष में अधिनिर्णीत किया जाता है ।

9. अब इस बात का विनिश्चय किया जाना है कि याची के भरणपोषण के संबंध में वह कितनी रकम की हकदार है ।

तद्नुसार, ऊपर की गई चर्चा से मेरी सुविचारित राय यह है कि याची द्वारा विरोधी पक्षकार के विरुद्ध उससे भरणपोषण की ईप्सा करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन फाइल की गई याचिका में गुण विद्यमान है और तद्नुसार उसे मंजूर किया जाता है ।

10. परिणामतः, विरोधी पक्षकार को यह निदेश दिया जाता है कि वह तारीख 1 जुलाई, 2019 से अगले आदेश तक याची सं. 2 और 3 में से प्रत्येक को 3,000/- रुपए प्रतिमास की दर से भरण-पोषण भत्ते का संदाय करे, अर्थात् कुल 6,000/- रुपए प्रतिमास का संदाय करे । विरोधी पक्षकार को यह भी निदेश दिया जाता है कि वह अगले आदेश तक याची को प्रत्येक अंग्रेजी कलेण्डर मास के प्रारंभ से दस दिन के भीतर उक्त भरणपोषण भत्ते का संदाय मनी आर्डर, मनी आर्डर की लागत को उक्त धन राशि से घटाने के पश्चात्, के माध्यम से करे ।"

16. कुटुम्ब न्यायालय ने पति-पत्नी के 2 (दो) बालकों में से प्रत्येक को 3,000/- रुपए (तीन हजार रुपए) प्रतिमास की दर से भरण-

पोषण भत्ता मंजूर करते हुए इस आधार पर पत्नी को भरणपोषण भत्ता मंजूर करने से इनकार कर दिया कि वह स्वयं अपना भरणपोषण करने हेतु सक्षम है । यद्यपि, पत्नी ने इस बात से इनकार किया है कि उसकी स्वयं की कोई आय है किन्तु उसके पिता निलो देबबर्मा (अभि. सा. 2) ने विचारण के दौरान स्पष्ट शब्दों में यह कथन किया है कि उसकी पुत्री अपने कारबार से 7,000/- रुपए (सात हजार रुपए) की मासिक आय का उपार्जन कर रही है ।

17. स्वीकार्य रूप से पत्नी अपने पति को छोड़ने के पश्चात् बिश्रामगंज में अपने पति द्वारा उपलब्ध कराए गए भूखंड पर अपने माता-पिता के साथ निवास कर रही है । इस बात से भी इनकार नहीं किया गया है कि विवाह के पश्चात् पति ने बिश्रामगंज में पत्नी के कारबार को स्थापित करने हेतु उसे धन और सामग्री उपलब्ध कराई थी ।

18. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 यह उपबंध करती है कि कोई पत्नी, जो स्वयं का भरणपोषण करने में असमर्थ है, अपने ऐसे पति से भरणपोषण भत्ता प्राप्त करने की हकदार है जो पर्याप्त आय के साधन होने के बावजूद उसकी अनदेखी करता है या अपनी पत्नी का भरणपोषण करने से इनकार करता है ।

19. वर्तमान मामले में, पत्नी काफी लंबी समयावधि से अपने पति से पृथक् रह रही है । पत्नी इस प्रभाव का कोई सारवान् साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रही है जो उसके इस दावे को स्थापित कर सके कि उसका पति उनके बीच संबंधों के समाप्त होने के लिए उत्तरदायी है । इसकी बजाय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह उपदर्शित होता है कि पत्नी ने जब अपने पति का परित्याग किया था तो इस समय पति ने अपनी पत्नी को वापस लाने हेतु प्रयास किए जो व्यर्थ सिद्ध हुए । यह स्पष्ट है कि जब वे पृथक् होने से पूर्व एक साथ निवास कर रहे थे तो पति और पत्नी ने एक साथ मिकर विभिन्न कारबार आरंभ किए थे । उन्होंने एक साथ मिलकर रबड़ के एक बगीचे का क्रय किया था । उसके पश्चात् उन्होंने एक मुर्गी पालन फार्म की स्थापना की थी और पत्नी ने

बिश्रामगंज स्थित अपने मायके वाले घर में वस्त्रों के विक्रय संबंधी एक कारबार को भी स्थापित किया था । अभिलेख पर यह तथ्य भी आया है कि पत्नी उनके पृथक् होने से पूर्व भी कोई कारबार कर रही थी । इस प्रकार पत्नी **चतुर्भुज** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायलय द्वारा दिए गए उस निर्णय से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकती जिसका अवलंब उसके विद्वान् काउंसेल द्वारा लिया गया है । दूसरी ओर, पति ने यह कथन किया है कि प्राइवेट ट्यूशन से उसकी मासिक आय 6,000/- रुपए (छह हजार रुपए) से अधिक नहीं है । उसके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अपनी उक्त आय से वह स्वयं का भरणपोषण करता है और वह उस घर हेतु, जिसमें वह अगरतला में निवास कर रहा है, 2,000/- रुपए (दो हजार रुपए) प्रतिमास के किराए का संदाय भी करता है । तथापि, वह अपने अप्राप्तवय बालकों का भरणपोषण करने संबंधी अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता । विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय ने उसे सही रूप से यह निदेश दिया है कि वह अपने प्रत्येक बालक को 3,000/- रुपए (तीन हजार रुपए) प्रतिमास की दर से भरणपोषण भत्ते का संदाय करे ।

20. चूंकि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि पत्नी की अपनी आय है और वह अपना भरणपोषण करने हेतु समर्थ है, अत: हमें कुटुम्ब न्यायालय के निर्णय में कोई दोष प्रतीत नहीं होता है, जिसके द्वारा कुटुम्ब न्यायालय पत्नी को भरणपोषण भत्ता मंजूर करने से इनकार किया है । अत:, विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के परिणामस्वरूप कोई हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

21. परिणामत:, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जाता है ।

याचिका खारिज की गई ।

पु.

बुलटान दास

बनाम

त्रिपुरा राज्य

(2019 की दांडिक अपील सं. 47)

तारीख 1 मार्च, 2021

न्यायमूर्ति अरिंदम लोध

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) – धारा 8, धारा 7 और धारा 4 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 451 और धारा 476] – अभियुक्त के विरुद्ध लैंगिक हमला करने का आरोप लगाया जाना – अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से पीड़ित लड़की के घर में अतिचार किया जाना तथा घर में उसके अकेले होने के अवसर का लाभ उठाते हुए उसके साथ जबरदस्ती बलात्संग किया जाना – न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में बलात्संग के मामले का समर्थन न किया जाना – पीड़ित लड़की के जन्म प्रमाणपत्र से यह स्थापित किया जाना कि लड़की की आयु घटना के समय मात्र 15 वर्ष थी और वह उस समय विधिक सम्मति देने में समर्थ नहीं थी – पीड़ित लड़की द्वारा यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया जाना कि अभियुक्त उसके घर आया, उसने उसके मुख को दबाया और उस पर लैंगिक हमला किया – पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रभाव के अभिसाक्ष्य की पुष्टि उसके माता-पिता द्वारा किया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 376(1) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन लगाए गए आरोपों के अधीन दोषमुक्ति जबकि पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के अधीन दोषसिद्धि किया जाना – मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह बात भली-भांति स्थापित हो जाती है कि अभियुक्त ने एक अप्राप्तवय बालिका के साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के अधीन यथापरिभाषित लैंगिक हमले का अपराध किया है और इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा

पारित उसकी दोषसिद्धि का निर्णय और दंडादेश सर्वथा उचित है और उनमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं हैं ।

वर्तमान मामले का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभियोजन अभिकरण ने उस समय अपनी कार्यवाहियां आरंभ की जब पीड़िता के पिता द्वारा तारीख 15 जुलाई, 2017 को एक शिकायत फाइल की गई, जिसमें यह अभिकथन किया गया कि तारीख 14 जुलाई, 2017 को प्रात: लगभग 7.00 बजे इत्तिलाकर्ता और उसकी पत्नी अन्य दिनों की भांति अपने व्यवसायिक कार्य के लिए घर से निकले और उस समय उनकी अप्राप्तवय बालिका (जिसके नाम को गोपनीय रखा गया है) घर पर अकेली थी । अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात् दोपहर लगभग 3.00 बजे जब वे अपने घर वापस आए तो उन्होंने यह देखा कि अभियुक्त बुलटान दास जल्दी-जल्दी उनके घर के पिछवाड़े से निकला और वहां से भाग गया । अपनी आवासीय झोपड़ी में प्रवेश करने के पश्चात् उन्होंने देखा कि उनकी अप्राप्तवय पुत्री बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी थी और जब वह वापस अपने होश में आई तो उसने उन्हें यह बताया कि उसके अकेले होने के अवसर का लाभ उठाते हुए अभियुक्त बुलटान दास ने उसके बिस्तर पर जबरदस्ती उसके साथ बलात्संग किया । उसके पश्चात् उन्होंने इस मामले के संबंध में अपने स्थानीय नेताओं को सूचित किया और उनके द्वारा दी गई राय के अनुसार इत्तिलाकर्ता ने यह मामला दर्ज कराया है । पूर्वोक्त शिकायत के आधार पर बाईखोड़ा पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी ने दंड संहिता की धारा 448/376 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन बाईखोड़ा पुलिस थाने के मामला सं. 2017/बीकेआर/040 को रजिस्टर किया और उसके पश्चात् उक्त मामला अन्वेषण हेतु उपनिरीक्षक तपस कुमार दास को सौंप दिया गया । उसके पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने सिद्धदोष व्यक्ति-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 448/376(1) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया । आरोप पत्र प्राप्त होने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया । अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपों को विरचित किया गया । अभियोजन पक्ष ने उसके द्वारा

लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कुल 9 साक्षियों की परीक्षा की और साथ ही कुछ दस्तावेजों को न्यायालय के अभिलेख पर रखा, जिसमें पीड़ित लड़की और साथ ही अभियुक्त की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट और त्रिपुरा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी सम्मिलित है । अभिसाक्ष्यों को लेखबद्ध करने के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गई, जिसके दौरान उसने अभियोजन साक्षियों द्वारा उसके विरुद्ध प्रस्तुत किए गए उसे फंसाने वाले सभी साक्ष्यों से इनकार किया । दोनों पक्षकारों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् विद्वान् विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराते हुए दंडादिष्ट किया । उक्त दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर अभियुक्त-अपीलार्थी ने वर्तमान अपील फाइल की है । उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक् मूल्यांकन करने के पश्चात् अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – जन्म प्रमाणपत्र के माध्यम से पीड़ित लड़की की आयु साबित हो जाने के पश्चात् न्यायालय के समक्ष यह निष्कर्ष निकालने के अलावा कोई अन्य विकल्प मौजूद नहीं है कि घटना के समय पीड़ित लड़की आयु लगभग 15 वर्ष थी, अर्थात् उस समय उसकी सम्मति विधिक रूप से मान्य नहीं थी । एसएफएल रिपोर्ट बलात्संग के मामले का समर्थन नहीं करती और इसलिए विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने दंड संहिता की धारा 376(1) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध विरचित आरोपों को समाप्त करके कोई त्रुटि नहीं की है । किन्तु अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने पीड़ित लड़की के मुख को दबाया था और इस प्रकार उसने पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के अधीन यथापरिभाषित लैंगिक हमले का अपराध कारित किया है । उच्च न्यायालय को संपूर्ण अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् ऐसी कोई सामग्री प्रतीत नहीं हुई जिसके आधार पर विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त के दोषी होने संबंधी निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप किया जाए । तद्नुसार, अभियुक्त की दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश में कोई

हस्तक्षेप नहीं किया जाता और उन्हें सही ठहराते हुए उनकी पुष्टि की जाती है । तद्नुसार अपीलार्थी को यह निदेश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की प्रति की प्राप्ति की तारीख से 7 (सात) दिन के भीतर बाईखोड़ा पुलिस थाने के समक्ष आत्मसमर्पण करे । इस निर्णय की एक प्रति बाईखोड़ा पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी और साथ ही विद्वान् विशेष न्यायाधीश, दक्षिण त्रिपुरा को अग्रेषित की जाए ताकि वे विधि के अनुसार आगे कार्यवाही कर सकें । (पैरा 10 और 11)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 47.

वर्तमान अपील विद्वान् विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), दक्षिण त्रिपुरा, बलौनिया द्वारा तारीख 6 सितम्बर, 2019 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आर. जी. चक्रबॉर्ती

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एस. घोष, अपर लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति अरिंदम लोध – अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री आर. जी. चक्रबॉर्ती को सुना और साथ ही प्रत्यर्थी-राज्य के लिए उपस्थित होने वाले अपर लोक अभियोजक श्री एस. घोष को भी सुना ।

2. वर्तमान अपील विद्वान् विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), दक्षिण त्रिपुरा, बलौनिया द्वारा वर्ष 2017 के विशेष (पॉक्सो) मामला सं. 22 में तारीख 6 सितम्बर, 2019 को पारित उस दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'पॉक्सो' अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 और भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 451 के अधीन अपराध कारित करने हेतु सिद्धदोष ठहराया गया और उसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के अधीन 3 (तीन) वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया और साथ ही उस पर व्यतिक्रम अनुबंध के साथ

2,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया और इसके अतिरिक्त उसे दंड संहिता की धारा 451 के अधीन अपराध करने के लिए 6 (छह) मास के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया और साथ ही उस पर व्यतिक्रम अनुबंध के साथ 1,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया ।

3. विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसार अभियोजन का पक्षकथन निम्नानुसार है :–

> "2. अभियोजन अभिकरण ने उस समय अपनी कार्यवाहियां आरंभ की जब पीड़िता के पिता द्वारा तारीख 15 जुलाई, 2017 को एक शिकायत फाइल की गई, जिसमें यह अभिकथन किया गया कि तारीख 14 जुलाई, 2017 को प्रात: लगभग 7.00 बजे इत्तिलाकर्ता और उसकी पत्नी अन्य दिनों की भांति अपने व्यवसायिक कार्य के लिए घर से निकले और उस समय उनकी अप्राप्तवय बालिका (जिसके नाम को गोपनीय रखा गया है) घर पर अकेली थी । अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात् दोपहर लगभग 3.00 बजे जब वे अपने घर वापस आए तो उन्होंने यह देखा कि अभियुक्त बुलटान दास जल्दी-जल्दी उनके घर के पिछवाड़े से निकला और वहां से भाग गया । अपनी आवासीय झोपड़ी में प्रवेश करने के पश्चात् उन्होंने देखा कि उनकी अप्राप्तवय पुत्री बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी थी और जब वह वापस अपने होश में आई तो उसने उन्हें यह बताया कि उसके अकेले होने के अवसर का लाभ उठाते हुए अभियुक्त बुलटान दास ने उसके बिस्तर पर जबरदस्ती उसके साथ बलात्संग किया । उसके पश्चात् उन्होंने इस मामले के संबंध में अपने स्थानीय नेताओं को सूचित किया और उनके द्वारा दी गई राय के अनुसार इत्तिलाकर्ता ने यह मामला दर्ज कराया है ।"

4. पूर्वोक्त शिकायत के आधार पर बाईखोड़ा पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी ने दंड संहिता की धारा 448/376 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन बाईखोड़ा पुलिस थाने के मामला सं. 2017/ बीकेआर/040 को रजिस्टर किया और उसके पश्चात् उक्त मामला

अन्वेषण हेतु उपनिरीक्षक तपस कुमार दास को सौंप दिया गया । अन्वेषण अधिकारी ने मामले के दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात् घटनास्थल का दौरा किया और साथ ही पीड़ित लड़की सहित अन्य उपलब्ध साक्षियों के कथनों को लेखबद्ध किया और उसके पश्चात् उसने इस संबंध में व्यवस्था की कि पीड़ित लड़की के कथन को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 164(5) के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष लेखबद्ध किया जा सके और उसके पश्चात् उसने उन वस्त्रों का भी अभिग्रहण किया जो पीड़ित लड़की ने घटना के समय पहनी हुई थी और तत्पश्चात् उसने पृथक् अनुक्रमणिका के साथ घटनास्थल का स्थलनक्शा तैयार किया ।

5. उसके पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने सिद्धदोष व्यक्ति-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 448/376(1) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया । आरोप पत्र प्राप्त होने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया । अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपों को विरचित किया गया । अभियोजन पक्ष ने उसके द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कुल 9 साक्षियों की परीक्षा की और साथ ही कुछ दस्तावेजों को न्यायालय के अभिलेख पर रखा, जिसमें पीड़ित लड़की और साथ ही अभियुक्त की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट और त्रिपुरा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी सम्मिलित है ।

6. अभिसाक्ष्यों को लेखबद्ध करने के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गई, जिसके दौरान उसने अभियोजन साक्षियों द्वारा उसके विरुद्ध प्रस्तुत किए गए उसे फंसाने वाले सभी साक्ष्यों से इनकार किया ।

7. दोनों पक्षकारों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् विद्वान् विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने अभियुक्त को ऊपर कथित किए गए अनुसार सिद्धदोष ठहराते हुए दंडादिष्ट किया । उक्त दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर अभियुक्त-अपीलार्थी ने वर्तमान अपील फाइल की है ।

8. श्री आर. जी. चक्रबॉर्ती, सिद्धदोष व्यक्ति-अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 376 और धारा 4 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया था किन्तु विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति को पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के अधीन सिद्धदोष ठहराते हुए उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया है । अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री चक्रबॉर्ती ने विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा यथापारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के न्यायोचित्य को चुनौती दी है ।

9. दूसरी ओर, राज्य-प्रत्यर्थी के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री एस. घोष ने यह दलील प्रस्तुत की है कि पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत किए गए कथन, जिसकी सारवान् रूप से उसके माता-पिता, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 4 और अन्य साक्षियों द्वारा पुष्टि की गई है, पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । इस दलील के परिणामस्वरूप मैंने अभि. सा. 1 पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य का परिशीलन किया जो निम्नानुसार है :–

> "6. पीड़ित लड़की ने अभि. सा. 1 के रूप में यह कथन किया है कि तारीख 14 जुलाई, 2017 को दोपहर के समय वह अपने घर पर अकेली थी । पीड़ित लड़की ने यह दावा किया है कि वह अभियुक्त बुलटान दास से परिचित है क्योंकि बुलटान दास प्राय: उनके पड़ोसी रुपन दास के घर आया-जाया करता था और एक अवसर पर बुलटान दास एक वृक्ष को काटने हेतु रुपन दास के घर आया था । पीड़ित लड़की द्वारा किए गए कथन के अनुसार बुलटान दास घटना के दिन उसके घर आया और उसने पीड़ित लड़की को यह सूचित किया कि पीड़ित लड़की की माता ने उसे उनके घर में लगे एक वृक्ष को काटने का अनुरोध किया है और यह सुनकर पीड़ित लड़की ने बुलटान दास को यह कहा कि चूंकि उसके माता-पिता उस समय घर पर नहीं थे इसलिए वह कुछ समय पश्चात् आए । तत्पश्चात्, वह अपने घरेलू कार्य पूरा करके निद्रामग्न हो गई । अकस्मात् रूप से उसने यह महसूस किया कि

उसके बिस्तर पर किसी व्यक्ति ने उसे आलिंगनबद्ध किया है तथा निद्रा खुलने पर उसने देखा कि वह व्यक्ति अभियुक्त बुलटान दास था । उसने अभियुक्त का विरोध करना आरंभ किया किन्तु बुलटान दास ने उसके मुख का दबा दिया और उसके पश्चात् वह बेहोश हो गई और जब वह होश में आई तो उसने यह देखा कि उसकी माता उसके समीप खड़ी थी । उसकी माता ने उसे यह बताया कि जब वह घर वापस आई तो उसने यह देखा कि बुलटान दास उसकी चारपाई पर उसके साथ सो रहा था और अभियुक्त उसकी माता को देखकर वहां से भाग गया । उसने उसके साथ बीती घटना की जानकारी अपनी माता को दी । पीड़ित लड़की के अनुसार वस्तुतः, उसके पिता भी उस समय तक घर पहुंच गए थे किन्तु जब उसने इस घटना के बारे में अपनी माता को बताया तो उस समय उसके पिता झोपड़ी में मौजूद नहीं थे । उसके पश्चात् पीड़ित लड़की के पिता ने अभियुक्त बुलटान दास के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उसे एक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना कथन लेखबद्ध कराया था तथा उसने उस कथन पर हस्ताक्षर भी किए थे और पीड़ित लड़की ने प्रदर्श-1 के रूप में चिह्नित कथन पर अपने हस्ताक्षरों को भी साबित किया । पीड़ित लड़की ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसे बाईखोड़ा अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के समक्ष ले जाया गया था और चिकित्सा अधिकारी ने उसकी चिकित्सा परीक्षा की थी । जिस दिन न्यायालय के समक्ष पीड़ित लड़की की परीक्षा की गई थी उस दिन अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं था और इसलिए वह कठघरे में अभियुक्त की शनाख्त नहीं कर सकी थी । पीड़ित लड़की के अनुसार उसकी जन्म-तिथि 15 जून, 2002 है ।

अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 1 ने इस तथ्य से इनकार किया कि उसके बुलटान दास के साथ अवैध संबंध थे । उसने प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य को स्वीकार किया कि घटना के दिन उसके पिता अपने काम पर गए थे और उसकी माता उसके नाना के घर गई हुई थी । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान पीड़ित लड़की ने

इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष यह कथन किया है कि जब उसकी निद्रा टूटी तो उसने यह देखा कि बुलटान उसके ऊपर लेटा हुआ था और यह देखकर उसने चीख-पुकार मचाई किन्तु अभियुक्त ने उसका विरोध किया और पीड़ित लड़की ने बुलटान के साथ संघर्ष करने का प्रयास किया जिसके परिणामस्वरूप वह भूमि पर गिर गई और उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि दोपहर लगभग 3.00 बजे उसकी माता ने उसके चेहरे पर थोड़ा पानी फेंका तो वह वापस होश में आई और उसने इस संपूर्ण घटना की जानकारी अपनी माता को दी । पीड़ित लड़की ने मजिस्ट्रेट के समक्ष यह भी कथन किया था कि घटना की तारीख दोपहर लगभग 12.00/1.00 बजे वह घर पर अकेली थी । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि पुलिस द्वारा उसकी परीक्षा की गई थी तथा उसने मामले के अन्वेषण अधिकारी के समक्ष यह कथन किया था कि दोपहर का भोजन करने के पश्चात् वह निद्रामग्न हो गई थी किन्तु अकस्मात् उसने यह महसूस किया कि किसी ने उसे आलिंगनबद्ध किया है और इसके कारण उसकी निद्रा खुल गई और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि बुलटान ने उसे आलिंगन में लिया हुआ है और वह उसकी पैंटी उतार रहा था, उसके पश्चात् बुलटान ने उसे चुप रहने की धमकी दी और यह कहा कि यदि वह चुप नहीं हुई तो वह उसकी हत्या कर देगा । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उसने यह कथन किया था कि बुलटान ने जबरदस्ती उसके साथ बलात्संग किया किन्तु उसने यह भी कथन किया कि उसे इस बात का विस्मरण हो गया है कि उसने यह तथ्य मजिस्ट्रेट के समक्ष बताया था अथवा नहीं कि जब वह निद्रा से जागी तो उसने यह देखा कि बुलटान ने उसे आलिंगन में लिया हुआ है और बुलटान ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और उसके पश्चात् उसने उसकी पैंटी को उतार कर उसके साथ बलात्संग किया । इसके पश्चात्, प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अनुरोध किए जाने पर उसकी फिर से प्रतिपरीक्षा की गई जहां उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष निम्नलिखित कथन प्रस्तुत किया था – 'मैं अकस्मात् निद्रा से जग गई और मैंने यह महसूस किया कि

बुलटान दास मेरे शरीर पर लेटा हुआ था । मैंने चीख-पुकार मचाने का प्रयास किया किन्तु अभियुक्त ने मुझे अवरुद्ध कर दिया और उसके पश्चात् मेरे और अभियुक्त के बीच में परस्पर संघर्ष हुआ जिसके परिणामस्वरूप मैं भूमि पर गिर गई और मैं अपने होश खो बैठी' तथा पीड़ित लड़की ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि होश खोने के पश्चात् उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ ।"

7. अभि. सा. 2 पीड़ित लड़की का पिता है । उसके अनुसार तारीख 14 जुलाई, 2017 को दोपहर लगभग 3.00 बजे वह और उसकी पत्नी घर वापस आए । उस समय उन्होंने यह देखा कि बुलटान दास उनके बरामदे में मौजूद था और उसके पश्चात् उसकी पत्नी झोपड़ी में प्रवेश कर गई । अपनी पत्नी के पीछे-पीछे उसने भी झोपड़ी में प्रवेश किया और उसने यह देखा कि उसकी पीड़ित पुत्री नग्नावस्था में चारपाई पर पड़ी थी । यह देखकर वह तुरंत झोपड़ी से बाहर आ गया । उसकी पत्नी ने उसकी पुत्री के मुख पर पानी के छींटे मारे और उस समय वह बरामदे में ही खड़ा था । उसने यह सुना कि उसकी पुत्री ने उसकी पत्नी के समक्ष यह कथन किया कि बुलटान दास उनके घर आया और उसने उनके बारे में पूछताछ की और उसके बाद वह उनके घर से चला गया । उसके पश्चात् बुलटान दास पुन: उनके घर आया और उसने उसकी पुत्री के साथ उस समय संघर्ष किया जब वह चारपाई पर निद्रामग्न थी और उसने उसकी पुत्री के साथ बलात्संग किया और उसके पश्चात् अभि. सा. 2 ने इस मुद्दे के संबंध में एक स्थानीय सदस्य, श्रीमती चक्रबॉर्ती, जिसका नाम वह भूल गया है, से बात की और साथ ही उसने एक अन्य महिला को भी इस मुद्दे के संबंध में बताया और उसका नाम भी वह स्मरण करने में असमर्थ था । उसने यह कथन किया कि उन महिलाओं ने उसे यह आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे का समाधान करेंगी किन्तु उसके साले सुब्रत भौमिक ने उसे यह बताया कि यह कोई शमनीय विवाद नहीं है और इसलिए उसने अगले दिन इस संबंध में पुलिस थाने में मामला दर्ज किया और

उसने प्रदर्श-2 के रूप में विद्यमान इजाहर पर अपने हस्ताक्षरों को साबित किया । वह पीड़ित लड़की द्वारा घटना के समय पहने गए वस्त्रों के संबंध में अभिग्रहण साक्षी भी है और उसने प्रदर्श-3 के रूप में चिन्हित अभिग्रहण सूची पर मौजूद अपने हस्ताक्षरों को साबित किया । वह अपनी पीड़ित पुत्री के विद्यालय प्रमाणपत्र और जन्म प्रमाणपत्र के अभिग्रहण के संबंध में भी एक अभिग्रहण साक्षी है और उसने प्रदर्श-4 के रूप में चिन्हित अभिग्रहण सूची पर मौजूद अपने हस्ताक्षरों को साबित किया । उसने प्रदर्श-5 के रूप में चिन्हित पीड़ित लड़की के जन्म प्रमाणपत्र को भी साबित किया ।

8. प्रदर्श-5 पीड़ित लड़की (अभि. सा. 1) का जन्म प्रमाणपत्र है जिसे स्वास्थ्य और सेवा विभाग, त्रिपुरा सरकार, ग्राम पंचायत चरकबी द्वारा जारी किया गया है और उस पर अपर जिला रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु यूनिट, जोलईबारी आर. डी. ब्लॉक, दक्षिण त्रिपुरा द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और उक्त जन्म प्रमाणपत्र यह दर्शित करता है कि पीड़ित लड़की का जन्म तारीख 15 जून, 2002 को हुआ था और उक्त प्रमाणपत्र का रजिस्ट्रीकरण सं. बी-2017:16-90070-000002 है तथा उसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख 3 मार्च, 2017 है और उक्त प्रमाणपत्र में पीड़ित लड़की के पिता का नाम भी लिखा गया है । इस संबंध में मैं वर्ष 2017 की दांडिक अपील जेल सं. 16 में माननीय त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 22 फरवरी, 2019 को पारित निर्णय को निर्दिष्ट करना चाहूंगा । उक्त निर्णय के पैरा 7 (उप पैरा 8) में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार संप्रेक्षण किया है :-

> 'जब किसी न्यायालय के समक्ष जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किए गए जन्म प्रमाणपत्र को प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त प्रमाणपत्र को तब तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 74 द्वारा यथा अभिस्वीकृत लोक दस्तावेज के रूप में माना जाएगा, जब तक कि यह दर्शित न कर दिया जाए कि अभिलेख उक्त

अधिनियम के अधीन यथाघोषित प्राधिकारी द्वारा तैयार नहीं किया गया था ।'

अभि. सा. 4 पीड़ित लड़की की माता है । उसने भी यह कथन किया है कि पीड़ित लड़की का जन्म तारीख 15 जून, 2002 को हुआ था । इस प्रकार मैं इस निष्कर्ष पहुंचा हूं कि पीड़ित लड़की की आयु के सबूत को माता-पिता द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए पीड़ित लड़की के जन्म प्रमाणपत्र से समर्थन प्राप्त होता है । अत:, प्रदर्श-5 पर विश्वास न करने का कोई आधार विद्यमान नहीं है क्योंकि उसकी सम्यक् रूप से पीड़ित लड़की के माता-पिता द्वारा पुष्टि की गई है । घटना तारीख 14 जुलाई, 2017 को घटित हुई थी और इस प्रकार उस समय पीड़ित लड़की की आयु 15 वर्ष और 1 मास थी और इस प्रकार घटना के समय वह अप्राप्तवय थी ।

9. पीड़ित लड़की की माता (अभि. सा. 4) द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य से यह तथ्य सामने आता है कि तारीख 14 जुलाई, 2017 की प्रात: उसका पति अपने व्यवसायिक कार्य हेतु घर से निकला था और वह स्वयं भी किसी कार्यवश प्रात: लगभग 10.00 बजे अपने मायके गई थी । उसका पुत्र कक्षा 8 का छात्र है और वह भी उस समय अपने विद्यालय गया हुआ था । उसकी पीड़ित पुत्री उस समय घर पर थी क्योंकि उसने उसे उस दिन विद्यालय न जाने का अनुरोध किया था । अभि. सा. 4 के अनुसार दोपहर लगभग 3.00 बजे जब वह घर लौटी तो उसने यह देखा कि अभियुक्त बुलटान दास उनके घर से निकलकर भाग रहा था । उसने अपनी झोपड़ी में प्रवेश किया और यह पाया कि उसकी पीड़ित पुत्री चारपाई पर लगभग बेहोशी की अवस्था में पड़ी थी । उसने अपनी पुत्री की अवस्था को ठीक-ठाक किया और उसे आराम से लिटाया तथा उसके पश्चात् उसने उसके मुख पर पानी के छींटे मारे जिससे वह होश में आई तथा उसके द्वारा पूछे जाने पर उसकी पुत्री ने उसे यह सूचित किया कि बुलटान दास एक पेड़ काटने, जिसके संबंध में उसने स्वयं कुछ दिन पूर्व उससे अनुरोध

किया था, के बहाने उनके घर आया और उस समय पीड़ित लड़की ने अभियुक्त को कुछ समय पश्चात् आने के लिए कहा क्योंकि उस समय वह घर में अकेली थी और उसके पश्चात् उसकी पीड़ित पुत्री निद्रामग्न हो गई । उसके बाद अभियुक्त बुलटान दास पुन: उनके घर आया और उसने जबरदस्ती उसकी पीड़ित पुत्री के साथ बलात्संग किया । अभि. सा. 4 के अनुसार उसका पति भी उसके साथ घर वापस आया था किन्तु उसका पति उस समय घर के बरामदे में खड़ा था जब उसने पीड़ित लड़की से घटना की जानकारी प्राप्त की थी । उसके तुरंत पश्चात् उसने इस घटना की जानकारी अपने पति को दी और उसके पति ने भी पीड़ित लड़की से इस घटना के बारे में पूछा तो पीड़ित लड़की ने उसके पति को भी घटना की पूर्ण जानकारी दी । उसके पश्चात् उसका पति उसके मायके गया और उसने इस घटना की सूचना अभि. सा. 4 के पिता तपन भौमिक को दी । इसके 15-20 मिनट के भीतर अभि. सा. 4 के पिता घटनास्थल पर आ गए । उसका पति शंकर भौमिक, जो एक प्रमुख पंचायत सदस्य है, के पास गया और उसने इस घटना की जानकारी उसे दी और साथ ही उसने इस घटना की जानकारी अजित सरकार नामक एक अन्य व्यक्ति को भी दी । सायंकाल में उसने इस मुद्दे के संबंध में बिमल बैद्यया नामक व्यक्ति से भी बात की और उन्होंने उसे यह सलाह दी कि वह इस संबंध में मामला दर्ज कराए । चूंकि उसने उस घटना के दिन अनेक व्यक्तियों से परामर्श किया था इसलिए वे उस दिन मामला दर्ज नहीं करा सके । अगले दिन उसके पति ने पुलिस थाने में जाकर यह मामला दर्ज किया । अभि. सा. 4 ने यह भी कथन किया है कि पीड़ित लड़की को चिकित्सीय उपचार हेतु बाईखोड़ा अस्पताल ले जाया गया था और एक पुलिस अधिकारी ने रक्त के नमूनों, योनि के बालों और योनिक लेप का एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा अभिग्रहण कराया और साक्षी ने उक्त अभिग्रहण सूची पर हस्ताक्षर किए तथा उसने प्रदर्श-6 के रूप में चिन्हित उक्त अभिग्रहण सूची पर मौजूद अपने हस्ताक्षरों को साबित किया है । अभि. सा. 4 ने प्रदर्श-4/2 के रूप में चिन्हित पीड़ित लड़की के विद्यालय प्रमाणपत्र

और जन्म प्रमाणपत्र के संबंध में अभिग्रहण सूची पर मौजूद अपने हस्ताक्षरों को भी साबित किया है ।

पीड़ित लड़की, पीड़ित लड़की के पिता और पीड़ित लड़की की माता की प्रतिपरीक्षा के दौरान प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा यह सुझाव प्रस्तुत किया गया कि पीड़ित लड़की के अभियुक्त बुलटान दास के साथ प्रेम संबंध थे । इसके अतिरिक्त, प्रतिरक्षा पक्ष ने अभि. सा. 4 के समक्ष यह सुझाव भी प्रस्तुत किया कि अभि. सा. 4 पीड़ित लड़की का विवाह अभियुक्त बुलटान दास के साथ करना चाहती थी और साथ ही यह भी सुझाव दिया कि चूंकि बुलटान दास ने पीड़ित लड़की से विवाह करने से इनकार कर दिया था इसलिए वर्तमान मामले को मिथ्या रूप से तैयार किया गया । किन्तु उक्त साक्षियों ने इन सभी सुझावों से इनकार किया ।

श्री तपन भौमिक (अभि. सा. 3) पीड़ित लड़की की माता (अभि. सा. 4) का पिता है । अभि. सा. 3 के अनुसार तारीख 15 जुलाई, 2017 को एक पुलिस अधिकारी ने उसकी नातिन, अर्थात् पीड़ित लड़की की एक फ्रॉक का अभिग्रहण किया और उसने यह देखा था कि उक्त फ्रॉक पर लाल और सफेद रंग के धब्बे विद्यमान थे और पीड़ित लड़की ने यह फ्रॉक उस समय पहनी हुई थी जब अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्संग किया गया । अभि. सा. 3 ने साक्षी के रूप में उसकी नातिन द्वारा घटना के समय पहने गए वस्त्रों के रूप में उक्त फ्रॉक के अभिग्रहण से संबंधित अभिग्रहण सूची पर हस्ताक्षर किए और उसने प्रदर्श-3/1 के रूप में चिन्हित उक्त अभिग्रहण सूची पर मौजूद अपने हस्ताक्षरों को साबित किया । उसने प्रदर्श-4/1 के रूप में चिन्हित पीड़ित लड़की के जन्म प्रमाणपत्र पर मौजूद अपने हस्ताक्षरों को साबित किया । इसके अलावा, उक्त साक्षी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य का कोई और मूल्य नहीं है ।

10. जन्म प्रमाणपत्र के माध्यम से पीड़ित लड़की की आयु साबित हो जाने के पश्चात् न्यायालय के समक्ष यह निष्कर्ष निकालने के अलावा

कोई अन्य विकल्प मौजूद नहीं है कि घटना के समय पीड़ित लड़की की आयु लगभग 15 वर्ष थी, अर्थात् उस समय उसकी सम्मति विधिक रूप से मान्य नहीं थी । एसएफएल रिपोर्ट बलात्संग के मामले का समर्थन नहीं करती और इसलिए विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने दंड संहिता की धारा 376(1) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध विरचित आरोपों को समाप्त करके कोई त्रुटि नहीं की है । किन्तु अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने पीड़ित लड़की के मुख को दबाया था और इस प्रकार उसने पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के अधीन यथापरिभाषित लैंगिक हमले का अपराध कारित किया है ।

11. मुझे संपूर्ण अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् ऐसी कोई सामग्री प्रतीत नहीं हुई है जिसके आधार पर विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त के दोषी होने संबंधी निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप किया जाए । तद्नुसार, अभियुक्त की दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता और उन्हें सही ठहराते हुए उनकी पुष्टि की जाती है । तद्नुसार अपीलार्थी को यह निदेश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की प्रति की प्राप्ति की तारीख से 7 (सात) दिन के भीतर बाईखोड़ा पुलिस थाने के समक्ष आत्मसमपर्ण करे । इस निर्णय की एक प्रति बाईखोड़ा पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी और साथ ही विद्वान् विशेष न्यायाधीश, दक्षिण त्रिपुरा को अग्रेषित की जाए ताकि वे विधि के अनुसार आगे कार्यवाही कर सकें ।

अपील खारिज की गई ।

पु.

बिस्वजीत देबनाथ

बनाम

त्रिपुरा राज्य

(2020 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 35)

तारीख 7 अप्रैल, 2021

न्यायमूर्ति एस. जी. चट्टोपाध्याय

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 497 और 448 – याची के विरुद्ध जारकर्म का अपराध करने संबंधी आरोप लगाया जाना – इत्तिलाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया जाना कि उसने रात्रि निद्रा खुलने पर अपने रसोई घर में अपनी पत्नी और याची को असामाजिक क्रियाकलाप करते हुए देखा तथा उसे देखकर याची रसोई घर के बांस की बाड़ तोड़कर भाग निकला जबकि इत्तिलाकर्ता की पत्नी ने इत्तिलाकर्ता की कलाई को अपनी दांतों से काटा – इत्तिलाकर्ता और अन्य अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य में अनेक विसंगतियों और विरोधाभासों का विद्यमान होना और इसके अतिरिक्त, चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले ही दंड संहिता की धारा 497 को असांविधानिक ठहराते हुए अभिखंडित कर दिया गया है इसलिए उक्त धारा के अधीन याची की दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है और साथ ही अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य दंड संहिता की धारा 448 के अधीन आरोपों को साबित करने में असफल रहा है अत: याची की दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है ।

वर्तमान याचिका का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 4 जुलाई, 2009 को इत्तिलाकर्ता (उसकी पत्नी की पहचान छिपाने के लिए नाम विधारित किया गया) ने मनुबाजार पुलिस थाना, सबरुम के प्रभारी अधिकारी के समक्ष लिखित शिकायत (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट) दर्ज कराई जिसमें अन्य बातों के साथ यह अभिकथित किया गया कि तारीख 1 जुलाई, 2009 को रात्रि लगभग 2 बजे इत्तिलाकर्ता

को पता चला कि याची और उसकी पत्नी उसके घर की रसोई घर में "असामाजिक गतिविधियों" में लिप्त हैं । जैसे ही, उन्होंने इत्तिलाकर्ता को देखा याची रसोई घर की बांस की बाड़ तोड़कर भाग गया । भागने की जल्दबाजी में वह अपना जूता और गमछा वहीं छोड़ गया । इसके पश्चात् इत्तिलाकर्ता ने मामले की सूचना रात्रि 3 बजे फोन के माध्यम से स्थानीय पुलिस थाने को दी । अगले दिन प्रात: इत्तिलाकर्ता ने मामले की सूचना स्थानीय पंचायत को दी । पंचायत द्वारा शीघ्र ही एक बैठक आहूत की गई जिसमें इत्तिलाकर्ता की पत्नी के साथ-साथ याची को भी बैठक में बुलाया गया । उन्होंने अपने दोष को स्वीकार किया और पंचायत के समक्ष यह आश्वासन दिया कि वे इस प्रकार की गतिविधियों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे । लेकिन बैठक खत्म होने के तुरंत पश्चात् जब पंचायत के अन्य सदस्य चले गए तब अभियुक्त-याची और उसके साथ के अन्य लोगों ने इत्तिलाकर्ता के साथ गाली-गलौज करना आरंभ कर दिया और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी । वे इत्तिलाकर्ता की पत्नी और उसके आठ वर्ष के पुत्र को जबरन उठाकर अभियुक्त-याची के घर ले गए तथा यह चेतावनी भी दी कि अगर उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई होती है तो वे इत्तिलाकर्ता के विरुद्ध अनेक आपराधिक मामले संस्थित कराकर उसके विरुद्ध अभियोजन चलाएंगे । इसके पश्चात् इत्तिलाकर्ता ने पुन: उपरोक्त घटना की सूचना पंचायत को दी । पंचायत ने इत्तिलाकर्ता को विधि का आश्रय लेने की सलाह दी । अंतत:, इत्तिलाकर्ता ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । उसकी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 448, 497 और 332 के अधीन याची बिस्वजीत देबनाथ और उसके सहयोगियों, अर्थात् मिथुन बनिक और निता हरि बनिक के विरुद्ध वर्ष 2009 का एमएनबी पीएस मामला सं. 33 दर्ज किया गया तथा उक्त मामले का अन्वेषण मनुबाजार पुलिस थाने के पुलिस उपनिरीक्षक श्री पी. के. डे को सौंपा गया । अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने अपराध स्थल का दौरा किया । उसने अपराध स्थल पर सारवान् तात्विक स्थानों को चिन्हित करके उनकी एक पृथक् अनुक्रमणिका के साथ-साथ हाथ से बनाया हुआ स्थल-नक्शा से तैयार

किया । इसके पश्चात् अन्वेषण अधिकारी इत्तिलाकर्ता सहित मामले के सारवान् साक्षियों से मिला तथा उनकी परीक्षा करने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 161 के अधीन उनके पुलिस कथनों को लेखबद्ध किया । अन्वेषण अधिकारी द्वारा किए गए अन्वेषण से यह प्रकट हुआ कि याची द्वारा दंड संहिता की धारा 448 और 497 के अधीन दंडनीय अपराध और इत्तिलाकर्ता की पत्नी द्वारा दंड संहिता की धारा 323 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए गए हैं । तद्नुसार अन्वेषण अधिकारी ने तारीख 30 अगस्त, 2009 को याची और इत्तिलाकर्ता की पत्नी के विरुद्ध 2009 का आरोप पत्र सं. 30 प्रस्तुत किया । उप-मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सबरुम ने आरोप पत्र ग्रहण किया और संहिता की धारा 448, 497 और 323 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया तथा मामले के विचारण संबंधी कार्यवाही को आरंभ किया । विचारण पूरा होने जाने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने याची को सिद्धदोष ठहराते हुए उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । याची ने उक्त निर्णय से व्यथित होकर सेशन न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील फाइल की । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने उक्त अपील को खारिज कर दिया । तदुपरांत याची ने सेशन न्यायालय के उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में वर्तमान पुनरीक्षण याचिका फाइल की है । उच्च न्यायालय ने याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेखों के माध्यम से यह तथ्य सामने आया है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों में विसंगतियां और कमियां विद्यमान हैं । जहां अभि. सा. 1 इत्तिलाकर्ता ने यह कथन किया है कि उसने अभियुक्त को अपनी पत्नी के साथ लैंगिक मैथुन करते हुए देखकर अभियुक्त को पकड़ लिया तथा इत्तिलाकर्ता की पत्नी द्वारा इत्तिलाकर्ता के हाथ की कलाई पर दांत से काटने के पश्चात् अभियुक्त याची उसकी पकड़ से भागने में सफल रहा वहीं अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के रूप में इत्तिलाकर्ता के भाई और उसकी पत्नी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब वे दोनों इत्तिलाकर्ता के घर में पहुंचे तो उन्होंने याची को इत्तिलाकर्ता के साथ हाथापाई करते हुए देखा । इन

साक्षियों के साक्ष्य में विद्यमान इस प्रकार की विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए घटनास्थल पर याची की उपस्थिति शंकास्पद प्रतीत होती है । तथापि, याची की ओर से उपस्थित होने वाले काउंसेल ने यह दलील दी है कि इस मामले में कोई गुण नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित करते हुए अभिखंडित किया है । उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए याची की दंड संहिता की धारा 497 के अधीन दोषसिद्धि का निर्णय और दंडादेश कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं । जैसा कि चर्चा की गई है कि याची के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 448 के अधीन दंडनीय अपराध का आरोप भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका है । परिणामतः, आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है और पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है । इस प्रकार मामले का निपटारा किया जाता है । लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हो(हों), का भी निपटारा किया जाएगा । निचले न्यायालय के अभिलेख को वापस भेज दिया जाए । (पैरा 21, 22 और 23)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2019] (2019) 3 एस. सी. सी. 39 =
ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 4898 :
जोसेफ शाइन बनाम **यूनियन ऑफ इंडिया** । 12

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2020 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 35.

वर्तमान याचिका विद्वान् सेशन न्यायाधीश दक्षिण त्रिपुरा, उदयपुर द्वारा वर्ष 2010 की दांडिक अपील सं. 01(1) में पारित तारीख 10 जनवरी, 2011 को याची की दोषसिद्धि के निर्णय और उसके विरुद्ध पारित दंडादेश की पुष्टि करने वाले आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

याची की ओर से श्री ए. अचारजी

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एस. घोष, अपर लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति एस. जी. चट्टोपाध्याय – वर्तमान याचिका वर्ष 2009 के मामला सं. जी.आर. 62 में उपमंडलीय मजिस्ट्रेट, सबरुम द्वारा तारीख 30 नवम्बर, 2009 को पारित निर्णय जिसके द्वारा याची को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 448 तथा 497 के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया था तथा उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया गया था, की अभिपुष्टि करते हुए सेशन न्यायाधीश, दक्षिण त्रिपुरा उदयपुर द्वारा वर्ष 2010 की दांडिक अपील सं. 01(1) में तारीख 10 जनवरी, 2021 को दिए गए आक्षेपित निर्णय को चुनौती देते हुए फाइल की गई है ।

2. वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं :-

तारीख 4 जुलाई, 2009 को इत्तिलाकर्ता (उसकी पत्नी की पहचान छिपाने के लिए नाम विधारित किया गया) ने मनुबाजार पुलिस थाना, सबरुम के प्रभारी अधिकारी के समक्ष लिखित शिकायत (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट) दर्ज कराई जिसमें अन्य बातों के साथ यह अभिकथित किया गया कि तारीख 1 जुलाई, 2009 को रात्रि लगभग 2 बजे इत्तिलाकर्ता को पता चला कि याची और उसकी पत्नी उसके घर की रसोई घर में "असामाजिक गतिविधियों" में लिप्त हैं । जैसे ही, उन्होंने इत्तिलाकर्ता को देखा याची रसोई घर की बांस की बाड़ तोड़कर भाग गया । भागने की जल्दबाजी में वह अपना जूता और गमछा वहीं छोड़ गया । इसके पश्चात् इत्तिलाकर्ता ने मामले की सूचना रात्रि 3 बजे फोन के माध्यम से स्थानीय पुलिस थाने को दी । अगले दिन प्रात: इत्तिलाकर्ता ने मामले की सूचना स्थानीय पंचायत को दी । पंचायत द्वारा शीघ्र ही एक बैठक आहूत की गई जिसमें इत्तिलाकर्ता की पत्नी (नाम विधारित किया गया) के साथ-साथ याची को भी बैठक में बुलाया गया । उन्होंने अपने दोष को स्वीकार किया और पंचायत के समक्ष यह आश्वासन दिया कि वे इस प्रकार की गतिविधियों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे । लेकिन बैठक खत्म होने के तुरंत पश्चात् जब पंचायत के अन्य सदस्य चले गए तब अभियुक्त-याची और उसके साथ के अन्य लोगों ने इत्तिलाकर्ता के साथ गाली-गलौज करना आरंभ कर दिया और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी । वे इत्तिलाकर्ता की पत्नी और उसके आठ वर्ष के पुत्र को

जबरन उठाकर अभियुक्त-याची के घर ले गए तथा यह चेतावनी भी दी कि अगर उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई होती है तो वे इत्तिलाकर्ता के विरुद्ध अनेक आपराधिक मामले संस्थित कराकर उसके विरुद्ध अभियोजन चलाएंगे । इसके पश्चात् इत्तिलाकर्ता ने पुन: उपरोक्त घटना की सूचना पंचायत को दी । पंचायत ने इत्तिलाकर्ता को विधि का आश्रय लेने की सलाह दी । अंतत:, इत्तिलाकर्ता ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई ।

3. उसकी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 448, 497 और 332 के अधीन याची बिस्वजीत देबनाथ और उसके सहयोगियों, अर्थात् मिथुन बनिक और निता हरि बनिक के विरुद्ध वर्ष 2009 का एमएनबी पीएस मामला सं. 33 दर्ज किया गया तथा उक्त मामले का अन्वेषण मनुबाजार पुलिस थाने के पुलिस उपनिरीक्षक श्री पी. के. डे को सौंपा गया ।

4. अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने अपराध स्थल का दौरा किया । उसने अपराध स्थल पर सारवान् तात्विक स्थानों को चिन्हित करके उनकी एक पृथक् अनुक्रमणिका (प्रदर्श-4) के साथ-साथ हाथ से बनाया हुआ स्थल-नक्शा से (प्रदर्श-3) तैयार किया । इसके पश्चात् अन्वेषण अधिकारी इत्तिलाकर्ता सहित मामले के सारवान् साक्षियों से मिला तथा उनकी परीक्षा करने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 161 के अधीन उनके पुलिस कथनों को लेखबद्ध किया । अन्वेषण अधिकारी द्वारा किए गए अन्वेषण से यह प्रकट हुआ कि याची द्वारा दंड संहिता की धारा 448 और 497 के अधीन दंडनीय अपराध और इत्तिलाकर्ता की पत्नी द्वारा दंड संहिता की धारा 323 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए गए हैं । तद्नुसार अन्वेषण अधिकारी ने तारीख 30 अगस्त, 2009 को याची और इत्तिलाकर्ता की पत्नी के विरुद्ध 2009 का आरोप पत्र सं. 30 प्रस्तुत किया ।

5. उप-मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सबरुम ने आरोप पत्र ग्रहण किया और संहिता की धारा 448, 497 और 323 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया तथा मामले के विचारण संबंधी कार्यवाही को आरंभ किया ।

6. विचारण के प्रारंभ में याची के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप विरचित किए गए :–

> "आप तारीख 9 जुलाई, 2009 को रात्रि लगभग 2 बजे शिकायतकर्ता के घर के रसोई घर में पाए गए तथा इस प्रकार आपने जारकर्म का अपराध कारित करने के लिए इत्तिलाकर्ता के रसोई घर में प्रवेश करके अतिचार का अपराध किया है जो कि दंड संहिता की धारा 448 के अधीन दंडनीय अपराध है ।
>
> तथा, साथ ही आपने उस दिन, उसी समय और उसी स्थान पर शिकायतकर्ता की पत्नी (नाम विधारित किया गया) के साथ यह भिज्ञ होते हुए कि वह शिकायतकर्ता की पत्नी है, जारकर्म किया और यह सब शिकायतकर्ता की सहमति के बिना किया गया । इस प्रकार आपने दंड संहिता की धारा 497 के अधीन दंडनीय अपराध किया है जिसके संबंध में न्यायालय ने संज्ञान लिया है ।
>
> तथा, मैं एतद्द्वारा यह निदेश देता हूं कि उक्त आरोप के लिए आप के विरुद्ध विचारण चलाया जाए ।"

7. इत्तिलाकर्ता की पत्नी के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा निम्नानुसार आरोप विरचित किए गए :–

> "आपके विरुद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि वर्तमान मामले के शिकायतकर्ता ने तारीख 9 जुलाई, 2009 को रात्रि के लगभग 2 बजे आपको और बिस्वजीत देबनाथ को अपने घर के रसोई घर में आपत्तिजनक स्थिति में पाया, शिकायतकर्ता को देखते ही बिस्वजीत देबनाथ रसाई घर के बाड़ को तोड़कर वहां से भाग निकला और आपने शिकायतकर्ता के हाथ को अपने दांतों से काटकर स्वेच्छापूर्वक उसे उपहति पहुंचाई ।

और इस प्रकार से आपने दंड संहिता की धारा 323 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया है जिसके संबंध में इस न्यायालय ने संज्ञान लिया है ।

8. दोनों अभियुक्तों ने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और विचारण का सामना करने की इच्छा व्यक्त की ।

9. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपों को साबित करने के लिए इत्तिलाकर्ता और अन्वेषण अधिकारी सहित अभि. सा. 1 से अभि. सा. 8 तक कुल आठ साक्षियों की परीक्षा की तथा प्रदर्श-1 से प्रदर्श-4 तक के दस्तावेजों का अवलंब लिया । अभियोजन साक्ष्य को अभिलिखित करने के पश्चात् दोनों अभियुक्तों की दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 313 के अधीन विचारण न्यायालय द्वारा परीक्षा की गई । उत्तर में उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया तथा अपनी प्रतिरक्षा के रूप में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया ।

10. विचारण समाप्त होने पर विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों और पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् काउंसेल की दलीलों का मूल्यांकन करते हुए याची को दंड संहिता की धारा 448 और 497 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया तथा उन्हें उक्त अपराध कारित करने हेतु सिद्धदोष ठहराया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने दंडादेश के प्रश्न पर सुनवाई करने के पश्चात् उसे दंड संहिता की धारा 448 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए छह माह के कठोर कारावास तथा दंड संहिता की धारा 497 के अधीन दंडनीय अपराध हेतु दो वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया । विचारण न्यायालय ने इत्तिलाकर्ता की पत्नी को दंड संहिता की धारा 323 के अधीन अपराध का दोषी नहीं ठहराते हुए उसे दोषमुक्त कर दिया । याची ने सेशन न्यायाधीश दक्षिण त्रिपुरा न्यायिक जिला, उदयपुर (जैसा कि वह उस समय विद्यमान था) के समक्ष अपील के द्वारा अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश को चुनौती दी । अपीली न्यायालय ने साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन किया तथा यह अभिनिर्धारित किया कि याची के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 448 और 497 के अधीन आरोप सिद्ध हुए थे और इसलिए विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने याची की अपील को अपास्त करते हुए उसकी दोषसिद्धि और दंडादेश की अभिपुष्टि की । अतः, याची द्वारा वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका फाइल की गई ।

11. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री ए. के. अचारजी ने दलीलें देते हुए यह प्रतिवाद किया कि याची के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 448 के अधीन आरोप साबित नहीं होता है क्योंकि याची के विरुद्ध ऐसा कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है कि उसने कोई अपराध कारित करने के लिए इत्तिलाकर्ता के घर में अतिचार किया । विद्वान् काउंसेल श्री अचारजी के अनुसार गृह अतिचार के सबूत के अभाव में अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 448 के अधीन दंडित नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, विद्वान् काउंसेल द्वारा यह तर्क दिया गया कि गृह अतिचार दंड संहिता की धारा 442 के अधीन परिभाषित किया गया है । दंड संहिता की धारा 442 यह अनुध्यात करती है कि जो कोई भी आपराधिक अतिचार करता है, उसके संबंध में यह कहा जाएगा कि उसने गृह अतिचार किया है और दंड संहिता की धारा 441 के अधीन यथापरिभाषित आपराधिक अतिचार पद यह व्याख्या करता है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की कब्जे वाली संपत्ति में कोई अपराध करने हेतु प्रवेश करता है तो वह आपराधिक अतिचार का अपराध करता है । इसलिए विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया कि याची के विरुद्ध ऐसा कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है कि उसने इत्तिलकर्ता के घर में अपराध कारित करने के लिए प्रवेश किया था और इस प्रकार से इन परिस्थितियों में दंड संहिता की धारा 448 के अधीन याची की दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।

12. दंड संहिता की धारा 497 के अधीन याची की दोषसिद्धि के संबंध में विद्वान् काउंसेल अचारजी ने यह दलील दी है कि इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 1) ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि उसने याची को अपनी पत्नी के साथ मैथुन करते हुए देखा था । विद्वान् काउंसेल अचारजी द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि लैंगिक मैथुन दंड संहिता की धारा 497 के अधीन दंडनीय अपराध हेतु अभियोग का मुख्य बिन्दु है तथा लैंगिक मैथुन होने के किसी भी साक्ष्य के अभाव में दंड संहिता की धारा 497 के अधीन याची की दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य के दायी है । याची की ओर से उपस्थित होने वाले काउंसेल ने आगे यह दलील दी कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट घटना के

चार दिन के पश्चात् दर्ज की गई तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में हुई देरी का कोई स्पष्टीकरण विद्यमान नहीं है विशेष रूप से तब कि जबकि पुलिस थाना इत्तिलाकर्ता के घर के समीप था । याची की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल अचारजी ने अंत में यह दलील दी कि **जोसेफ शाइन** बनाम **यूनियन ऑफ इंडिया**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित करते हुए अभिखंडित किया है और इसलिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए दंड संहिता की धारा 497 के अधीन याची की दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाने के दायी हैं ।

13. इस न्यायालय ने अभिलेख की नए सिरे से संवीक्षा की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इत्तिलाकर्ता ने विचारण के दौरान अभि. सा. 1 के रूप में अभिसाक्ष्य दिया और उसने यह कथन किया कि उस तात्विक समय पर जब वह नींद से जागा तब उसने पाया कि उसकी पत्नी बिस्तर पर नहीं थी । उसने रसोई घर में रौशनी देखी । रसोई घर में जाने पर यह देखा कि उसकी पत्नी याची के साथ मैथुन में लिप्त थी । यह देखते ही इत्तिलाकर्ता ने याची को पकड़ लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया । इसके पश्चात् इत्तिलाकर्ता की पत्नी ने उसके बाएं हाथ की कलाई पर दांत से काट लिया जिसकी वजह से अभियुक्त उसकी पकड़ से छूटकर भाग गया । इत्तिलाकर्ता की चीख-पुकार के पश्चात् उसका ज्येष्ठ भाई और उसकी पत्नी भी निद्रा से जाग गए और घटना स्थल पर पहुंचे । याची ने अपनी चप्पल और गमछा घटना स्थल पर ही छोड़ गया था । आस-पड़ोस के लोग भी घटना स्थल पर आ गए जिसके पश्चात् मामले की सूचना पुलिस थाने को दी गई । इत्तिलाकर्ता की पत्नी के माता-पिता को भी सूचित किया गया जो तुरंत इत्तिलाकर्ता के घर पहुंचे और उन सभी ने एकमत से निर्णय लिया कि मामले को परिनिर्धारण हेतु पंचायत को रिपोर्ट किया जाएगा । तदनुसार पंचायत की बैठक बुलाई गई जहां याची और इत्तिलाकर्ता की पत्नी ने अपना अपराध संस्वीकार किया तथा पंचायत के समक्ष यह आश्वासन दिया कि वे पुन:

---

[1] (2019) 3 एस. सी. सी. 39 = ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 4898.

इस अपराध को नहीं करेंगे । लेकिन पंचायत की बैठक समाप्त होने के तुरंत पश्चात् जब पंचायत के सदस्य चले गए तब याची एवं उसके साथ के अन्य लोगों जिनमें इत्तिलाकर्ता की पत्नी भी शामिल थी, ने इत्तिलाकर्ता को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी । इसलिए इत्तिलाकर्ता ने पुलिस थाने में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई ।

14. इत्तिलाकर्ता का भाई अभि. सा. 2 ऋषिकेश बनिक ने भी याची के विरुद्ध मामले का समर्थन किया है । अभि. सा. 2 ने विचारण के दौरान यह कथन किया कि उसने जब अपने इत्तिलाकर्ता भाई की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह अपनी पत्नी के साथ उसके घर पहुंचा और उसने याची और अपने भाई की पत्नी को रसोई घर में एक साथ देखा । उसका इत्तिलाकर्ता भाई भी वहीं मौजूद था । ऋषिकेश बनिक ने देखा कि उसके इत्तिलाकर्ता भाई और याची के बीच हाथापाई हो रही है और एकाएक याची वहां से भाग निकला । इसके पश्चात् मामले के निपटारे हेतु पंचायत की एक बैठक बुलाई गई जहां याची और उसकी भाभी दोनों ने यह भरोसा दिया कि भविष्य में वे इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त नहीं होंगे ।

15. अभि. सा. 3 इत्तिलाकर्ता के ज्येष्ठ भाई की पत्नी है । उसने भी यह कथन करते हुए अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है कि जैसे ही वह अपने इत्तिलाकर्ता देवर के रसोई घर में पहुंची उसने याची को देवर की पकड़ में देखा । उसी समय इत्तिलाकर्ता की पत्नी ने उसके इत्तिलाकर्ता देवर के हाथ की कलाई पर दांत से काट लिया और इस प्रकार अवसर पाते ही याची वहां से भाग निकला ।

16. अभि. सा. 4 सुरजा कांत बनिक जो इत्तिलाकर्ता का पड़ोसी है उसने भी इत्तिलाकर्ता के घर से उस रात्रि के शोर-शराबे को सुना था । सुरजा कांत बनिक का घर इत्तिलाकर्ता के घर से मात्र 50 हाथ नाप की दूरी पर स्थित है, और जब सुरजा कांत वहां पहुंचा तो उसने इत्तिलाकर्ता के चीखने-चिल्लने की आवाज सुनी । उसे इत्तिलाकर्ता से यह पता चला कि याची को उसके द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया जब वह उसकी पत्नी के साथ रसोईघर में मैथुन कर रहा था । इत्तिलाकर्ता द्वारा अभि. सा. 4 को यह भी ज्ञात हुआ कि उसने याची को भागने से रोकने हेतु पकड़

लिया था लेकिन उसकी पत्नी ने इत्तिलाकर्ता की कलाई पर दांत से काट लिया जिसके परिणामस्वरूप याची भाग निकला ।

17. अभि. सा. 5 संतोष देबनाथ ने भी विचारण के दौरान यह कथन किया कि उसे घटना के विषय में तब पता चला जब इत्तिलाकर्ता घटना के तुरंत पश्चात् उसके घर आया और उसे इस घटना के विषय में बताया ।

18. अभि. सा. 6 बादल बनिक को भी घटना के तुरंत पश्चात् इत्तिलाकर्ता से घटना के विषय में ज्ञात हुआ । इत्तिलाकर्ता ने अभि. सा. 6 को बताया कि उसने अपने पत्नी को याची के साथ रसोई घर में मैथुन करते हुए देखा ।

19. अभि. सा. 7 वर्तमान मामले का अन्वेषण अधिकारी है, उसके द्वारा यह कथन किया गया कि अन्वेषण के दौरान उसके द्वारा संग्रहित की गई सामग्री के माध्यम से अभियुक्त के विरुद्ध आरोप साबित होते हैं और इसलिए उसने याची तथा इत्तिलाकर्ता की पत्नी के विरुद्ध आरोप - पत्र फाइल किया है ।

20. अभि. सा. 8 दुलाल चंद बनिक ने मात्र इतना ही कथन किया कि उसने इत्तिलाकर्ता के द्वारा श्रुतलेखन पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को लेखबद्ध किया । उसने स्वयं द्वारा लिखी गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की शनाख्त की जिसे विचारण के दौरान प्रदर्श-1 के रूप में चिन्हित किया गया था ।

21. अभिलेखों के माध्यम से यह तथ्य सामने आया है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों में विसंगतियां और कमियां विद्यमान हैं । जहां अभि. सा. 1 इत्तिलाकर्ता ने यह कथन किया है कि उसने अभियुक्त को अपनी पत्नी के साथ लैंगिक मैथुन करते हुए देखकर अभियुक्त को पकड़ लिया तथा इत्तिलाकर्ता की पत्नी द्वारा इत्तिलाकर्ता के हाथ की कलाई पर दांत से काटने के पश्चात् अभियुक्त याची उसकी पकड़ से भागने में सफल रहा वहीं अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के रूप में इत्तिलाकर्ता के भाई और उसकी पत्नी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब वे दोनों इत्तिलाकर्ता के घर में पहुंचे तो

उन्होंने याची को इत्तिलाकर्ता के साथ हाथापाई करते हुए देखा । इन साक्षियों के साक्ष्य में विद्यमान इस प्रकार की विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए घटनास्थल पर याची की उपस्थिति शंकास्पद प्रतीत होती है । तथापि, याची की ओर से उपस्थित होने वाले काउंसेल ने यह दलील दी है कि इस मामले में कोई गुण नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने **जोसेफ शाइन** बनाम **यूनियन ऑफ इंडिया** (उपरोक्त) वाले एक मामले में दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित करते हुए अभिखंडित किया है । उक्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :–

> "220 – हम निम्नानुसार अभिनिर्धारित और दोषित करते हैं कि –
>
> 220.1 दंड संहिता की धारा 497 में सम्मतिपूर्ण लैंगिक क्रियाकलापों को आपराधिक बनाने के लिए पर्याप्त अवधारणात्मक सिद्धांत का अभाव है तथा यह सुस्पष्ट रूप से मनमानी प्रकृति की है । धारा 497 मौलिक समानता का प्रत्याख्यान करती है क्योंकि यह विवाह और समाज में महिलाओं को दी गई अधीनस्थ स्थिति को कायम रखती है । धारा 497 संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करती है ।
>
> 220.2 दंड संहिता की धारा 497 महिलाओं की भूमिका के विषय में लैंगिक रूढ़िवादिता पर आधारित है तथा संविधान के अनुच्छेद 15 में सन्निहित गैर-भेदभाव के सिद्धांत का अतिक्रमण करती है ।
>
> 220.3 दंड संहिता की धारा 497 गरिमा, स्वतंत्रता, गोपनीयता और लैंगिक स्वायत्तता की संवैधानिक प्रत्याभूति का प्रत्याख्यान है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्भूत है ।
>
> 220.4 दंड संहिता की धारा 497 असंवैधानिक है ।"

निर्णय के अंतिम पैरा में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है –

"282. पूर्वोक्त चर्चा के आधार पर तथा धारा 497 में ऊपर पैरा 11 में उल्लिखित विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए यह घोषित किया जाता है कि –

282.1 दंड संहिता की धारा 497 को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, और 21 की उल्लंघनकारी है और इसलिए असंवैधानिक घोषित किया जाता है ।

282.2 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 198(2), जिसके अंतर्गत दंड संहिता के अध्याय 20 के अधीन अभियोजन की प्रक्रिया अंतर्विष्ट है, मात्र उस विस्तार तक असंवैधानिक होगी जहां तक वह दंड संहिता की धारा 497 के अधीन जारकर्म के अपराध पर लागू होती है ।

282.3 सौमित्री विष्णु **बनाम** रेवती और डब्ल्यू. कल्याणी [(ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 1618)] वाले मामले में दिए गए निर्णय को खारिज किया जाता है ।

22. उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए याची की दंड संहिता की धारा 497 के अधीन दोषसिद्धि का निर्णय और दंडादेश कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं । जैसा कि चर्चा की गई है कि याची के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 448 के अधीन दंडनीय अपराध का आरोप भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका है ।

23. परिणामत:, आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है और पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है । इस प्रकार मामले का निपटारा किया जाता है ।

लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हो(हों), का भी निपटारा किया जाएगा ।

निचले न्यायालय के अभिलेख को वापस भेज दिया जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

जा./पु.

रेखा

बनाम

दिल्ली राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र)

(2016 की दांडिक अपील सं. 518)

तारीख 25 जनवरी, 2021

न्यायमूर्ति विभू बखरू

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 109, 366क और 376 [सपठित अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 5] – अपीलार्थियों पर यह आरोप लगाया जाना कि उन्होंने एक अप्राप्तवय बालिका के साथ बलात्संग किया और उसे अन्य व्यक्तियों के साथ लैंगिक मैथुन हेतु मजबूर किया और इस प्रकार उसे वेश्यावृत्ति करने हेतु उत्प्रेरित किया – इसके अतिरिक्त एक अपीलार्थी पर यह आरोप लगाया जाना कि उसने तीन से चार बार अप्राप्तवय लड़की के साथ उसकी सम्मति के बिना लैंगिक मैथुन किया और उसे अनजान व्यक्तियों के साथ लैंगिक मैथुन करने हेतु मजबूर किया तथा उसकी पिटाई की और उसे धमकी भी दी – यद्यपि मामले में अन्वेषण संबंधी अनेकों त्रुटियां और लोप विद्यमान हैं फिर भी अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य विश्वसनीय साबित हुआ है और उसमें लघु विसंगतियों के बावजूद वह अकाट्य सिद्ध हुआ है – अभियोक्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से यह परिसाक्ष्य दिया जाना कि अभियुक्त और उसकी पत्नी उसे प्रतिदिन चार ग्राहकों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने हेतु मजबूर करते थे इस प्रकार अभियोक्त्री द्वारा लगाए गए उक्त आरोप से वाणिज्यिक परिप्रेक्ष्य साबित होता है और इस प्रकार यह तथ्य भलीभांति स्थापित हो जाता है कि अभियुक्तों द्वारा अभियोक्त्री को वेश्यावृत्ति हेतु उत्प्रेरित किया गया – उक्त परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय उचित है और उसमें हस्तक्षेप करना अपेक्षित नहीं है अत: उक्त निर्णय की अभिपुष्टि की जाती है – इसके अलावा

अभियुक्त की निजी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके विरुद्ध पारित दंडादेश की अवधि में कमी की जाती है ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि पीड़िता के पिता ने यह अभिकथन किया है कि उसकी पुत्री/पीड़ित लड़की जिसकी आयु लगभग 12 वर्ष है और जो मंडावली स्थित सरकारी विद्यालय में कक्षा चार की छात्रा थी, तारीख 29 जनवरी, 2011 को विद्यालय गई थी किन्तु वह विद्यालय से वापस नहीं आई । उसकी शिकायत के अनुसरण में मंडावली पुलिस थाने में दंड संहिता की धारा 363 के अधीन वर्ष 2011 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 31 रजिस्टर की गई । इसके पश्चात् तलाश किए जाने पर भी अभियोक्त्री को ढुंढा नहीं जा सका था, तथापि, तारीख 5 सितम्बर, 2011 को अभियोक्त्री स्वयंमेव वापस आ गई और उसके पश्चात् शिकायतकर्ता उसे पुलिस थाने ले गया । इसके पश्चात् पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा की गई तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन उसके कथन को लेखबद्ध किया गया । तारीख 6 सितम्बर, 2011 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभियोक्त्री के कथन को लेखबद्ध किया गया अपने उक्त कथन में अभियोक्त्री ने यह कहा कि लगभग् 7-9 मास पूर्व वह अपने माता-पिता को सूचित किए बिना अपनी मित्र पूजा के घर गई थी । उसने यह कथन किया कि उसकी मित्र पूजा के पिता (जो वर्तमान मामले का अभियुक्त सुभाष है) उसे कोलकाता ले गए और उसे एक ग्राम में छोड़कर वापस आ गए । उसने यह कथन किया कि उसे गांव अच्छा नहीं लगा । उसने ग्राम के एक निवासी बाबा को इस संबंध में सूचित किया । तदुपरांत बाबा ने अभियुक्त सुभाष को फोन किया और उसके पश्चात् अभियुक्त उसे वापस दिल्ली ले गया । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त और उसकी पत्नी रीटा ने अपने निवास स्थान को परिवर्तित किया और वे दिल्ली में ही एक नए घर में स्थानांतरित हो गए । वे लोग बाहर के लोगों को आमंत्रित करते थे जो उसके साथ गंदे काम करते थे । उसने यह भी कथन किया कि पूजा की माता रीटा और उसकी मौसी उसका साज-श्रृंगार करते थे और उन्होंने उसे घर में बंद करके रखा हुआ था । उसने यह भी कथन किया कि प्रात: (अर्थात् तारीख 5 सितम्बर, 2011 की प्रात:) अभियुक्त घर का दरवाजा

बाहर से बंद करके अपनी पुत्री पूजा को विद्यालय छोड़ने गया था, किन्तु वह शायद जल्दी में द्वार को बाहर से ताला लगाना भूल गया था । उसने यह कथन किया कि उसने एक लड़के, जो बाहर घूम रहा था, से सहायता मांगी और उसकी सहायता से वह उस घर से भाग निकली । उसके पश्चात् वह कुछ अजनबियों से रास्ता पूछ-पूछ कर अपने घर तक पहुंची और उसने इस पूरी घटना की जानकरी अपने पिता को दी और उसके पश्चात् उसके पिता उसे पुलिस थाने ले आए । अभियोक्त्री के उक्त कथन के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करके अन्वेषण आरंभ किया । अन्वेषण पूरा हो जाने के पश्चात् पुलिस ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप विरचित करके उनके विरुद्ध विचारण आरंभ किया । विचारण पूरा होने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराते हुए उनके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । उक्त निर्णय और दंडादेश से व्यथित होकर अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय में पृथक् अपीलें फाइल कीं । उच्च न्यायालय ने सभी अपीलों की एक साथ सुनवाई की और सभी पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों और दलीलों को सुनने के पश्चात् अपीलों को भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य अकाट्य और अविवादित साबित हुआ है । इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए कथन में कुछ विसंगतियां विद्यमान हैं । वर्तमान मामले में मुख्यत: इस प्रश्न का समाधान किया जाना अनिवार्य है कि क्या उक्त विसंगतियां अभियोक्त्री द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में संदेह उत्पन्न करने हेतु पर्याप्त हैं । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध किए गए अभियोक्त्री के प्रारंभिक कथन में उसने यह आरोप लगाया है कि उसकी मित्र पूजा की माता (रीटा) और पूजा की मौसी उसे तैयार करते थे और वे दोनों उसे घर में बंद करके रखते थे (मुझे तैयार करती थी तथा मुझे घर में बंद करके रखती थी) । उक्त कथन में अभियोक्त्री ने यह आरोप नहीं लगाया था कि अपीलार्थी रेखा उसके साथ मारपीट करती थी या उसे अपरिचित व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध बनाने हेतु मजबूर करती थी । तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए

गए अपने कथन में अभियोक्त्री ने इस बात की पुष्टि की है कि उसकी मित्र पूजा की मौसी और उसकी माता उसे गलत काम करने हेतु मजबूर करते थे । अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोक्त्री ने यह आरोप लगाया है कि अभियुक्त (अपीलार्थी) और सह-अभियुक्त रीटा उसे अन्य व्यक्तियों के साथ लैंगिक मैथुन करने हेतु मजबूर करते थे और यदि वह इनकार करती थी तो उस समय उसकी पिटाई की जाती थी तथा उसे यह धमकी दी जाती थी कि उसे निर्वस्त्र करके घर से बाहर फेंक दिया जाएगा । अपनी परीक्षा में अभियोक्त्री ने यह भी आरोप लगाया कि अभियुक्त रेखा उसे ग्राहकों के मनोरंजन हेतु तैयार करती थी । तथापि, अभियोक्त्री द्वारा इस प्रभाव का कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि अपीलार्थी ने किसी भी प्रकार से उसे निरुद्ध करके रखा था । पूर्वोक्त प्रभाव का एक आरोप अभियुक्त सुभाष के विरुद्ध लगाया गया था । अभियोक्त्री ने अभियुक्त सुभाष के विरुद्ध यह आरोप लगाया था कि एक अवसर पर उसने उसे दो-तीन दिन तक एक कक्ष में बंद करके रखा था । स्वीकार्य रूप से अभियोक्त्री ने स्वैच्छया अपना घर छोड़ा था । वह अपने वस्त्र भी अपने साथ ले गई थी, जिससे स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि वह एक दिन अधिक समय के लिए अपने घर से दूर रहने का आशय रखती थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने प्रारंभिक कथन में अभियोक्त्री ने यह कहा है कि अभियुक्त सुभाष (उसकी मित्र पूजा का पिता) उसे कोलकाता ले गया था और वहां वह उसे एक ग्राम में छोड़कर वापस आ गया था । तथापि, वहां वह प्रसन्न नहीं थी (मेरा मन नहीं लगा) । अभियोक्त्री ने इस प्रभाव का कोई आरोप नहीं लगाया है कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कोलकाता ले जाया गया था या उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध वहां निरुद्ध करके रखा गया था । इसके विपरीत उसने यह कथन किया है कि वहां वह प्रसन्न नहीं थी और उसने एक 'बाबा', जो उक्त ग्राम का स्थानीय निवासी था, को यह बताया था कि वह वापस दिल्ली जाना चाहती है । उक्त बाबा ने सुभाष को बुलाया जो उसे वापस दिल्ली ले आया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में अभियोक्त्री ने इस बात को दोहराया है कि वह अपनी मित्र पूजा के साथ उसके घर गई थी और वहां से अपीलार्थी सुभाष उसे कोलकाता

स्थित एक ग्राम में ले गया था, तथापि, अपने कथन में उसने इस बात को जोड़ा कि अपीलार्थी सुभाष ने उसे पहनने हेतु एक जींस उपलब्ध कराई थी । उसने यह आरोप नहीं लगाया कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कोलकाता ले जाया गया था । अभियोक्त्री द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में भी इस प्रभाव का कोई आरोप नहीं लगाया गया है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में अभियोक्त्री ने इस प्रभाव का कोई आरोप नहीं लगाया है कि अपीलार्थी रेखा उसे किसी भी रीति में निरुद्ध करके रखती थी । उसने यह आरोप लगाया है कि कोलकाता से लौटने के पश्चात् वह कुछ दिनों तक अपनी मित्र के घर रही थी और उसके पश्चात् उसकी मित्र के माता-पिता ने उसके गंदा काम करने हेतु मजबूर किया । तत्पश्चात् उसने अपने कथन में यह बात जोड़ी कि पूजा की माता और उसकी मौसी ने भी उसे गलत काम करने हेतु मजबूर किया था । उसने यह भी आरोप लगाया कि कोलकाता स्थित ग्राम से लौटने के पश्चात् पूजा की माता ने उसे पूजा के मामा और चाचा के साथ गलत काम करने हेतु कहा था और उसके मना करने के बावजूद पूजा के मामा और चाचा ने उसके साथ गलत काम किया था । यह उल्लेख करना सारवान् है कि अभियोक्त्री ने इस प्रभाव का कोई आरोप पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए अपने साक्ष्य में नहीं लगाया था । यह उल्लेख करना भी सारवान् है कि अभियोक्त्री ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने किसी भी कथन में अभियुक्त रेखा को नामजद नहीं किया था अपितु उसने केवल अपनी मित्र पूजा की मौसी का उल्लेख किया था । अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए इस प्रभाव के परिसाक्ष्य कि रेखा भी उसी परिसर में निवास करती थी, के अलावा पूर्वोक्त तथ्य को साबित करने हेतु कोई साक्ष्य अभिलेख पर विद्यमान नहीं है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उस परिसर जहां अभिकथित रूप से अभियोक्त्री को रखा गया था, का कोई स्थलनक्शा या संनिर्माण योजना या कोई अन्य सारवान् विशिष्टियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं । इसके अतिरिक्त, अभियोक्त्री द्वारा इस संबंध में किया गया कथन कि वह किसी प्रकार

उक्त परिसर से बचकर भागी थी, भी विरोधाभासी प्रतीत होता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखब्द्ध किए गए अपने कथन में अभियोक्त्री ने इस बात की पुष्टि की है कि एक दिन अपीलार्थी सुभाष घर को बाहर से ताला लगाना भूल गया था, जब वह अपनी पुत्री पूजा को स्कूल छोड़ने जा रहा था । उसने यह कथन किया है कि उसने द्वार पर केवल बाहर से कुंडी लगाई थी और अभियोक्त्री ने किसी प्रकार बाहर घूम रहे एक लड़के को द्वार खोलने के लिए मना लिया । तथापि, उसने आगे यह कथन किया कि जब वह वापस अपने घर जा रही थी तो मार्ग में उसे उसकी मित्र पूजा मिली और अभियोक्त्री ने उसे थप्पड़ मारा था । उसने इस संबंध में भी स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया कि जिस समय वह घर छोड़कर जा रही थी तो अपीलार्थियों ने उसके वस्त्रों को फाड़ दिया था और इसलिए वह अपनी मित्र पूजा के वस्त्र पहनकर घर से भागी थी । यदि अभियोक्त्री घर में निरुद्ध थी और जैसा कि अभिकथन किया गया है वह उस घर से भागी थी तो उन परिस्थितियों में अपीलार्थियों के पास ऐसा कोई अवसर मौजूद नहीं था कि वह उसके वस्त्रों को फाड़े और निश्चित रूप से स्वयं अभियोक्त्री के पास भी नए वस्त्र पहनने के लिए कोई समय मौजूद नहीं था । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियोक्त्री ने एक और अभिकथन भी किया कि जब वे कोलकाता से वापस आ रहे थे तो उसने अपनी स्थिति के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को सूचित करने का प्रयास किया था कि उस समय अभियुक्त (सुभाष) ने उसके मुख का ढांप दिया था और उस समय उसकी मित्र पूजा ने भी उसे धमकी दी थी । अभियोक्त्री ने इस प्रभाव का किसी प्रकार का कोई भी अभिकथन पूर्व में लेखबद्ध किए गए अपने कथनों या मुख्य परीक्षा में नहीं किया है । इस तथ्य को ध्यान में रखना अनिवार्य है कि दिल्ली से कोलकाता तक कि रेलयात्रा काफी लंबी है और अधिकांश ट्रेनें इस यात्रा के लिए एक से अधिक दिन का समय लेती हैं । फिर भी, अभियोक्त्री को न तो यात्रा की तारीख का स्मरण है और न ही ट्रेन का नाम । उपरोक्त तथ्यों को विचार में लेने के पश्चात् इस न्यायालय का मत यह है कि अभियोक्त्री द्वारा लेखबद्ध कराए गए कथनों और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए परिसाक्ष्य में विद्यमान विसंगतियां सारवान् नहीं हैं । इसका कारण यह है कि अभियोक्त्री अपने इस मूल आरोप के संबंध में

सदैव संगत बनी रही है कि उसके साथ बलात्संग किया गया और उसे विभिन्न अन्य व्यक्तियों के साथ लैंगिक मैथुन करने हेतु मजबूर किया गया । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है अभियोक्त्री ने अपने प्रारंभिक कथन में यह आरोप लगाया था कि पूजा की माता और उसकी मौसी उसे तैयार करते थे और उसे एक घर के भीतर बंद करके रखते थे । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किए गए अपने कथन में अभियोक्त्री ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि पूजा की मौसी और उसकी माता उसे गलत काम करने हेतु मजबूर करते थे । उसने न्यायालय के समक्ष भी यह परिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त रेखा उसे 'ग्राहकों' के साथ गलत काम (लैंगिक मैथुन) करने के लिए मजबूर करती थी । उसने यह भी आरोप लगाया है कि अभियुक्त रेखा उसे 'ग्राहकों' के लिए साज-श्रृंगार करके तैयार करती थी । उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय विचारण न्यायालय के उस निर्णय में कोई त्रुटि पाने में असमर्थ रहा है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने अभियुक्त रेखा को दंड संहिता की धारा 376 के साथ पठित धारा 109 के अधीन दंडनीय अपराध करने हेतु सिद्धदोष ठहराया था । यद्यपि, इस प्रभाव का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य विद्यमान नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों, जिनके साथ अभिकथित रूप से अभियोक्त्री को लैंगिक मैथुन करने के लिए मजबूर किया गया था, ने अपीलार्थियों को किसी प्रतिफल (चाहे धन के रूप में या वस्तु रूप में) का संदाय किया था, किन्तु अभियोक्त्री ने उक्त व्यक्तियों को 'ग्राहकों' के रूप में निर्दिष्ट किया है । अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य अकाट्य साबित हुआ है । अभियोक्त्री ने स्पष्ट रूप से यह परिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त उसे विभिन्न व्यक्तियों के साथ लैंगिक मैथुन करने के लिए मजबूर करते थे और प्रतिदिन लगभग चार व्यक्तियों के साथ उसे लैंगिग मैथुन करना पड़ता था । उसने उन व्यक्तियों को 'ग्राहकों' के रूप में निर्दिष्ट किया है । उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए अभियोक्त्री द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रकृति के संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता है । अभियोक्त्री द्वारा दिए गए कथनों और परिसाक्ष्य के अर्थपूर्ण पठन से स्पष्ट रूप से उपदर्शित होता है कि अभियोक्त्री ने ग्राहकों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने हेतु उसे मजबूर किए जाने के संबंध में

एक वाणिज्यिक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत किया है । उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय को विचारण न्यायालय के उस निर्णय में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को आईटीपी अधिनियम की धारा 5 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने/उत्प्रेरित करने हेतु सिद्धदोष ठहराया है । अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य अभियुक्त सुभाष के विरुद्ध लगाए आरोपों को साबित करता है । उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय को ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता है जिसके आधार पर विचारण न्यायालय के उस निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाए, जिसके द्वारा उसने अपीलार्थियों को उन अपराधों हेतु सिद्धदोष ठहराया था जिनके उन पर आरोप लगाए गए थे । जहां तक अपीलार्थियों पर अधिरोपित दंडादेश का संबंध है, अपीलार्थी रेखा ने पहले ही अपने दंडादेश को पूरा कर लिया है । जहां तक अपीलार्थी सुभाष का संबंध है, विचारण न्यायालय ने उसे दंडादिष्ट करते समय यह उल्लेख किया था कि वह एक विकलांग व्यक्ति है और लकवा मार जाने के कारण वह निशक्तताग्रस्त है । उसके तीन बालक भी हैं जो पूर्णत: उस पर निर्भर हैं । इसके अतिरिक्त इस संबंध में भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी सुभाष का पूर्ववृत्त साफ है और वह पूर्व में किसी अन्य मामले में लिप्त नहीं रहा है । उसने पहले ही आठ वर्ष और आठ मास के अपने कारावास को पूरा कर लिया है । कम करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय यह उचित समझता है कि अपीलार्थी सुभाष के दंडादेश को कम करके उस अवधि तक किया जाए, जितनी अवधि का कारावास उसने पहले ही पूरा कर लिया है । उक्त अपीलार्थी को विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार जुर्मानों का संदाय किए जाने पर अभिरक्षा से निर्मुक्त किया जाएगा । दंड संहिता की धारा 376 और आईटीपी अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 109 के अधीन अधिरोपित जुर्मानों के संदाय में असफल रहने की दशा में अपीलार्थी को एक मास (छह मास की बजाय) की अवधि का साधारण कारावास भोगना होगा, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा दंडादिष्ट किया गया था । इस प्रकार उपरोक्त निबंधनों के अनुसार वर्तमान अपीलों का निपटारा किया जाता है । लंबित आवेदनों का भी निपटारा

किया जाता है । (पैरा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42 और 43)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2016 की दांडिक अपील सं. 518.

वर्तमान अपील विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश - 01 (पूर्व) कड़कड़डूमा न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा तारीख 30 मार्च, 2016 को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई है ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री सुमित कुमार सेठी, (सुश्री) डॉली शर्मा, (सुश्री) रोमिला मंडल के साथ अंकूर सूद

प्रत्यर्थी की ओर से श्री रवि नायक, एपीपी

न्यायमूर्ति विभू बखरू – वर्तमान अपील अपीलार्थियों द्वारा, अन्य बातों के साथ, विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश - 01 (पूर्व) कड़कड़डूमा न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा तारीख 30 मार्च, 2016 को पारित उस निर्णय को आक्षेपित करते हुए फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थियों को उनके ऊपर लगाए गए आरोपों से संबंधित अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया था । रेखा (वर्ष 2016 की दांडिक अपील सं. 518 की अपीलार्थी) को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 376 के साथ पठित धारा 109 और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'आईटीपी अधिनियम' कहा गया है) की धारा 5 के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया था और साथ ही सुभाष (वर्ष 2016 की दांडिक अपील सं. 555 का अपीलार्थी) को दंड संहिता की धारा 109 के साथ पठित धारा 366क और 376 तथा आईटीपी अधिनियम की धारा 5 के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया था ।

2. अपीलार्थी रेखा ने तारीख 26 अप्रैल, 2016 के उस दंडादेश को भी आक्षेपित किया है जिसके द्वारा उसे (i) दंड संहिता की धारा 376 के साथ पठित धारा 109 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए चार वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया और साथ ही उस

पर 1000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया, जिसके संदाय में व्यतिक्रम करने पर उसे एक मास की अवधि का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा ; और (ii) आईटीपी अधिनियम की धारा 5 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए सात वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया और साथ ही उस पर 1000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया, जिसके संदाय में व्यतिक्रम करने पर उसे एक मास की अवधि का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा । यह भी निदेश दिया गया कि ये सभी दंडादेश एक साथ चलेंगे ।

3. अपीलार्थी सुभाष ने तारीख 26 अप्रैल, 2016 के उस दंडादेश को भी आक्षेपित किया है जिसके द्वारा उसे (i) दंड संहिता की धारा 366क के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए चार वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया और साथ ही उस पर 1000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया, जिसके संदाय में व्यतिक्रम करने पर उसे एक मास की अवधि का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा ; (ii) दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दस वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया और साथ ही उस पर 5000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया, जिसके संदाय में व्यतिक्रम करने पर उसे छह मास की अवधि का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा ; (iii) दंड संहिता की धारा 109 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए सात वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया और साथ ही उस पर 5000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया, जिसके संदाय में व्यतिक्रम करने पर उसे छह मास की अवधि का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा ; और (iv) आईटीपी अधिनियम की धारा 5 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दस वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया और साथ ही उस पर 1000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया, जिसके संदाय में व्यतिक्रम करने पर उसे एक मास की अवधि का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा । यह भी निदेश दिया गया कि ये सभी दंडादेश एक साथ चलेंगे ।

4. पीड़िता के पिता (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'शिकायतकर्ता' कहा

गया है) ने यह अभिकथन किया है कि उसकी पुत्री/पीड़ित लड़की (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अभियोक्त्री' कहा गया है), जिसकी आयु लगभग 12 वर्ष है और जो मंडावली स्थित सरकारी विद्यालय में कक्षा चार की छात्रा थी, तारीख 29 जनवरी, 2011 को विद्यालय गई थी किन्तु वह विद्यालय से वापस नहीं आई । उसकी शिकायत के अनुसरण में मंडावली पुलिस थाने में दंड संहिता की धारा 363 के अधीन वर्ष 2011 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 31 रजिस्टर की गई । इसके पश्चात् तलाश किए जाने पर भी अभियोक्त्री को ढुंढा नहीं जा सका था, तथापि, तारीख 5 सितम्बर, 2011 को अभियोक्त्री स्वयंमेव वापस आ गई और उसके पश्चात् शिकायतकर्ता उसे पुलिस थाने ले गया । इसके पश्चात् पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा की गई तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 161 के अधीन उसके कथन को लेखबद्ध किया गया । तारीख 6 सितम्बर, 2011 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभियोक्त्री के कथन को लेखबद्ध किया गया ।

5. इस प्रकार अभियोजन का पक्षकथन पूर्णरूपेण अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य पर आधारित है । अत: इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि उसके परिसाक्ष्य और साथ ही पूर्व में लेखबद्ध किए गए उसके कथनों की ध्यानपूर्वक जांच की जाए ।

6. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभियोक्त्री का कथन तारीख 5 सितम्बर, 2011 को लेखबद्ध किया गया था । अपने उक्त कथन में अभियोक्त्री ने यह कहा कि लगभग् 7-9 मास पूर्व वह अपने माता-पिता को सूचित किए बिना अपनी मित्र पूजा के घर गई थी । उसने यह कथन किया कि उसकी मित्र पूजा के पिता (जो वर्तमान मामले का अभियुक्त सुभाष है) उसे कोलकाता ले गए और उसे एक ग्राम में छोड़कर वापस आ गए । उसने यह कथन किया कि उसे गांव अच्छा नहीं लगा (उसके कथनानुसार – गांव में मेरा मन नहीं लगा) । उसने ग्राम के एक निवासी बाबा को इस संबंध में सूचित किया । तदुपरांत बाबा ने अभियुक्त सुभाष को फोन किया और उसके पश्चात् अभियुक्त उसे वापस दिल्ली ले गया । उसने यह भी कथन किया कि

अभियुक्त और उसकी पत्नी रीटा ने अपने निवास स्थान को परिवर्तित किया और वे दिल्ली में ही एक नए घर में स्थानांतरित हो गए । वे लोग बाहर के लोगों को आमंत्रित करते थे जो उसके साथ गंदे काम करते थे । उसने यह भी कथन किया कि पूजा की माता रीटा और उसकी मौसी उसका साज-श्रृंगार करते थे और उन्होंने उसे घर में बंद करके रखा हुआ था (मुझे तैयार करती थी, घर में बंद करके रखती थी) । उसने यह भी कथन किया कि प्रात: (अर्थात् तारीख 5 सितम्बर, 2011 की प्रात:) अभियुक्त घर का दरवाजा बाहर से बंद करके अपनी पुत्री पूजा को विद्यालय छोड़ने गया था, किन्तु वह शायद जल्दी में द्वार को बाहर से ताला लगाना भूल गया था । उसने यह कथन किया कि उसने एक लड़के, जो बाहर घूम रहा था, से सहायता मांगी और उसकी सहायता से वह उस घर से भाग निकली । उसके पश्चात् वह कुछ अजनबियों से रास्ता पूछ-पूछ कर अपने घर तक पहुंची और उसने इस पूरी घटना की जानकारी अपने पिता को दी और उसके पश्चात् उसके पिता उसे पुलिस थाने ले आए ।

7. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभियोक्त्री का कथन तारीख 6 सितम्बर, 2011 को लेखबद्ध किया गया था । उक्त कथन में उसने यह कहा कि उसे तारीख याद नहीं है किन्तु उस समय शरद ऋतु थी जब वह अपने माता-पिता को सूचित किए बिना तथा अपने माता-पिता से अनुमति प्राप्त किए बिना पूजा के घर गई थी । उसने यह कथन किया कि वह कुछ दिन पूजा और पूजा के पिता, जिसका नाम सुभाष है, के साथ पूजा के घर में रही और उसके पश्चात् वे कोलकाता स्थित उनके ग्राम में चले गए । उसने यह कथन किया है कि ग्राम में उसे अपने माता-पिता की याद आने लगी और वह वापस अपने घर जाना चाहती थी । ग्राम के स्थानीय निवासियों ने पूजा के पिता को बुलाया और उसके पश्चात् पूजा, उसके पिता और स्वयं अभियोक्त्री वापस दिल्ली आ गए । अभियोक्त्री के कथनानुसार वह दो-चार दिन पूजा के घर पर ही रही । उसके पश्चात् पूजा के घर बाहर के कुछ व्यक्तियों का आना-जाना आरंभ हो गया तथा पूजा और पूजा के माता-पिता उससे गंदे काम कराते थे । उसने यह कथन किया कि बाहर

से आने वाले व्यक्ति उसके वस्त्र उतारकर उसके साथ गंदा काम करते थे । उसने यह भी कथन किया कि रात्रि में शराब के नशे में घुत लड़के उसके पास आते थे और वे भी उसके साथ गंदे काम करते थे । अभियुक्त ने कई दिनों तक उसे एक कक्ष में बंद करके रखा । उसने यह कथन किया कि पूर्ववर्ती दिन (अर्थात् तारीख 5 सितम्बर, 2011 को) जब अभियुक्त अपनी पुत्री को विद्यालय छोड़ने गया था तो उस समय वह उसके दरवाजे को बाहर से ताला लगाना भूल गया और उसने द्वार पर साधारण रूप से कुंडी लगा दी । उसने यह कथन किया कि उसने बाहर घूम रहे किसी लड़के से अनुरोध करके द्वार खुलवाया और उसके पश्चात् वह किसी प्रकार अपने घर पहुंची और वहां उसने इस सारी घटना की जानकारी अपने पिता को दी । उसने यह कथन किया कि जब वह अपने घर जा रही थी तो रास्ते में उसे पूजा मिली थी । उसने पूजा को थप्पड़ मारा और उससे यह कहा कि वह अपने घर जा रही थी । उसने यह भी कथन किया कि जब वह उनका घर छोड़कर जा रही थी तो उन्होंने उसके वस्त्र फाड़ दिए गए थे और इसलिए वह पूजा के वस्त्र पहनकर अपने घर आई थी ।

8. विचारण के दौरान अभियोक्त्री की अभि. सा. 2 के रूप में परीक्षा की गई । उसने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि उसे ठीक-ठीक तारीख का स्मरण नहीं है, तथापि, एक दिन उसकी मित्र पूजा ने उससे यह अनुरोध किया था कि वह अपने कुछ वस्त्र ले आए क्योंकि वे लोग कहीं बाहर जा रहे थे । उसके पश्चात् वे दोनों पूजा के घर गई, जहां अपीलार्थी (सुभाष पंडित) जो पूजा का पिता है, से उसकी मुलाकात हुई । तत्पश्चात् अपीलार्थी उन्हें लेकर कोलकाता गया । उसकी मित्र पूजा भी उसके साथ कोलकाता गई थी । उसने यह कथन किया है कि उसने अपीलार्थी सुभाष को यह बताया था कि वह अपने घर वापस जाना चाहती है, तथापि, अपीलार्थी ने उसे यह बताया कि उसके माता-पिता की मृत्यु हो गई है । अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया कि एक मास पश्चात् वह वापस दिल्ली आई और दिल्ली में उसे घर में बंद करके रखा गया । उसने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि सुभाष पंडित और उसकी पत्नी रीटा और पूजा की मौसी (रेखा) एक साथ उस घर में निवास करते

थे । उसने इस संबंध में भी परिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि वे सभी लोग उसके साथ मारपीट करते थे और उसे उन्होंने घर में बंद करके रखा था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी और उसकी पत्नी उसे अन्य व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध बनाने हेतु मजबूर करते थे और यदि वह विरोध करती थी तो उसके साथ मारपीट करते थे और साथ ही यह धमकी भी देते थे कि यदि उसने उनकी बात नहीं मानी तो वे उसे वस्त्रहीन करके घर से बाहर निकाल देंगे । अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया है कि सुभाष पंडित ने भी उसकी सहमति के बिना तीन से चार बार उसके साथ लैंगिक मैथुन किया था । अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया है कि प्रतिदिन उसे चार व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करने हेतु मजबूर किया जाता था । उसने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त रेखा और उसकी स्वयं की मित्र पूजा भी ग्राहकों का मनोरंजन करते थे । उसने यह परिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि एक दिन जब अभियुक्त पूजा को विद्यालय छोड़ने गया तो वह जल्दबाजी में घर के बाहर द्वार पर ताला लगाना भूल गया और उसने द्वार पर केवल कुंडी ही लगाई थी । उसने एक लड़के, जो उस समय बाहर खेल रहा था, से द्वार खोलने का अनुरोध किया । उसके पश्चात् वह वहां से निकल भागी और अपने घर वापस आ गई । उसने अपने पिता को इस पूरी घटना को जानकारी दी और तदुपरांत उसके पिता उसे पुलिस थाने ले गए । जहां पुलिस ने उसके कथन को लेखबद्ध किया । उसके पश्चात् उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां उसकी चिकित्सा परीक्षा की गई ।

9. अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियोक्त्री ने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उसने अपने कुटुम्ब के सदस्यों को यह नहीं बताया था कि उसकी मित्र पूजा ने उससे वस्त्र लाने का अनुरोध किया था । उसने यह भी कथन किया है कि वे एक ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन गए थे । उसने यह कथन किया है कि उसने इस घटना के संबंध में ऑटो चालक को कुछ नहीं बताया क्योंकि अभियुक्त ने एक कपड़े से उसके चेहरे को ढका हुआ था । उसने यह भी कथन किया कि रेलवे स्टेशन पर आम व्यक्ति मौजूद थे, तथापि, उसने उनमें से किसी के समक्ष उसके साथ घटित घटनाओं से संबंधित तथ्यों का प्रकटन नहीं

किया । उसने यह परिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि कोलकाता में उसे जिस घर में रखा गया था वहां आस-पास कई घर विद्यमान थे । मोहल्ले के लोगों ने उन्हें उस समय देखा था जब वे उपरोक्त घर जा रहे थे, तथापि, उसने किसी के समक्ष कोई शिकायत नहीं की । उसने इस संबंध में यह स्पष्ट किया कि उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि अभियुक्त उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे डांट लगाता था । उसने यह कथन किया है कि जब वह कोलकाता से लौट रही थी तो उस समय उसने एक व्यक्ति को उसके साथ घटित होने वाले घटनाओं के संबंध में सूचित करने का प्रयास किया, तथापि, अभियुक्त ने उसके मुख को ढाप दिया । रेलवे स्टेशन पर उसने पुन: एक महिला को उक्त घटनाओं की जानकारी देने का प्रयास किया, तथापि, अभियुक्त की पुत्री ने उसे धमकी देकर चुप करा दिया । उसने यह कथन किया कि पुलिस थाना उसके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वे पुलिस थाने पैदल चलकर पहुंचे थे । उसने पहली बार उपरोक्त घटनाओं के संबंध में पुलिस के समक्ष प्रकटन किया था और उस समय पुलिस ने उसके कथन को लेखबद्ध नहीं किया था । उसने यह कथन किया कि पुलिस थाने से वह सीधा अपने घर वापस आई और उसने अपने पिता को इस घटना के संबंध में सूचित किया । उसने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उसके पश्चात् उसके पिता ने विधिक कार्यवाहियां आरंभ कीं । उसने यह भी अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उसके पिता अभियुक्त सुभाष पंडित के मित्र नहीं हैं । उसने इस बात से इनकार किया कि उसके पिता ने तारीख 22 दिसम्बर, 2010 को उडाल नामक एक व्यक्ति की उपस्थिति में अभियुक्त से 10,000/- रुपए का ऋण प्राप्त किया था ।

10. अभियोक्त्री के पिता की अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा की गई है । उसने यह परिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि घटना के समय अभियोक्त्री की आयु लगभग 13-14 वर्ष थी और वह उस समय विद्यालय में तीसरी/चौथी कक्षा में अध्ययन कर रही थी । उसने यह परिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि तारीख (उसकी मुख्य परीक्षा की तारीख) से लगभग एक/डेढ़ वर्ष पूर्व उसकी पुत्री, अर्थात् पीड़ित लड़की विद्यालय गई थी किन्तु वह वापस नहीं आई । उसने यह कथन किया कि अगले दिन वह पुलिस

थाने गया और वहां उसने एक शिकायत (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए) दर्ज कराई । उसने अपनी पुत्री की तलाश को जारी रखा किन्तु वह उसे ढूंढ नहीं सका । उसने यह भी परिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि लगभग आठ-नौ मास पश्चात् अभियोक्त्री स्वयंमेव घर वापस आ गई और उसके पश्चात् वह उसे पुलिस थाने ले गया । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियोक्त्री ने उसे यह बताया था कि विद्यालय से उसकी मित्र पूजा उसे अपने साथ अपने घर ले गई थी जहां पूजा और उसके पिता ने बलपूर्वक उसे निरुद्ध कर दिया । उसके पश्चात् पूजा के पिता उसे कोलकाता ले गए और वहां उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया । अभियोक्त्री को चिकित्सा परीक्षा हेतु अस्पताल ले जाया गया । उसके पश्चात् उसे संबद्ध न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसके कथन को लेखबद्ध किया गया । उसने यह कथन किया कि उसे उस समय पुलिस थाने मंडावली बुलाया गया था जब अभियुक्त व्यक्तियों, अर्थात् सुभाष पंडित और रेखा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उस समय उसकी पुत्री/अभियोक्त्री उसके साथ गई थी । अभियोक्त्री ने अभियुक्त व्यक्तियों की शनाख्त की थी और उसके पश्चात् दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था ।

11. अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 1 ने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा उसकी पुत्री के विद्यालय में प्रस्तुत किए गए शपथपत्र में पीड़ित लड़की की गलत आयु का उल्लेख किया गया हो सकता है, जिससे यह उपदर्शित हो सकता है कि वह अल्पायु की है । उसने इस तथ्य से इनकार किया कि अभियोक्त्री मुट्टू नामक एक लड़के के साथ भाग गई थी । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया कि उसने अपीलार्थी (सुभाष पंडित) से 30,000/- रुपए उधार लिए थे या उस समय जब अपीलार्थी सुभाष ने उससे उक्त रकम वापस मांगी थी, उसके और अपीलार्थी (सुभाष पंडित) के बीच कोई परस्पर झगड़ा हुआ था ।

12. हेड कांस्टेबल कौशिल्या ने न्यायालय के समक्ष अभि. सा. 3 के रूप में अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया । उसने यह कथन किया कि तारीख 5 जून, 2013 को वह अन्वेषण अधिकारी, उप निरीक्षक विजय कुमार

(अभि. सा. 6) के साथ सह-अभियुक्त रेखा की तलाश में गया था । उस समय अभियुक्त सुभाष पंडित भी उसके साथ था । उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त सुभाष उन्हें सब्जी मंडी शकरपुर स्थित एक कक्ष में ले गया, जिस पर ताला लगा था । जिस समय वे लोग वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि सह-अभियुक्त रेखा शकरपुर फ्लाई ओवर के समीप अग्रवाल स्वीट्स नामक दुकान के पास खड़ी थी और उसकी गोदी में एक बालक भी था । अभियुक्त सुभाष ने सह-अभियुक्त रेखा की शनाख्त की । इसके पश्चात् उन्होंने उसे गिरफ्तार किया तथा वे उसे लेकर पुलिस थाने आ गए । उसने यह भी अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त रेखा को गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 3/ए) द्वारा गिरफ्तार किया गया और ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 3/बी) के माध्यम से उसकी जमा तलाशी की गई । उसने यह भी अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि उसके पश्चात् सह-अभियुक्त रेखा को एलबीएस अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी चिकित्सा परीक्षा की गई ।

13. विचारण के दौरान कांस्टेबल राजेश कुमार की अभि. सा. 5 के रूप में परीक्षा की गई । उसने यह कथन किया कि तारीख 4 जून, 2013 को वह, उप निरीक्षक विजय कुमार (अभि. सा. 6) और शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) के साथ गणेश नगर चौक के पास स्थित फ्लाई ओवर पहुंचा था । उसने यह कथन किया कि उप निरीक्षक विजय कुमार (अभि. सा. 6) को पुलिस खबरी से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि अभियुक्त सुभाष पंडित उक्त स्थल पर उपस्थित था । उसने यह कथन किया कि अभियुक्त की शनाख्त उसके पहचानपत्र के माध्यम से स्थापित करने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त से पूछताछ की । उसने यह भी अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि अभियुक्त सुभाष को गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ए) द्वारा गिरफ्तार किया गया और ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/बी) के माध्यम से उसकी जमा तलाशी की गई । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसके पश्चात् अभियुक्त सुभाष को एलबीएस अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी चिकित्सा परीक्षा की गई ।

14. विचारण के दौरान उप निरीक्षक विजय कुमार की अभि. सा. 6

के रूप में परीक्षा की गई । उसने यह परिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि तारीख 29 जनवरी, 2011 को शिकायतकर्ता जगदीश (अभि. सा. 1) ने पुलिस थाने में इस प्रभाव की एक शिकायत दर्ज की थी कि उसकी पुत्री (अभियोक्त्री/पीड़ित लड़की) उस दिन प्रात: विद्यालय गई थी किन्तु उसके पश्चात् घर वापस नहीं आई । उसने यह कथन किया कि अभि. सा. 1 के कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए) को लेखबद्ध किया गया और उसके आधार पर रुक्का (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ए) तैयार किया गया । रुक्का प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर करने हेतु ड्यूटी ऑफिसर को सौंप दिया गया था । तत्पश्चात् उसने शिकायतकर्ता के साथ अभियोक्त्री की तलाश करने हेतु प्रयास किए, तथापि, वे उसे ढुंढ नहीं पाए । उसने न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि तारीख 5 सितम्बर, 2011 को शिकायतकर्ता अभियोक्त्री के साथ पुलिस थाने आया और वहां उसने यह बताया कि अभियोक्त्री स्वयंमेव वापस घर आ गई थी । उसने यह भी अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि अभियोक्त्री को महिला कांस्टेबल राजश्री की अभिरक्षा में रखा गया और उससे पूछताछ की गई । अभि. सा. 6 ने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि अभियोक्त्री को उसकी चिकित्सा परीक्षा हेतु एलबीएस अस्पताल ले जाया गया था और इस प्रक्रिया के दौरान उसके पिता भी उनके साथ मौजूद थे । अगले दिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभियोक्त्री के कथन को विद्वान् मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष लेखबद्ध किया गया । अभि. सा. 1 ने यह भी कथन किया है कि तारीख 14 सितम्बर, 2011 को उसे सह-अभियुक्त रीटा के संबंध में गुप्त सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया । उसने यह भी कथन किया है कि किसी गोपनीय सूचना के आधार पर अभियुक्त सुभाष पंडित को भी गिरफ्तार किया गया । अभि. सा. 6 ने यह भी कथन किया है कि सह-अभियुक्त रेखा को अगले दिन अभियुक्त सुभाष द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर शकरपुर से अग्रवाल स्वीट्स नामक दुकान के समीप गिरफ्तार किया गया । उसने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त सुभाष को उसकी चिकित्सा परीक्षा हेतु एलबीएस अस्पताल ले जाया गया था । उसने यह भी कथन किया है कि तारीख 5 जून, 2013 को अभियोक्त्री पुलिस थाने आई थी और उसने अभियुक्त व्यक्तियों की

शनाख्त की थी । अभि. सा. 6 ने यह भी कथन किया है कि प्रदर्शों को सीएफएस प्रयोगशाला भेजा गया और सह-अभियुक्त रीटा के विचारण के दौरान प्राप्त हुई एफएसएल रिपोर्ट से यह उपदर्शित हुआ था कि अभियोक्त्री से संबंधित प्रदर्शों पर किसी प्रकार के वीर्य के कोई चिह्न नहीं पाए गए थे । उसने यह भी कथन किया कि उसने अनुपूरक आरोप पत्र तैयार किया था और उसे न्यायालय में फाइल किया था ।

15. जैसा कि उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य के अलावा अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य विद्यमान नहीं है । विचारण न्यायालय ने भी यह टिप्पणी की थी कि वर्तमान मामले में अभियोक्त्री ही एकमात्र महत्वपूर्ण साक्षी है । विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोक्त्री की मुख्य परीक्षा स्पष्ट है और उसमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टताएं विद्यमान नहीं हैं और इसलिए उसके आधार पर अभियुक्तों (वर्तमान मामले के अपीलार्थियों) के विरुद्ध लगाए गए आरोप साबित होते हैं । विचारण न्यायालय ने यह भी संप्रेक्षण किया है कि अभियोक्त्री चौथी क्लास की छात्रा थी और उस समय उसकी आयु लगभग 12 वर्ष थी जब जनवरी, 2011 में उसकी गुमशुदगी संबंधी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । विचारण न्यायालय ने तारीख 6 मार्च, 2013 के एक निर्णय को भी विचार में लिया है जिसके माध्यम से सह-अभियुक्त (रीटा) को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया था । न्यायालय उक्त निर्णय के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि उक्त निर्णय में अभियोक्त्री की आयु को 12 वर्ष बताया गया है इसलिए यह स्थापित तथ्य है कि अभियोक्त्री आईटीपी अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित एक बालक है ।

16. तथापि, वर्तमान मामले में अभियोक्त्री की आयु को स्थापित करने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । निर्विवादित रूप से अभियोक्त्री की आयु के संबंध में यह एक गंभीर विवाद का विषय है । ऐसा इसलिए है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध किए गए उसके कथन में उसकी आयु 20 वर्ष के रूप में उल्लिखित की गई है । अभियोक्त्री की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन भी परीक्षा की गई थी, जिसमें उसकी आयु को लगभग 18

वर्ष के रूप में लेखबद्ध किया गया है । यद्यपि अभियोक्त्री के पिता (अभि. सा. 1) ने यह कथन किया है कि उसकी पुत्री की आयु लगभग 13 से 14 वर्ष है । किन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि संभवत: उसने पीड़ित लड़की को अल्पायु के रूप में दर्शित करने हेतु उसकी गलत आयु का उल्लेख किया था । अभियोक्त्री की आयु से संबंधित विवाद के बावजूद अभियोजन पक्ष उसकी आयु के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है ।

17. विद्वान् एपीपी श्री नायक, जो राज्य के लिए उपस्थित हुए हैं, ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अभियोजन पक्ष से यह त्रुटि हुई है और विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से यह स्थापित नहीं होता है कि घटना के समय अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम थी । इस प्रकार अभियोक्त्री को आईटीपी अधिनियम की धारा 2 के खंड (कक) के अर्थान्तर्गत एक बालक के रूप में नहीं माना जा सकता ।

18. वर्तमान मामले का दूसरा पहलू यह है कि इसमें कोई मूर्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । यद्यपि, अपीलार्थियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं फिर भी अधिकांश आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । यह स्पष्ट है कि अन्वेषण अभिकरण ने अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोपों को स्थापित करने हेतु किसी सारवान् मूल्य का कोई अन्वेषण नहीं किया है । यह आरोप लगाया गया है कि अभियोक्त्री को एक घर में बंद करके रखा गया था, जहां अनेक व्यक्ति आते थे जो उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते थे । तथापि, उक्त परिसर के संबंध में साक्ष्य स्वरूप कोई वर्णन अभिलेख पर उपलब्ध नहीं कराया गया है । प्रश्नगत परिसर, जहां अभियोक्त्री को अभिकथित रूप से रखा गया था और जहां उससे शारीरिक संबंध स्थापित करने हेतु अनेक व्यक्ति आते थे, की भूमिका को स्थापित करने के लिए किसी भी अड़ोसी-पड़ोसी व्यक्ति की शनाख्त नहीं की गई है । इस प्रकार अभियोक्त्री के इस कथन के अलावा कि उसे एक घर में बंद करके रखा गया था जहां प्रतिदिन तीन से चार व्यक्ति आकर उससे शारीरिक संबंध स्थापित करते थे, इस तथ्य को स्थापित करने हेतु किसी भी प्रकार की कोई अन्य सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है । इसके अतिरिक्त, अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त रेखा भी उक्त घर

में आने वाले विभिन्न आगंतुकों से शारीरिक संबंध बनाती थी ऐसा ही उसकी मित्र पूजा भी करती थी । यदि अभियोक्त्री द्वारा किया गया उक्त कथन सत्य है तो उक्त परिसर में प्रत्येक दिन कम से कम आधा दर्जन व्यक्ति आते थे, फिर भी इस तथ्य को सत्यापित करने हेतु कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है ।

19. अभिकथित रूप से अभियोक्त्री को कोलकाता स्थित एक ग्राम में ले जाया गया था, तथापि, ग्राम की शनाख्त या उस अवस्थान की शनाख्त के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जहां अभियोक्त्री को अभिकथित रूप से कोलकाता में रखा गया था । उस बाबा की शनाख्त के संबंध में भी किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके समक्ष अभियोक्त्री ने दिल्ली वापस जाने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी । इस संबंध में भी अभियोजन पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अपीलार्थी सुभाष या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य का कोलकाता में कोई घर विद्यमान है । यदि अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए कथन सत्य हैं तो उनका समर्थन करने हेतु प्रचुर मात्रा में पुष्टिकारक साक्ष्य भी विद्यमान होना चाहिए । तथापि, जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया है अभियोक्त्री द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

20. अभियोक्त्री ने यह आरोप भी लगाया गया है कि उसकी मित्र पूजा भी उसके साथ कोलकाता गई थी, तथापि, अन्वेषण अभिकरण ने इस तथ्य को स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । विद्यालय में उपलब्ध पूजा के उपस्थिति अभिलेख को भी अभिलेख पर नहीं रखा गया है जिससे यह स्थापित किया जा सके कि जिस समय अभियोक्त्री के गुम हो जाने संबंधी रिपोर्ट दर्ज की गई थी, उसके तुरंत पश्चात् पूजा स्कूल से अनुपस्थित रही थी ।

21. साधारण रूप से, यदि सामान्य अनुक्रम में इस बात की संभावना है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए मामले के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है और इस परिस्थिति में भी अभियोजन पक्ष द्वारा उसे प्रस्तुत नहीं किया गया है तो इस तथ्य से अभियोजन पक्ष के प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए ।

22. तथापि, वर्तमान मामले में अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य अकाट्य और अविवादित साबित हुआ है । इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए कथन में कुछ विसंगतियां विद्यमान हैं । वर्तमान मामले में मुख्यत: इस प्रश्न का समाधान किया जाना अनिवार्य है कि क्या उक्त विसंगतियां अभियोक्त्री द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में संदेह उत्पन्न करने हेतु पर्याप्त हैं ।

23. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध किए गए अभियोक्त्री के प्रारंभिक कथन में उसने यह आरोप लगाया है कि उसकी मित्र पूजा की माता (रीटा) और पूजा की मौसी उसे तैयार करते थे और वे दोनों उसे घर में बंद करके रखते थे (मुझे तैयार करती थी तथा मुझे घर में बंद करके रखती थी) । उक्त कथन में अभियोक्त्री ने यह आरोप नहीं लगाया था कि अपीलार्थी रेखा उसके साथ मारपीट करती थी या उसे अपरिचित व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध बनाने हेतु मजबूर करती थी । तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में अभियोक्त्री ने इस बात की पुष्टि की है कि उसकी मित्र पूजा की मौसी और उसकी माता उसे गलत काम करने हेतु मजबूर करते थे । अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोक्त्री ने यह आरोप लगाया है कि अभियुक्त (अपीलार्थी) और सह-अभियुक्त रीटा उसे अन्य व्यक्तियों के साथ लैंगिक मैथुन करने हेतु मजबूर करते थे और यदि वह इनकार करती थी तो उस समय उसकी पिटाई की जाती थी तथा उसे यह धमकी दी जाती थी कि उसे निर्वस्त्र करके घर से बाहर फेंक दिया जाएगा । अपनी परीक्षा में अभियोक्त्री ने यह भी आरोप लगाया कि अभियुक्त रेखा उसे ग्राहकों के मनोरंजन हेतु तैयार करती थी । तथापि, अभियोक्त्री द्वारा इस प्रभाव का कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि अपीलार्थी ने किसी भी प्रकार से उसे निरुद्ध करके रखा था । पूर्वोक्त प्रभाव का एक आरोप अभियुक्त सुभाष के विरुद्ध लगाया गया था । अभियोक्त्री ने अभियुक्त सुभाष के विरुद्ध यह आरोप लगाया था कि एक अवसर पर उसने उसे दो-तीन दिन तक एक कक्ष में बंद करके रखा था ।

24. स्वीकार्य रूप से अभियोक्त्री ने स्वेच्छया अपना घर छोड़ा था । वह अपने वस्त्र भी अपने साथ ले गई थी, जिससे स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि वह एक दिन अधिक समय के लिए अपने घर से

दूर रहने का आशय रखती थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने प्रारंभिक कथन में अभियोक्त्री ने यह कहा है कि अभियुक्त सुभाष (उसकी मित्र पूजा का पिता) उसे कोलकाता ले गया था और वहां वह उसे एक ग्राम में छोड़कर वापस आ गया था । तथापि, वहां वह प्रसन्न नहीं थी (मेरा मन नहीं लगा) । अभियोक्त्री ने इस प्रभाव का कोई आरोप नहीं लगाया है कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कोलकाता ले जाया गया था या उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध वहां निरुद्ध करके रखा गया था । इसके विपरीत उसने यह कथन किया है कि वहां वह प्रसन्न नहीं थी और उसने एक 'बाबा', जो उक्त ग्राम का स्थानीय निवासी था, को यह बताया था कि वह वापस दिल्ली जाना चाहती है । उक्त बाबा ने सुभाष को बुलाया जो उसे वापस दिल्ली ले आया ।

25. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में अभियोक्त्री ने इस बात को दोहराया है कि वह अपनी मित्र पूजा के साथ उसके घर गई थी और वहां से अपीलार्थी सुभाष उसे कोलकाता स्थित एक ग्राम में ले गया था, तथापि, अपने कथन में उसने इस बात को जोड़ा कि अपीलार्थी सुभाष ने उसे पहनने हेतु एक जींस उपलब्ध कराई थी । उसने यह आरोप नहीं लगाया कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कोलकाता ले जाया गया था । अभियोक्त्री द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में भी इस प्रभाव का कोई आरोप नहीं लगाया गया है ।

26. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में अभियोक्त्री ने इस प्रभाव का कोई आरोप नहीं लगाया है कि अपीलार्थी रेखा उसे किसी भी रीति में निरुद्ध करके रखती थी । उसने यह आरोप लगाया है कि कोलकाता से लौटने के पश्चात् वह कुछ दिनों तक अपनी मित्र के घर रही थी और उसके पश्चात् उसकी मित्र के माता-पिता ने उसके गंदा काम करने हेतु मजबूर किया । तत्पश्चात् उसने अपने कथन में यह बात जोड़ी कि पूजा की माता और उसकी मौसी ने भी उसे गलत काम करने हेतु मजबूर किया था । उसने यह भी आरोप लगाया कि कोलकाता स्थित ग्राम से लौटने के पश्चात् पूजा की माता ने उसे पूजा के मामा और चाचा के साथ गलत काम करने हेतु कहा था और उसके मना करने के बावजूद पूजा के मामा और चाचा ने उसके

साथ गलत काम किया था । यह उल्लेख करना सारवान् है कि अभियोक्त्री ने इस प्रभाव का कोई आरोप पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए अपने साक्ष्य में नहीं लगाया था ।

27. यह उल्लेख करना भी सारवान् है कि अभियोक्त्री ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने किसी भी कथन में अभियुक्त रेखा को नामजद नहीं किया था अपितु उसने केवल अपनी मित्र पूजा की मौसी का उल्लेख किया था । अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए इस प्रभाव के परिसाक्ष्य कि रेखा भी उसी परिसर में निवास करती थी, के अलावा पूर्वोक्त तथ्य को साबित करने हेतु कोई साक्ष्य अभिलेख पर विद्यमान नहीं है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उस परिसर जहां अभिकथित रूप से अभियोक्त्री को रखा गया था, का कोई स्थलनक्शा या संनिर्माण योजना या कोई अन्य सारवान् विशिष्टियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं ।

28. इसके अतिरिक्त, अभियोक्त्री द्वारा इस संबंध में किया गया कथन कि वह किसी प्रकार उक्त परिसर से बचकर भागी थी, भी विरोधाभासी प्रतीत होता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में अभियोक्त्री ने इस बात की पुष्टि की है कि एक दिन अपीलार्थी सुभाष घर को बाहर से ताला लगाना भूल गया था, जब वह अपनी पुत्री पूजा को स्कूल छोड़ने जा रहा था । उसने यह कथन किया है कि उसने द्वार पर केवल बाहर से कुंडी लगाई थी और अभियोक्त्री ने किसी प्रकार बाहर घूम रहे एक लड़के को द्वार खोलने के लिए मना लिया । तथापि, उसने आगे यह कथन किया कि जब वह वापस अपने घर जा रही थी तो मार्ग में उसे उसकी मित्र पूजा मिली और अभियोक्त्री ने उसे थप्पड़ मारा था । उसने इस संबंध में भी स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया कि जिस समय वह घर छोड़कर जा रही थी तो अपीलार्थियों ने उसके वस्त्रों को फाड़ दिया था और इसलिए वह अपनी मित्र पूजा के वस्त्र पहनकर घर से भागी थी । यदि अभियोक्त्री घर में निरुद्ध थी और जैसा कि अभिकथन किया गया है वह उस घर से भागी थी तो उन परिस्थितियों में अपीलार्थियों के पास ऐसा कोई अवसर

मौजूद नहीं था कि वह उसके वस्त्रों को फाड़े और निश्चित रूप से स्वयं अभियोक्त्री के पास भी नए वस्त्र पहनने के लिए कोई समय मौजूद नहीं था ।

29. अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियोक्त्री ने एक और अभिकथन भी किया कि जब वे कोलकाता से वापस आ रहे थे तो उसने अपनी स्थिति के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को सूचित करने का प्रयास किया था कि उस समय अभियुक्त (सुभाष) ने उसके मुख का ढाप दिया था और उस समय उसकी मित्र पूजा ने भी उसे धमकी दी थी । अभियोक्त्री ने इस प्रभाव का किसी प्रकार का कोई भी अभिकथन पूर्व में लेखबद्ध किए गए अपने कथनों या मुख्य परीक्षा में नहीं किया है ।

30. इस तथ्य को ध्यान में रखना अनिवार्य है कि दिल्ली से कोलकाता तक कि रेलयात्रा काफी लंबी है और अधिकांश ट्रेनें इस यात्रा के लिए एक से अधिक दिन का समय लेती है । फिर भी, अभियोक्त्री को न तो यात्रा की तारीख का स्मरण है और न ही ट्रेन का नाम ।

31. उपरोक्त तथ्यों को विचार में लेने के पश्चात् इस न्यायालय का मत यह है कि अभियोक्त्री द्वारा लेखबद्ध कराए गए कथनों और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए परिसाक्ष्य में विद्यमान विसंगतियां सारवान् नहीं हैं । इसका कारण यह है कि अभियोक्त्री अपने इस मूल आरोप के संबंध में सदैव संगत बनी रही है कि उसके साथ बलात्संग किया गया और उसे विभिन्न अन्य व्यक्तियों के साथ लैंगिक मैथुन करने हेतु मजबूर किया गया । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है अभियोक्त्री ने अपने प्रारंभिक कथन में यह आरोप लगाया था कि पूजा की माता और उसकी मौसी उसे तैयार करते थे और उसे एक घर के भीतर बंद करके रखते थे । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किए गए अपने कथन में अभियोक्त्री ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि पूजा की मौसी और उसकी माता उसे गलत काम करने हेतु मजबूर करते थे । उसने न्यायालय के समक्ष भी यह परिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त रेखा उसे 'ग्राहकों' के साथ गलत काम (लैंगिक मैथुन) करने के लिए मजबूर करती थी । उसने यह भी आरोप लगाया है कि अभियुक्त रेखा उसे 'ग्राहकों' के लिए साज-श्रृंगार करके तैयार करती थी ।

32. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय विचारण न्यायालय के उस निर्णय में कोई त्रुटि पाने में असमर्थ रहा है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने अभियुक्त रेखा को दंड संहिता की धारा 376 के साथ पठित धारा 109 के अधीन दंडनीय अपराध करने हेतु सिद्धदोष ठहराया था ।

33. अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत होने वाले विद्वान् काउंसेलों ने यह प्रतिवाद किया है कि अभिकथित अपराधों के संबंध में किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक परिप्रेक्ष्य को स्थापित करने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । उन्होंने यह दलील प्रस्तुत की है कि अभिलेख पर यह स्थापित करने हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अपीलार्थियों में से किसी ने भी अभियोक्त्री को अभिकथित रूप से विभिन्न व्यक्तियों के साथ लैंगिक मैथुन करने हेतु मजबूर करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिफल स्वीकार किया था और इसलिए आईटीपी अधिनियम की धारा 5 के अधीन दंडनीय अपराध को स्थापित नहीं किया जा सका है ।

34. इस प्रक्रम पर आईटीपी अधिनियम की धारा 5 को निर्दिष्ट करना सुसंगत होगा, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है :-

> "5. **व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए उपाप्त करना, उत्प्रेरित करना या ले जाना** – (1) कोई व्यक्ति जो –
>
> (क) किसी व्यक्ति को चाहे उसकी सम्मति से या उसके बिना वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपाप्त करेगा या उपाप्त करने का प्रयत्न करेगा ; या
>
> (ख) किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए इस आशय से उत्प्रेरित करेगा कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए किसी वेश्यागृह का अंत:वासी हो जाए या उसमें प्राय: जाता रहे ; या
>
> (ग) किसी व्यक्ति को इस दृष्टि से कि वह वेश्यावृत्ति करे या वेश्यावृत्ति करने के लिए उसका पालन-पोषण किया जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाएगा या ले जाने का प्रयत्न करेगा या लिबाएगा ; या

(घ) किसी व्यक्ति से वेश्यावृत्ति कराएगा या कराने के लिए उत्प्रेरित करेगा,

दोषसिद्धि पर, तीन वर्ष से अन्यून और सात वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास से और जुर्माने से भी जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और यदि इस उपधारा के अधीन अपराध किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है तो सात वर्ष की अवधि के लिए कारावास का दंड चौदह वर्ष की अवधि के लिए कारावास तक का होगा :

परंतु यदि वह व्यक्ति जिसकी बाबत इस उपधारा के अधीन अपराध किया गया है, –

(i) बालक है तो इस उपधारा में उपबंधित दंड सात वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए कठोर कारावास तक का होगा किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा ; और

(ii) अवयस्क है तो इस उपधारा में उपबंधित दंड सात वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए और चौदह वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास तक का होगा ;"

35. जैसा कि आईटीपी अधिनियम की धारा 5 की साधारण भाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को उसकी सम्मति के साथ या उसके बिना वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपाप्त करेगा या उपाप्त करने का प्रयत्न करेगा तो वह आईटीपी अधिनियम की धारा 5 के अधीन दंडनीय अपराध हेतु दंड के लिए दायी होगा । आईटीपी अधिनियम की धारा 5(1) के खंड (घ) के निबंधनानुसार ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति से वेश्यावृत्ति कराएगा या वेश्यावृत्ति कराने के लिए उत्प्रेरित करेगा तो वह उक्त धारा के अधीन दंड का पात्र होगा ।

36. 'वेश्यावृत्ति' पद को आईटीपी अधिनियम की धारा 2 के खंड (च) के अधीन निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :–

"2(च) "वेश्यावृत्ति" से व्यक्तियों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए लैंगिक शोषण या दुरुपयोग अभिप्रेत है, और "वेश्या" पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा ।"

37. यद्यपि, इस प्रभाव का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य विद्यमान नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों, जिनके साथ अभिकथित रूप से अभियोक्त्री को लैंगिक मैथुन करने के लिए मजबूर किया गया था, ने अपीलार्थियों को किसी प्रतिफल (चाहे धन के रूप में या वस्तु रूप में) का संदाय किया था, किन्तु अभियोक्त्री ने उक्त व्यक्तियों को 'ग्राहकों' के रूप में निर्दिष्ट किया है । अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य अकाट्य साबित हुआ है । अभियोक्त्री ने स्पष्ट रूप से यह परिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त उसे विभिन्न व्यक्तियों के साथ लैंगिक मैथुन करने के लिए मजबूर करते थे और प्रतिदिन लगभग चार व्यक्तियों के साथ उसे लैंगिग मैथुन करना पड़ता था । उसने उन व्यक्तियों को 'ग्राहकों' के रूप में निर्दिष्ट किया है ।

38. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए अभियोक्त्री द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रकृति के संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता है । अभियोक्त्री द्वारा दिए गए कथनों और परिसाक्ष्य के अर्थपूर्ण पठन से स्पष्ट रूप से उपदर्शित होता है कि अभियोक्त्री ने ग्राहकों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने हेतु उसे मजबूर किए जाने के संबंध में एक वाणिज्यिक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत किया है ।

39. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय को विचारण न्यायालय के उस निर्णय में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को आईटीपी अधिनियम की धारा 5 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने/उत्प्रेरित करने हेतु सिद्धदोष ठहराया है ।

40. अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य अभियुक्त सुभाष के विरुद्ध लगाए आरोपों को साबित करता है ।

41. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय को ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता है जिसके आधार पर विचारण न्यायालय के

उस निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाए, जिसके द्वारा उसने अपीलार्थियों को उन अपराधों हेतु सिद्धदोष ठहराया था जिनके उन पर आरोप लगाए गए थे ।

42. जहां तक अपीलार्थियों पर अधिरोपित दंडादेश का संबंध है, अपीलार्थी रेखा ने पहले ही अपने दंडादेश को पूरा कर लिया है । जहां तक अपीलार्थी सुभाष का संबंध है, विचारण न्यायालय ने उसे दंडादिष्ट करते समय यह उल्लेख किया था कि वह एक विकलांग व्यक्ति है और लकवा मार जाने के कारण वह नि:शक्तताग्रस्त है । उसके तीन बालक भी हैं जो पूर्णत: उस पर निर्भर हैं । इसके अतिरिक्त इस संबंध में भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी सुभाष का पूर्ववृत्त साफ है और वह पूर्व में किसी अन्य मामले में लिप्त नहीं रहा है । उसने पहले ही आठ वर्ष और आठ मास के अपने कारावास को पूरा कर लिया है । कम करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय यह उचित समझता है कि अपीलार्थी सुभाष के दंडादेश को कम करके उस अवधि तक किया जाए, जितनी अवधि का कारावास उसने पहले ही पूरा कर लिया है । उक्त अपीलार्थी को विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार जुर्मानों का संदाय किए जाने पर अभिरक्षा से निर्मुक्त किया जाएगा । दंड संहिता की धारा 376 और आईटीपी अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 109 के अधीन अधिरोपित जुर्मानों के संदाय में असफल रहने की दशा में अपीलार्थी को एक मास (छह मास की बजाय) की अवधि का साधारण कारावास भोगना होगा, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा दंडादिष्ट किया गया था ।

43. इस प्रकार उपरोक्त निबंधनों के अनुसार वर्तमान अपीलों का निपटारा किया जाता है । लंबित आवेदनों का भी निपटारा किया जाता है ।

याचिका भागत: मंजूर की गई ।

पु.

एस. सेल्वी

बनाम

आर. सुब्रामणि

(2017 का दांडिक पुनरीक्षण परिवाद (एमडी) सं. 70)

तारीख 5 फरवरी, 2021

न्यायमूर्ति के. मुरली शंकर

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) – धारा 138 और धारा 20 – याची द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष यह अनुरोध करते हुए प्रकीर्ण आवेदन प्रस्तुत किया जाना कि चेकों पर विद्यमान हस्तलेखों की परस्पर तुलना करने हेतु उन्हें न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा जाए – विचारण न्यायालय द्वारा अनुरोध को अस्वीकार किया जाना – चुनौती – परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 20 चेक के धारक को यह अनुमति प्रदान करती है कि वह स्वयं या किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से खाली चेकों को भर सकता है – उपरोक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए याची के अनुरोध को स्वीकार किए जाने से मामले पर किसी प्रकार का कोई सारवान् प्रभाव नहीं पड़ेगा, अत: वर्तमान मामले में विशेषज्ञ राय अपेक्षित नहीं है और इसलिए विचारण न्यायलाय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है, अत:, याचिका को खारिज किया जाता है ।

वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि 2. याची विचारण न्यायालय के समक्ष परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 138 के अधीन फाइल किए गए मामलों में एक अभियुक्त है । विचारण के लंबित रहने के दौरान याची द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 का अवलंब लेते हुए यह अनुरोध करते हुए याचिकाएं फाइल की गईं कि विवादित चेकों को याची के हस्ताक्षरों और चेकों में अंतर्विष्ट हस्तलिखित

सामग्री की परस्पर तुलना करने और इस संबंध में विशेषज्ञ राय प्राप्त करने हेतु न्यायालयिक विज्ञान विभाग को भेजा जाए । विचारण न्यायालय ने जांच पड़ताल करने के पश्चात् उक्त याचिकाओं को खारिज करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किए । उक्त आदेशों से व्यथित होकर याची ने वर्तमान पुनरीक्षण याचिकाएं फाइल की हैं । उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के पश्चात् याचिका को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – याची और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् न्यायालय ने याची की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल के सामने एक प्रश्न रखकर इस बात की पुष्टि करने का प्रयास किया कि क्या न्यायालय द्वारा याची के अनुरोध का निर्वचन सही है और अंततः उसे यह तथ्य ज्ञात हुआ कि याची ने यह साबित करने के लिए कि चेक पर पाया गया हस्तलेख उसका स्वयं का हस्तलेख नहीं है, विवादित चेकों को, चेकों पर पाए गए हस्तलेख को उसके स्वीकृत हस्तलेख से मिलान करने हेतु भेजने की वांछा की है । अतः, यह स्पष्ट है कि याची ने विवादित चेकों पर पाए गए अपने हस्ताक्षरों के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुतोष की ईप्सा नहीं की है और उसके अनुसार चेकों में पाई गई हस्तलिखित सामग्री के संबंध में विवाद विद्यमान है । परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 20 के अनुसार परक्राम्य लिखित अधिनियम, चेक के धारक को या तो स्वयं या किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से खाली चेकों को भरे जाने के अनुमति प्रदान करता है । इस प्रकार चेक के धारक को सम्यक् अनुक्रम में स्टाम्पित लिखतों, अर्थात् खाली प्रोनोट और विनिमय बीजक को पूरा करने का पूर्ण अधिकार है जब ऐसी लिखत, लिखत को बनाने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर समुचित रूप से हस्ताक्षर करने के पश्चात् उसे परिदत्त की गई हो और इस प्रकार परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 20 ऐसे खाली चेकों के संबंध में लागू नहीं होगी जिन्हें आहरणकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात् जारी किया गया है । किन्तु उसी समय ऐसी कोई विधि विद्यमान नहीं है जो इस बात को आज्ञापक बनाती हो कि चेक आहरणकर्ता द्वारा स्वयं भरा जाएगा । इसी प्रकार, यदि चेक

का आहरणकर्ता, अदाता या चेक के धारक को यह प्राधिकार प्रदान करता है कि वह सम्यक् अनुक्रम में उसके द्वारा हस्ताक्षरित चेक को भर ले तो अदाता या चेक का धारक सम्यक् अनुक्रम में या तो स्वयं या किसी अनजान व्यक्ति या किसी तृतीय पक्षकार के माध्यम से खाली चेक को भर/भरवा सकता है क्योंकि चेक के आहरणकर्ता द्वारा इस संबंध में कोई वर्जन अधिरोपित नहीं किया गया है कि उसने, उसके परक्राम्य के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा हस्ताक्षरित चेक को भरने के लिए किसी तृतीय पक्षकार को प्राधिकार दिया है । वर्तमान मामले में, याची के अनुसार उसने चेकों की अंतर्वस्तु को स्वयं नहीं लिखा है । जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि चेक के आहरणकर्ता के लिए यह आज्ञापक नहीं है कि वह स्वयं संपूर्ण लिखत को भरे इसलिए यदि विवादित चेकों को विशेषज्ञ राय हेतु भेजा जाता है तो इससे कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । यदि यह मान भी लिया जाए कि विशेषज्ञ इस प्रभाव की अपनी राय व्यक्त करता है कि चेकों पर पाए गए हस्तलेख याची का हस्तलेख नहीं है तो भी इस तथ्य से वर्तमान मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । उपरोक्त तथ्यों को विचार में लेते हुए उच्च न्यायालय ने यह विनिश्चय किया कि उपरोक्त पुनरीक्षण याचिकाओं में कोई गुण विद्यमान नहीं है और वे खारिज किए जाने की दायी हैं । तद्नुसार, दांडिक पुनरीक्षण मामलों को खारिज किया जाता है । विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह निदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर उपरोक्त मामलों का निपटारा करें और दोनों पक्षकारों को यह निदेश दिया जाता है कि वे अनुबंधित समय के भीतर मामलों के निपटारे को सुकर बनाने हेतु अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें । परिणामतः, संबद्ध प्रकीर्ण याचिकाओं का निपटारा किया जाता है । (पैरा 5, 6, 7, 8 और 10)

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2017 का दांडिक पुनरीक्षण परिवाद (एमडी) सं. 70.

वर्तमान पुनरीक्षण परिवाद विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, त्वरित निपटान न्यायालय द्वारा वर्ष 2016 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका

सं. 1758, 1759 और 2561 में पारित आक्षेपित आदेशों के विरुद्ध फाइल किया गया है ।

याची की ओर से श्री एम. वी. वेंकेटेशन्

प्रत्यर्थी की ओर से श्री वी. पेरुमल

न्यायमूर्ति के. मुरली शंकर – वर्तमान पुनरीक्षण याचिकाएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 45 के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 243(2) के अधीन फाइल किए गए वर्ष 2016 के दांडिक परिवाद सं. 57, 72 और 91 के संबंध में वर्ष 2016 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका सं. 1758, 1759 और 2561 में विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, त्वरित निपटान न्यायालय, मजिस्ट्रियल स्तर, करूर में पारित ऐसे आक्षेपित आदेशों के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा विवादित चेकों को न्यायालयिक विज्ञान विभाग को विशेषज्ञ राय हेतु भेजे जाने का निदेश दिए जाने से इनकार किया गया ।

2. याची विचारण न्यायालय के समक्ष परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 138 के अधीन फाइल किए गए मामलों में एक अभियुक्त है । विचारण के लंबित रहने के दौरान याची द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 का अवलंब लेते हुए यह अनुरोध करते हुए याचिकाएं फाइल की गई कि विवादित चेकों को याची के हस्ताक्षरों और चेकों में अंतर्विष्ट हस्तलिखित सामग्री की परस्पर तुलना करने और इस संबंध में विशेषज्ञ राय प्राप्त करने हेतु न्यायालयिक विज्ञान विभाग को भेजा जाए । विचारण न्यायालय ने जांच पड़ताल करने के पश्चात् उक्त याचिकाओं को खारिज करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किए । उक्त आदेशों से व्यथित होकर याची ने वर्तमान पुनरीक्षण याचिकाएं फाइल की हैं ।

3. प्रारंभ में, याची की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि विचारण न्यायालय याची की ओर से ईप्सित अनुरोध को भली-भांति समझने में असफल रहा है ।

4. याची द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन फाइल की गई याचिकाओं के सरसरी तौर पर परिशीलन मात्र से ही यह तथ्य प्रकट होता है कि याची स्वयं इस संबंध में स्पष्ट नहीं है कि उसके द्वारा किस प्रकार के अनुतोष का दावा किया गया है । निस्संदेह रूप से प्रत्यर्थी ने इस प्रकार प्रतिकथन फाइल किए हैं मानों याची ने उपरोक्त याचिकाएं फाइल करके न्यायालय से यह अनुरोध किया हो कि विवादित चेकों को, चेकों पर पाए गए हस्ताक्षरों का मिलान करने हेतु न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला अग्रेषित किया जाए । विचारण न्यायालय ने याची द्वारा किए गए अनुरोध का ऐसे रीति में निर्वचन किया है मानों याची ने यह ईप्सा की हो कि चेकों पर पाए गए हस्ताक्षरों और चेकों पर लिखित सामग्री के संबंध में यह अभिनिश्चित किया जाए कि वे कितने पुराने हैं ।

5. याची और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसलों को सुनने के पश्चात् न्यायालय ने याची की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल के सामने एक प्रश्न रखकर इस बात की पुष्टि करने का प्रयास किया कि क्या न्यायालय द्वारा याची के अनुरोध का निर्वचन सही है और अंततः उसे यह तथ्य ज्ञात हुआ कि याची ने यह साबित करने के लिए कि चेक पर पाया गया हस्तलेख उसका स्वयं का हस्तलेख नहीं है, विवादित चेकों को, चेकों पर पाए गए हस्तलेख को उसके स्वीकृत हस्तलेख से मिलान करने हेतु भेजने की वांछा की है । अतः, यह स्पष्ट है कि याची ने विवादित चेकों पर पाए गए अपने हस्ताक्षरों के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुतोष की ईप्सा नहीं की है और उसके अनुसार चेकों में पाई गई हस्तलिखित सामग्री के संबंध में विवाद विद्यमान है ।

6. विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 20 को निर्दिष्ट करते हुए यह संप्रेक्षण किया है कि परक्राम्य लिखित अधिनियम, चेक के धारक को या तो स्वयं या किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से खाली चेकों को भरे जाने के अनुमति प्रदान करता

है । बेहतर मूल्यांकन के लिए परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 20 को यहां नीचे निर्दिष्ट करना आवश्यक है :–

> "स्टाम्पित अधूरी लिखत – जहां कि एक व्यक्ति भारत में परक्राम्य लिखत-संबंधी तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार, स्टाम्पित और या तो पूर्णत: निरंक या उस पर अपूरित परक्राम्य लिखित लिखकर कोई कागज हस्ताक्षरित करता है और किसी दूसरे को परिदत्त कर देता है जहां वह उसके धारक को तद्द्वारा यह प्रथमदृष्ट्या प्राधिकार देता है कि वह किसी भी रकम के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट हो, और उस रकम से अधिक न हो जिसके लिए वह स्टाम्प पर्याप्त है, परक्राम्य लिखत उस पर, यथास्थिति, रच ले या पूर्ण कर ले । ऐसे हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति अपनी उस हैसियत से, जिसमें उसने उस पर हस्ताक्षर किया, किसी भी सम्यक्-अनुक्रम-धारक के प्रति ऐसी रकम के लिए ऐसी लिखत पर दायी होगा, परंतु सम्यक्-अनुक्रम-धारक से भिन्न कोई भी व्यक्ति लिखत परिदत्त करने वाले व्यक्ति से उस रकम से अधिक कुछ वसूल न करेगा जो उसके द्वारा तद्धीन संदत्त की जाने के लिए आशयित थी ।"

7. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 20 के अनुसार चेक के धारक को सम्यक् अनुक्रम में स्टाम्पित लिखतों, अर्थात् खाली प्रोनोट और विनिमय बीजक को पूरा करने का पूर्ण अधिकार है जब ऐसी लिखत, लिखत को बनाने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर समुचित रूप से हस्ताक्षर करने के पश्चात् उसे परिदत्त की गई हो और इस प्रकार परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 20 ऐसे खाली चेकों के संबंध में लागू नहीं होगी जिन्हें आहरणकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात् जारी किया गया है । किन्तु उसी समय ऐसी कोई विधि विद्यमान नहीं है जो इस बात को आज्ञापक बनाती हो कि चेक आहरणकर्ता द्वारा स्वयं भरा जाएगा । इसी प्रकार, यदि चेक का आहरणकर्ता, अदाता या चेक के धारक को यह प्राधिकार प्रदान करता है कि वह सम्यक् अनुक्रम में उसके द्वारा हस्ताक्षरित चेक को भर ले तो अदाता या चेक का धारक

सम्यक् अनुक्रम में या तो स्वयं या किसी अनजान व्यक्ति या किसी तृतीय पक्षकार के माध्यम से खाली चेक को भर/भरवा सकता है क्योंकि चेक के आहरणकर्ता द्वारा इस संबंध में कोई वर्जन अधिरोपित नहीं किया गया है कि उसने, उसके परक्राम्य के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा हस्ताक्षरित चेक को भरने के लिए किसी तृतीय पक्षकार को प्राधिकार दिया है ।

8. वर्तमान मामले में याची के अनुसार उसने चेकों की अंतर्वस्तु को स्वयं नहीं लिखा है । जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि चेक के आहरणकर्ता के लिए यह आज्ञापक नहीं है कि वह स्वयं संपूर्ण लिखत को भरे इसलिए यदि विवादित चेकों को विशेषज्ञ राय हेतु भेजा जाता है तो इससे कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । यदि यह मान भी लिया जाए कि विशेषज्ञ इस प्रभाव की अपनी राय व्यक्त करता है कि चेकों पर पाए गए हस्तलेख याची का हस्तलेख नहीं है तो भी इस तथ्य से वर्तमान मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

9. स्वीकार्य रूप से, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन फाइल किए गए सभी परिवाद छह वर्ष से अधिक अवधि से लंबित हैं । अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि, परिवादी की मुख्य परीक्षा वर्ष 2014 में दो मामलों में सबूत शपथपत्र के माध्यम से की गई थी और एक मामले में यह परीक्षा वर्ष 2015 में की गई थी किन्तु याची द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा अभी तक नहीं की गई है । जैसा कि प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा सही रूप से प्रतिवाद किया गया है कि याची ने विनिर्दिष्ट रूप से प्रश्नगत चेकों पर पाए गए अपने हस्ताक्षरों के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया है । साधारण रूप से क्योंकि चेकों पर पाए गए हस्तलेख भिन्न-भिन्न हैं इसलिए यह तथ्य उपरोक्त आवेदन फाइल करने के लिए एक उपयुक्त आधार नहीं हो सकता और वह भी इतने विलंब के पश्चात् । जैसा कि प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा सही रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया है, उपरोक्त याचिकाएं मूल मामलों से संबंधित कार्यवाहियों को लंबा और उनमें टाल-मटोल करने के आशय से फाइल की गई हैं ।

10. उपरोक्त तथ्यों को विचार में लेते हुए यह न्यायालय यह विनिश्चय करता है कि उपरोक्त पुनरीक्षण याचिकाओं में कोई गुण विद्यमान नहीं है और वे खारिज किए जाने की दायी हैं । तद्नुसार, दांडिक पुनरीक्षण मामलों को खारिज किया जाता है । विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह निदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर उपरोक्त मामलों का निपटारा करें और दोनों पक्षकारों को यह निदेश दिया जाता है कि वे अनुबंधित समय के भीतर मामलों के निपटारे को सुकर बनाने हेतु अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें । परिणामतः, संबद्ध प्रकीर्ण याचिकाओं का निपटारा किया जाता है ।

याचिका खारिज की जाती है ।

पु.

संसद् के अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)

[15 जून, 2005]

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने के और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है ;

और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है ;

और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवत: अन्य लोक हितों, जिनके अन्तर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है ;

और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है ;

अत:, अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को, कतिपय सूचना देने के लिए, जो उसे पाने के इच्छुक हैं, उपबंध किया जाए ;

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है ।

(2) इसका विस्तार[1] *** सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन* को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "समुचित सरकार" से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो –

(i) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित किया जाता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(ख) "केन्द्रीय सूचना आयोग" से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी" से उपधारा (1) के

---

[1] 2019 के अधिनियम सं. 34 की धारा 95 और पांचवी सूची द्वारा (31-10-2019 से) "जम्मू-कश्मीर राज्यों के सिवाय" शब्दों का लोप किया गया ।

* 12 अक्तूबर, 2005.

अधीन पदाभिहित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है ;

(घ) "मुख्य सूचना आयुक्त" और "सूचना आयुक्त" से धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत हैं ;

(ङ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है –

(i) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की, जिसमें ऐसी सभा है, दशा में अध्यक्ष और राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् की दशा में सभापति ;

(ii) उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति ;

(iii) किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति ;

(iv) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल ;

(v) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक ;

(च) "सूचना" से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है ;

(छ) "विहित" से, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम

प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ज) "लोक प्राधिकारी" से, –

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन ;

(ख) संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;

(ग) राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है,

और इसके अन्तर्गत, –

(i) कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है ;

(ii) कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार,

द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है ।

(झ) "अभिलेख" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं –

(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल ;

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रति ;

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरुत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो) ; और

(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री ;

(ञ) "सूचना का अधिकार" से इस अधिनियम के अधीन पहुंच ग़ोग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है –

(i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण ;

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना ;

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना ;

(iv) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रीति में या प्रिंटआऊट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना ;

(ट) "राज्य सूचना आयोग" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य़ सूचना आयोग अभिप्रेत है ;

(ठ) "राज्य मुख्य सूचना आयुक्त" और "राज्य सूचना आयुक्त" से धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ड) "राज्य लोक सूचना अधिकारी" से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है ;

(ढ) "पर व्यक्ति" से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है ।

अध्याय 2
सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

3. **सूचना का अधिकार** – इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा ।

4. **लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं** – (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी –

(क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके ;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर, –

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य ;

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य ;

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं ;

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड ;

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख ;

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण ;

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं ;

(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण ;

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ;

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो ;

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट ;

(xii) सहायिका कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं ;

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां ;

(xiv) किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों ;

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं ;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां ;

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए,

प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा ;

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा ;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा ।

(2) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार, स्वप्ररेणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न संसाधनों के माध्यम से, जिनके अंतर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्ररूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो ।

(4) सभी सामग्री को, लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास इलैक्ट्रानिक रूप में संभव सीमा तक नि:शुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर, जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुंच योग्य होनी चाहिए ।

स्पष्टीकरण – उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, "प्रसारित" से सूचना पट्टों, समाचारपत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से, जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित कराना अभिप्रेत है ।

5. **लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम** – (1) प्रत्येक लोक

प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए, पदाभिहित करेगा :

परंतु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी ।

(3) यथास्थिति, प्रत्येक, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा ।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

(5) कोई अधिकारी, जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता चाही

गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा ।

6. **सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध** – (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलैक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की, जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, –

(क) संबंधित लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ;

(ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी,

को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा :

परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके ।

(2) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हों, देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(3) जहां, कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है, –

(i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है ; या

(ii) जिसकी विषय-वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है,

वहां, वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा :

परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किन्तु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

7. **अनुरोध का निपटारा** – (1) धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथासंभवशीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा :

परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है ।

(3) जहां, सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को, –

(क) उसके द्वारा यथाअवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे, जिनके साथ उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएं होंगी, देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा ;

(ख) प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्ररूप के बारे में, जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, समय-सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्ररूप भी हैं, विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए, कोई संसूचना भेजेगा ।

(4) जहां, इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसा व्यक्ति, जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है, संवेदनात्मक रूप से नि:शक्त है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता कराना भी सम्मिलित है, जो समुचित हो ।

(5) जहां, सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलैक्ट्रानिक रूपविधान में उपलब्ध कराई जानी है, वहां आवेदक, उपधारा (6) के अधीन रहते हुए, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो विहित की जाए :

परन्तु धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी ।

(6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई लोक प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी ।

(7) उपधारा (1) के अधीन कोई विनिश्चय करने से पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा ।

(8) जहां, किसी अनुरोध को उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को, –

(i) ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण ;

(ii) वह अवधि, जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी ; और

(iii) अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां,

संसूचित करेगा ।

(9) किसी सूचना को साधारणतया उसी प्ररूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो ।

8. **सूचना के प्रकट किए जाने से छूट** – (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी नागरिक को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी –

(क) सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो ;

(ख) सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है ;

(ग) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा ;

(घ) सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है ;

(ङ) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है ;

(च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना ;

(छ) सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा ;

(ज) सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी ;

(झ) मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं :

परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री, जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात् जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे :

परन्तु यह और कि वे विषय, जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किए जाएंगे ;

(ञ) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक

सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है :

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा ।

(2) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) में, उपधारा (1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी, किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित, संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है ।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क), खंड (ग) और खण्ड (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी घटना, वृत्तांत या विषय से संबंधित कोई सूचना, जो उस तारीख से, जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, बीस वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी :

परन्तु यह कि जहां उस तारीख के बारे में, जिससे बीस वर्ष की उक्त अवधि को संगणित किया जाता है, कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहां इस अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

9. **कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार** – धारा 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्वयुक्त प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन अंतर्वलित करेगा ।

10. **पृथक्करणीयता** – (1) जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है वहां इस अधिनियम में किसी बात

के होते हुए भी, पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अंतर्विष्ट नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है और जो किसी ऐसे भाग से, जिसमें छूट प्राप्त सूचना अंतर्विष्ट है, युक्तियुक्त रूप से पृथक् की जा सकती है ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच अनुदत्त की जाती है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचना देते हुए, आवेदक को एक सूचना देगा कि –

(क) अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही, उस अभिलेख से उस सूचना को, जो प्रकटन से छूट प्राप्त है पृथक् करने के पश्चात् उपलब्ध कराया जा रहा है ;

(ख) विनिश्चय के लिए कारण, जिनके अंतर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री के प्रति, जिस पर वे निष्कर्ष आधारित थे, निर्देश करते हुए कोई निष्कर्ष भी हैं ;

(ग) विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम ;

(घ) उसके द्वारा संगणित फीस के ब्यौरे और फीस की वह रकम जिसकी आवेदक से निक्षेप करने की अपेक्षा की जाती है ; और

(ङ) सूचना के भाग को प्रकट न किए जाने के संबंध में विनिश्चय के पुनर्विलोकन के बारे में उसके अधिकार, प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराया गया पहुंच का प्ररूप, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी की विशिष्टियां, समय-सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य पहुंच का प्ररूप भी है ।

11. **पर व्यक्ति सूचना** – (1) जहां, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का, इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, जो किसी पर व्यक्ति से

संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिन के भीतर, ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा :

परन्तु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाय, यदि ऐसे प्रकटन में लोक हित, ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है, वहां ऐसे पर व्यक्ति को, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर, प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा ।

(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् चालीस दिन के भीतर, यदि पर व्यक्ति को उपधारा (2) के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है, तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन दी गई सूचना में यह कथन भी

सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति, जिसे सूचना दी गई है, धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का हकदार है ।

अध्याय 3
केन्द्रीय सूचना आयोग

12. **केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन** – (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं ।

(2) केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा –

(क) मुख्य सूचना आयुक्त ; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं ।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी –

(i) प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ii) लोक सभा में विपक्ष का नेता ; और

(iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री ।

स्पष्टीकरण – शंकाओं के निवारण के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोक सभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां लोक सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा ।

(4) केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन, मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा, जिनका केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य

प्राधिकारी के निदेशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है ।

(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे ।

(6) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद् का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा ।

(7) केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय, दिल्ली में होगा और केन्द्रीय सूचना आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

13. **पदावधि और सेवा शर्तें** – (1) मूख्य सूचना आयुक्त, [1][ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए] पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त, [1][ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए] या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु प्रत्येक सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर, धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

---

[1] 2019 के अधिनियम सं. 24 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परन्तु यह और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष, पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

(4) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को धारा 14 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा ।

[1][(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में, उनकी नियुक्ति के पश्चात्, उनके लिए अलाभकर रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2009 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना उसी प्रकार जारी रहेगा मानो सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2009 लागू ही नहीं हुआ था ।

14. **सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना** – (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मुख्य सूचना आयुक्त

---

[1] 2019 के अधिनियम सं. 24 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात् यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए ।

(2) राष्ट्रपति, उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो, जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिषिद्ध कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, –

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) वह ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ; या

(ग) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है ; या

(घ) राष्ट्रपति की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या

(ङ) उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(4) यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य के रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या

परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कदाचार का दोषी समझा जाएगा ।

अध्याय 4
राज्य सूचना आयोग

15. **राज्य सूचना आयोग का गठन** – (1) प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ..... (राज्य का नाम) सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं ।

(2) राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा –

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं ।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी किसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी, –

(i) मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ii) विधान सभा में विपक्ष का नेता ; और

(iii) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य ।

स्पष्टीकरण – शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां विधान सभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां विधान सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता समझा जाएगा ।

(4) राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों

का प्रयोग कर सकेगा और सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निदेशों के अध्यधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाए या की जा सकती हैं ।

(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे ।

(6) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद् का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा ।

(7) राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

16. **पदावधि और सेवा की शर्तें** – (1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त [1][ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार विहित की जाए] पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त [1][ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार विहित की जाए] या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना

---

[1] 2019 के अधिनियम सं. 24 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

पद रिक्त करने पर, धारा 15 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परंतु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है, वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा :

परंतु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा ।

[1][(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए :

परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में, उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकर रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2009 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना उसी प्रकार जारी रहेगा मानो सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2009 लागू ही नहीं हुआ था ।]

---

[1] 2019 के अधिनियम सं. 24 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(6) राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

17. **राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना** – (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राज्यपाल द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात् यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए ।

(2) राज्यपाल, उस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक, पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो ऐसी जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से प्रतिषिद्ध भी कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा, यदि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त –

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) वह ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या

(ग) वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है ; या

(घ) राज्यपाल की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या

(ङ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(4) यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य को किसी रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा ।

अध्याय 5
सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्तियां

18. **सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य** – (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे, –

(क) जो, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है या, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी या, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया है ;

(ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इनकार कर दिया गया है ;

(ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है ;

(घ) जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, जो वह अनुचित समझता है या समझती है ;

(ङ) जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है ; और

(च) इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में ।

(2) जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं, वहां वह उसके संबंध में जांच आरंभ कर सकेगा ।

(3) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को, इस धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :–

(क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना ;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना ;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना ; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

(4) यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान-मंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान, ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा, जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा ।

19. **अपील** – (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है, उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है :

परन्तु ऐसा अधिकारी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था ।

(2) जहां अपील धारा 11 के अधीन, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती है वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील, उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था, नब्बे दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी :

परन्तु, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था ।

(4) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है तो यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

(5) अपील संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर, जिसने अनुरोध से इनकार किया था, होगा ।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालीस दिन से अधिक न हो, किया जाएगा ।

(7) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा ।

(8) अपने विनिश्चय में, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है –

(क) लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :–

(i) सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्ररूप में ऐसा अनुरोध किया गया है ;

(ii) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना ;

(iii) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना ;

(iv) अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना ;

(v) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना ;

(vi) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना ;

(ख) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना ;

(घ) आवेदन को नामंजूर करना ।

(9) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को, अपने विनिश्चय की, जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकार भी है, सूचना देगा ।

(10) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, जो विहित की जाए ।

20. **शास्ति** – (1) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य

लोक सूचना अधिकारी ने, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए, कोई आवेदन प्राप्त करने से इनकार किया है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इनकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपए की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि, ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी :

परंतु, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा :

परंतु यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त रूप से और तत्परतापूर्वक कार्य किया है, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा ।

(2) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इनकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है वहां वह, यथास्थिति, ऐसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा ।

अध्याय 6
प्रकीर्ण

21. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण** – कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

22. **अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना** – इस अधिनियम के उपबंध, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में, उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

23. **न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन** – कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में के सिवाय किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

24. **अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना** – (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी सूचना को लागू नहीं होगी :

परंतु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना, केन्द्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर दी जाएगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुरक्षा संगठन को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन का उससे लोप करके, संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में, यथास्थिति, सम्मिलित किया गया या उसका उससे लोप किया गया समझा जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

(4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन हैं, जिन्हें वह सरकार समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर दी जाएगी ।

(5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी ।

25. **मानीटर करना और रिपोर्ट करना** – (1) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात्, यथासाध्यशीघ्रता से उसे वर्ष के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा ।

(2) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों के संबंध में, ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उसे,

यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराएगा, जो इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उस सूचना को देने तथा अभिलेख रखने से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा ।

(3) प्रत्येक रिपोर्ट में, उस वर्ष के संबंध में, जिससे रिपोर्ट संबंधित है, निम्नलिखित के बारे में कथन होगा, –

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी से किए गए अनुरोधों की संख्या ;

(ख) ऐसे विनिश्चयों की संख्या, जहां आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के वे उपबंध, जिनके अधीन ये विनिश्चय किए गए थे और ऐसे समयों की संख्या, जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया था ;

(ग) पुनर्विलोकन के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्ष ;

(घ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई की विशिष्टियां ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारों की रकम ;

(च) कोई ऐसे तथ्य, जो इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को उपदर्शित करते हैं ;

(छ) सुधार के लिए सिफारिशें, जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने से सुसंगत कोई अन्य विषय भी हैं ।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात्, यथासाध्यशीघ्रता से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट,

यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी ।

(5) यदि केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं है तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए, जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ाने के लिए किए जाने चाहिएं, सिफारिश कर सकेगा ।

26. **समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना** – (1) समुचित सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक –

(क) जनता की, विशेष रूप से, उपेक्षित समुदायों की इस बारे में समझ की वृद्धि करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी ;

(ख) लोक प्राधिकारियों को, खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों को बनाने और उनके आयोजन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगी ;

(ग) लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके क्रियाकलापों के बारे में सही जानकारी का समय से और प्रभावी रूप में प्रसारित किए जाने को बढ़ावा दे सकेगी ;

(घ) लोक प्राधिकरणों के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेगी ।

(2) समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ से अठारह मास के भीतर, अपनी राजभाषा में, सहज व्यापक रूप और रीति से ऐसी सूचना

वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी, जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप में अपेक्षा की जाए, जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है ।

(3) समुचित सरकार, यदि आवश्यक हो तो, उपधारा (2) में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन और प्रकाशित करेगी, जिनमें विशिष्टतया और उपधारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सम्मिलित होगा –

(क) इस अधिनियम के उद्देश्य ;

(ख) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का डाक और गली का पता, फोन और फैक्स नंबर और यदि उपलब्ध हो तो उसका इलैक्ट्रोनिक डाक पता ;

(ग) वह रीति और प्ररूप, जिसमें, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना तक पहुंच का अनुरोध किया जाएगा ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य ;

(ङ) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता ;

(च) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य के संबंध में कोई कार्य करने या करने में असफल रहने के बारे में विधि में उपलब्ध सभी उपचार, जिनके अंतर्गत आयोग को अपील फाइल करने की रीति भी है ;

(छ) धारा 4 के अनुसार अभिलेखों के प्रवर्गों के स्वैच्छिक प्रकटन के लिए प्रावधान करने वाले उपबंध ;

(ज) किसी सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोधों के संबंध में संदत्त की जाने वाली फीसों से संबंधित सूचनाएं ; और

(झ) इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में बनाए गए या जारी किए गए कोई अतिरिक्त विनियम या परिपत्र ।

(4) समुचित सरकार को, यदि आवश्यक हो, नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए ।

27. **नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति** – (1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य ;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन संदेय फीस ;

[1][(गक) धारा 13 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों तथा धारा 16 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि ;

(गख) धारा 13 की उपधारा (5) के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों तथा धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;]

(घ) धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें ;

---

[1] 2019 के अधिनियम सं. 24 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ङ) धारा 19 की उपधारा (10) के अधीन अपीलों का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।

28. **नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति** – (1) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(i) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य ;

(ii) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस ;

(iii) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस ; और

(iv) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।

29. **नियमों का रखा जाना** – (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात्, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा । तथापि, उस नियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम अधिसूचित किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

30. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति** – (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों :

परन्तु कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

31. निरसन – सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम, 2002 (2003 का 5) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

पहली अनुसूची

[धारा 13(3) और धारा 16(3) देखिए]

मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप

"मैं, ---------- जो मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा ।"।

दूसरी अनुसूची

(धारा 24 देखिए)

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन

1. आसूचना ब्यूरो ।

[1][2. अनुसंधान और विश्लेषण खंड जिसके अंतर्गत उसका तकनीकी खंड अर्थात् मंत्रिमंडल सचिवालय का विमानन अनुसंधान केन्द्र भी है ।

3. राजस्व आसूचना निदेशालय ।

4. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो ।

5. प्रवर्तन निदेशालय ।

6. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ।

7. [2]***

8. विशेष सीमांत बल ।

9. सीमा सुरक्षा बल ।

10. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल ।

11. भारत-तिब्बत सीमा बल ।

12. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ।

13. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ।

14. असम राइफल्स ।

[3][15. सशस्त्र सीमा बल ।]

[4][16. आय-कर महानिदेशालय (अन्वेषण) ।]

---

[1] अधिसूचना सं. सा. का. नि. 319(अ) तारीख 4.5.2001 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं. सा. का. नि. 319(अ) तारीख 4.5.2001 द्वारा लोप किया गया ।

[3] अधिसूचना सं. सा. का. नि. 347 तारीख 28.9.2005 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] अधिसूचना सं. सा. का. नि. 235 तारीख 27.3.2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][17. राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन ।]

[1][18. वित्तीय आसूचना यूनिट, भारत ।]

[2][19. विशेष संरक्षा ग्रुप ।]

20. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ।

21. सीमा सड़क विकास बोर्ड ।

[3][22. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय ।]]

[4][23. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ।

24. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ।

25. राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड ।]

[5][26. सामरिक सेना कमान ।]

---

[1] अधिसूचना सं. सा. का. नि. 235 तारीख 27.3.2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं. सा. का. नि. 347 तारीख 28.9.2005 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] अधिसूचना सं. सा. का. नि. 726(अ) तारीख 8.10.2008 द्वारा जोड़ा गया ।

[4] अधिसूचना सं. सा. का. नि. 442(अ) तारीख 9.6.2011 द्वारा जोड़ा गया ।

[5] अधिसूचना सं. सा. का. नि. 673(अ) तारीख 8.7.2016 द्वारा अंत:स्थापित ।

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण) – डा. एस. सी. खरे – 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	145.00
4.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–
5.	भारत का सांविधानिक इतिहास - (103वां संशोधन तक) - श्री चन्द्रशेखर मिश्र	340	325	–
6.	भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व - डा. प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी	906	750	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान	2021	कीमत रु. 300/-

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं - **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका** और **उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित महत्वपूर्ण निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः सिविल और दांडिक के चयनित महत्वपूर्ण निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in